VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 खंड-2

+91-8468022022 | www.visionias.in

खंड : II 2

अध्याय 1 : 2018-19 में अर्थव्यवस्था की स्थिति: एक समष्टि परिदृश्य 2

अध्याय 2 : राजकोषीय घटनाक्रम की समीक्षा 4

अध्याय 3 : मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता 8

अध्याय 4 : कीमतें और मुद्रास्फीति 13

अध्याय 5 : संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन 15

अध्याय 6 : वैदेशिक क्षेत्र 23

अध्याय 7 : कृषि और खाद्य प्रबंधन 30

अध्याय 8 : उद्योग एवं अवसंरचना 37

अध्याय 9 : सेवा क्षेत्र 45

अध्याय 10 : सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास 48

VISION IAS

खंड : II

अध्याय 1 : 2018-19 में अर्थव्यवस्था की स्थिति: एक समष्टि परिदृश्य

(State of the Economy in 2018-19: A Macro View)

विहंगावलोकन: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

- भारत 2018-19 में विश्व में सबसे **तीव्र उभरती हुई मुख्य अर्थव्यवस्था** रहा। इस दौरान इसका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2017-18 में 7.2 से गिरकर **2018-19 में 6.8 प्रतिशत** हो गया जबकि वैश्विक उत्पादन में वृद्धि 2017 में 3.8 प्रतिशत से गिरकर 2018 में 3.6 प्रतिशत पर आ गई।
- यह **मंदी संयुक्त राज्य अमरीका चीन के बीच व्यापार तनाव, चीन में कठोर ऋण नीतियों और अधिकांश उन्नत देशों में मौद्रिक नीति** सामान्य होने के पश्चात आई है।
- वर्तमान में अमरीकी डालर में जीडीपी के संदर्भ में भारत **सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** है। **क्रय शक्ति समता (PPP)** के समायोजन के पश्चात वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय डॉलर में भारत की जीडीपी का स्थान विश्व में **तीसरा** है।
- विगत वर्षों में उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्था (EMDEs) तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीडीपी में भारत के योगदान में **निरंतर वृद्धि** हुई है।

विहंगावलोकन: भारतीय अर्थव्यवस्था

Figure 7: Growth in GDP (per cent)

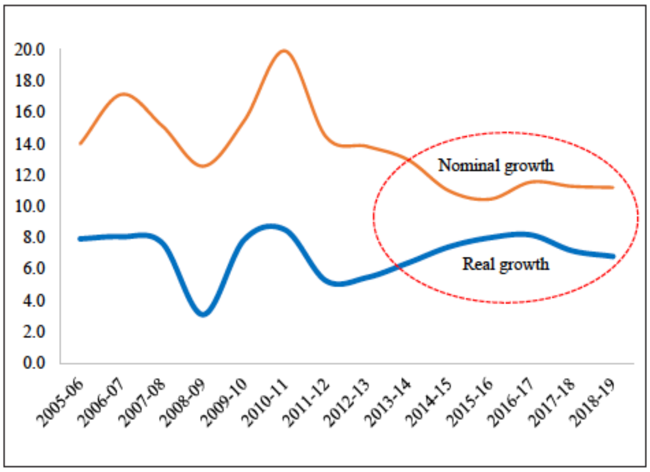

- पिछले 5 वर्षों (2014-15 के बाद) में **7.5 प्रतिशत औसत वृद्धि के साथ** भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि उच्च रही है।
- 2018-19 में वृद्धि की गति में यह **गिरावट मुख्य रूप से** 'कृषि और संबंद्ध' क्षेत्रों; 'व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण' संबंधी सेवाओं तथा 'लोक प्रशासन और रक्षा' के क्षेत्रों में **कम वृद्धि के कारण** हुई।
- **मांग पक्ष** के सन्दर्भ में, 2018-19 में जीडीपी में कम वृद्धि **सरकारी अंतिम उपभोग की वृद्धि में कमी** आने के कारण तथा भंडार में परिवर्तन एवं मूल्यमान कम होने के कारण हुई।
- यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर उच्च थी, तथापि इसी दौरान 2010-11 के बाद से सांकेतिक (नामिक) जीडीपी वृद्धि में आई गिरावट, मुद्रास्फीति में दीर्घकालिक कमी को इंगित करती है। वास्तविक और सांकेतिक वृद्धि दर के बीच अंतर काफी कम रहा है। इस प्रकार, जीडीपी अपस्फीतिकारक (GDP deflator) तुलनात्मक रूप से कम हुआ है। जीडीपी अपस्फीतिकारक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) तथा थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का भारित औसत होता है।
- **कोर सकल मूल्य वर्धित (Core GVA)** (कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों, लोक प्रशासन एवं रक्षा को छोड़कर मापा गया GVA) 2018-19 में समग्र वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि दर्शाता है।

वृद्धि के वाहक :

- उपभोग- कुल अंतिम उपभोग में यह **निजी उपभोग व्यय** होता है जिसकी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी होती है (लगभग 60 प्रतिशत) और इसकी वृद्धि दर अधिकतर समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से अधिक रहती है। अर्थव्यवस्था का अत्यधिक बड़ा आकार कारोबार के लिए एक बड़े बाजार के रूप में काम करता है।
- खपत का दूसरा घटक **सरकारी अंतिम खपत व्यय (GFCE)** है, 2018-19 में GFCE में कमी आई है। GFCE में कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, माल और सेवाओं की निवल खरीद तथा नियत पूंजी की खपत पर सरकारी (राजस्व) व्यय शामिल होता है।
- मांग का तीसरा प्रमुख घटक **निवेश** है। निवेश (सकल पूंजी विन्यास) जीडीपी का लगभग 32 प्रतिशत होता है, जिसके भीतर **नियत (स्थिर) निवेश (सकल स्थिर पूंजी निर्माण)** जीडीपी का लगभग 29 प्रतिशत होता है।

- नियत निवेश से आशय नई मशीनरी एवं उपकरणों के मूल्य तथा भवनों एवं अन्य संरचनाओं की नई निर्माण गतिविधि के मूल्य से है। सृजित जैविक संसाधन तथा बौद्धिक संपदा उत्पाद नियत निवेश के दो अन्य घटक होते हैं, हालांकि उनका भाग बहुत थोड़ा होता है।
- निवेश दर एवं नियत निवेश दर में कमी आई, हालाँकि 2017-18 से बहाली के आरंभिक संकेत देखे गए। साथ ही साथ, बचत दर में भी गिरावट हुई है जिसका कारण समग्र रूप से परिवार सेक्टर (household sector) रहा है।
    - 2017-18 में **बचत निवेश अंतराल में कमी** आई है। यह कम होते चालू खाता घाटा-जीडीपी अनुपात में भी परिलक्षित होती है।
- मांग का चौथा घटक **निवल निर्यात** है। 2018-19 में अमरीकी डॉलर एवं रुपये के संदर्भों में निर्यातों और आयातों की बढ़ोतरी की प्रवृत्ति अलग-अलग थी। यद्यपि, 2018-19 में निर्यात और आयात, दोनों की वृद्धि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में गिरी थी तथापि यह रुपये के संदर्भ में (वर्तमान कीमतों पर) बढ़ी थी। ऐसा 2018-19 में **अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन के कारण** हुआ था।
- **अर्थव्यवस्था का आपूर्ति पक्ष: सकल मूल्य वर्धित (GVA)**, अर्थव्यवस्था के आपूर्ति अथवा उत्पादन पक्ष को प्रतिबिंबित करता है। इसमें बाजार कीमतों पर GDP प्राप्त करने के लिए उत्पादों पर निवल अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है। GVA की वृद्धि आर्थिक गतिविधि को प्रतिबिंबित करती है, जिसने 2017-18 में 6.9 प्रतिशत की अपेक्षा 2018-19 में 6.6 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज की। देश में आर्थिक गतिविधि मंद पड़ने की वजह से 2018-19 में निवल अप्रत्यक्ष करों में 2017-18 की तुलना में 8.8 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज की गई थी।

भारत में उपभोग का बदलता प्रतिरूप:

- समय के साथ - आवश्यक वस्तुओं से लेकर विलासिता तक और वस्तुओं से लेकर सेवाओं तक- उपभोग के प्रतिरूप में कुछ बदलाव आया है। यह परिवारों की आवश्यक खर्च की तुलना में **विवेकाधीन खर्च में वृद्धि** को दर्शाता है।
- खर्च के पैटर्न (वस्तुओं के बजाय सेवाओं के उपभोग की ओर) में भी यह बदलाव दिखाई दे रहा है। कुल अंतिम खपत में वस्तुओं की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- शिक्षा, चिकित्सा, वाहन और टिकाऊ वस्तुओं के लिए खर्च में **वृद्धि के साथ गैर-खाद्य व्यय का हिस्सा बढ़ा है।**

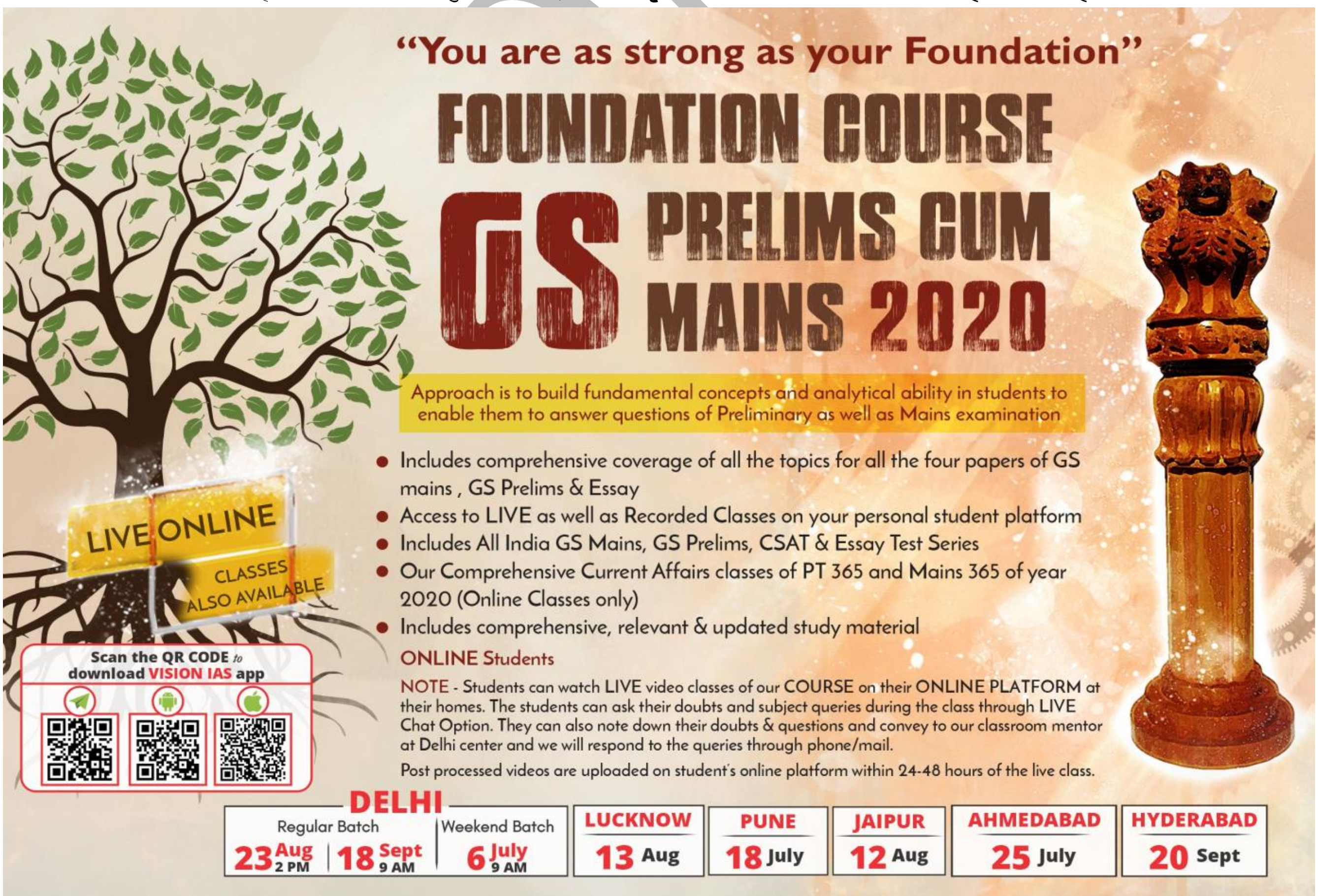

अध्याय 2 : राजकोषीय घटनाक्रम की समीक्षा

(Review of Fiscal Developments)

विषय-वस्तु

- नया **राजकोषीय लक्ष्य का ढांचा** अपनाने के साथ सरकार ने राजकोषीय समेकन संबंधी अपनी मंशा की पुनर्पुष्टि की है। यह **राजकोषीय लक्ष्य का ढांचा ऋण और राजकोषीय घाटा कम करने के दोहरे स्तम्भ** पर आधारित है।
- राजकोषीय समेकन के लिए राजस्व बढ़ाना और व्यय को युक्तिसंगत बनाना आवश्यक होता है।
- संशोधित राजकोषीय मार्ग में वित्त वर्ष 2020-21 तक **राजकोषीय घाटे को GDP के 3 प्रतिशत तक लाने और 2024-25 तक केन्द्रीय सरकार के ऋण को GDP के 40 प्रतिशत तक लाने** की परिकल्पना की गई है।

केंद्रीय सरकार की प्राप्तियाँ

वृहद रूप से केंद्रीय सरकार की प्राप्तियों को ऋण-भिन्न (ग़ैर-ऋण) और ऋण प्राप्तियों में विभाजित किया जा सकता है।

- ऋण-भिन्न प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, ऋणों की वसूली और विनिवेश से होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं।
- ऋण प्राप्तियों में अधिकांशतः बाजार उधार और ऐसी अन्य देनदारियां शामिल हैं, जिन्हें सरकार को भविष्य में चुकाना पड़ता है।

केंद्र सरकार के वित्त साधन

- **प्राप्तियों की प्रवृत्ति:** बजट 2018-19 में केंद्रीय सरकार की ऋण-भिन्न प्राप्तियों में काफी हद तक उच्च वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था (जो निवल कर-राजस्व और कर-राजस्व में होने वाली सुदृढ़ वृद्धि से प्रेरित था)। परन्तु निवल कर राजस्व में कमी के कारण अनंतिम वास्तविक आंकड़ों में परिणाम बजट अनुमान की तुलना में कम है।
    - **कर राजस्व:** मोटे तौर पर 51 प्रतिशत सकल कर राजस्व (GTR) प्रत्यक्ष करों से प्राप्त किया जाना अनुमानित था और शेष 49 प्रतिशत करों से GTR हेतु **निगम कर (Corporate tax)** का योगदान सर्वाधिक था तथा इसके पश्चात् GST का स्थान था। जबकि सीमा-शुल्क का योगदान सबसे कम था।

Figure 3: Tax to GDP ratio (in per cent)

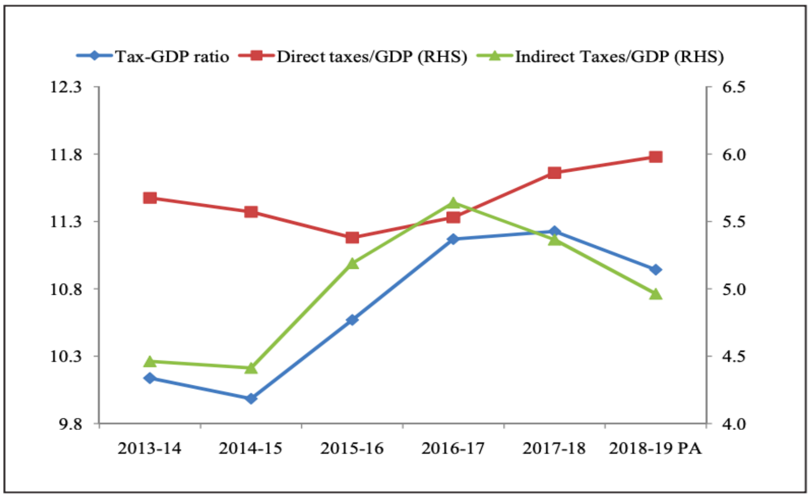

        - निगम कर के प्रदर्शन में सुधार आने के कारण प्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुई है। तथापि, अप्रत्यक्ष करों में बजट अनुमान से गिरावट आई है। यह मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व में गिरावट दर्ज हुई है।
        - यद्यपि पिछले छह वर्षों में GDP के अनुपात में कर में सुधार हुआ है (चित्र 3), GDP के अनुपात के रूप में सकल कर राजस्व 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान 0.3 प्रतिशतांक गिरा है।
        - चूँकि भारत का **कर-GDP अनुपात निम्न है,** अतः सरकार राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए निवेश एवं अवसंरचना विस्तार हेतु पर्याप्त वित्त प्रदान करने की चुनौती का सामना करती है।

  - पिछले वर्षों में बेहतर कर प्रशासन, स्रोत पर कर कटौती का विस्तार करने, कर वंचनरोधी उपायों और प्रभावी करदाता आधार में वृद्धि के कारण प्रत्यक्ष कर में उछाल आया है।
- **कर-भिन्न (ग़ैर-कर) राजस्व:** 2018-19 में कर-भिन्न राजस्व GDP का लगभग 1.3 प्रतिशत है।
  - कर-भिन्न राजस्व में कुछ वर्षों के दौरान वृद्धि (उदाहरणस्वरूप- 2013-14) तथा अन्य कुछ वर्षों के दौरान कमी (उदाहरणस्वरुप- 2017-18) की मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई है।

कर-भिन्न राजस्व में मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश तथा लाभ (जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को अंतरित अधिशेष शामिल है) और विदेशी अनुदान तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं।

- **ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ:** इनमें मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूली तथा विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं।
  - **पिछले कुछ वर्षों में** ऋणों की वसूली में कमी आई है।
  - **विनिवेश:** वर्ष 2018-19 के लिए विनिवेश हेतु बजट अनुमान 0.80 लाभ करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs), बिक्री के लिए प्रस्ताव (OFS), वापसी खरीद, एक्सचेंज में व्यापारित निधियों (ETF) जैसी विभिन्न लिखतों का उपयोग करके 0.85 लाख करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था।

Figure 7: Composition of Expenditure in 2018-19 RE

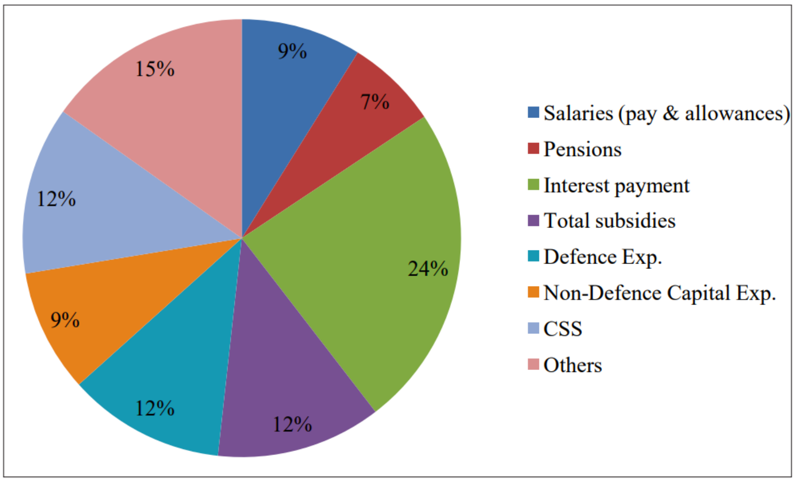

- **व्यय की प्रवृत्तियाँ:** GDP के प्रतिशत के रूप में 2017-18 की तुलना में 2018-19 (अनंतिम वास्तविक आकड़े) में कुल व्यय 0.3 प्रतिशांक गिरा। इसमें राजस्व व्यय में 0.4 प्रतिशांक की कटौती हुई और पूंजी व्यय में 0.1 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई।
  - केंद्र सरकार के व्यय के युक्तिकरण हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं; जैसे कि
    - सब्सिडियों का बेहतर लक्ष्यीकरण
    - केंद्रीय क्षेत्रक की एवं केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का नवीनीकरण एवं पुनर्वर्गीकरण
    - मेक II प्रक्रिया के माध्यम से रक्षा उद्योग में स्वदेशीकरण एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना

Figure 6A: Revenue & Capital Expenditure as per cent of GDP

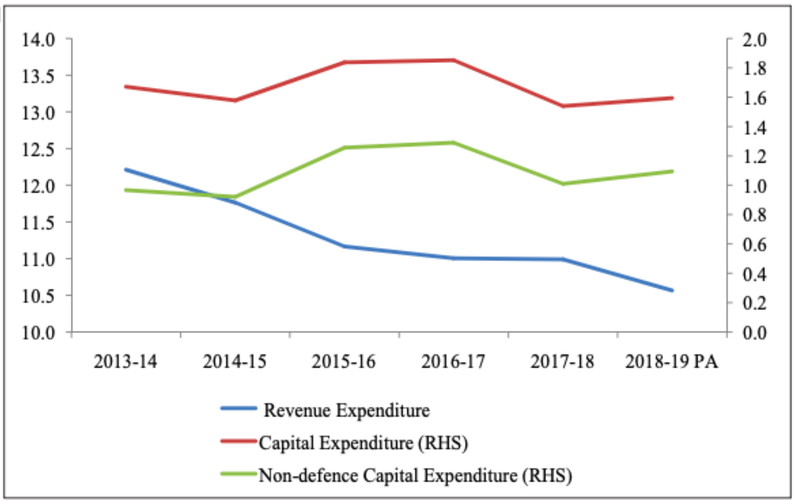

    - इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) नामक रक्षा क्षेत्र हेतु एक नवाचार इकोप्रणाली आरंभ की गई थी। iDEX का उद्देश्य रक्षा तथा विमान निर्माण तकनीक में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इकोप्रणाली तैयार करना है।

- रक्षा उत्पादन संबंधी सभी प्रकार के प्रश्नों की एकल समाधान व्यवस्था के रूप में कार्य करने हेतु रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) में एक रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ को क्रियाशील बनाया गया है।
- विभिन्न अन्य कारणों जैसे- कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में कमी, पेट्रोलियम मूल्यों का विनियंत्रण आदि विभिन्न कारकों ने राजस्व व्यय की कमी में योगदान दिया है।

Figure 6: Revenue and Capital Expenditure as per cent of Total Expenditure

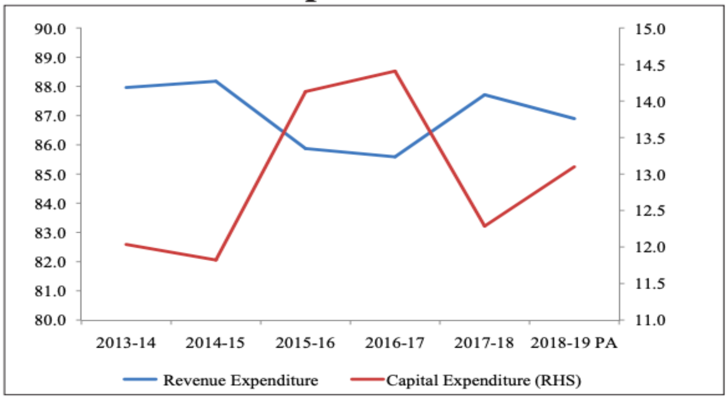

- **राज्यों को अंतरण:** निरपेक्ष स्वरूप और GDP के प्रतिशत के रूप में, दोनों में राज्यों को कुल अंतरण 2014-15 और 2018-19 के बीच बढ़ा है (संशोधित अनुमान)।
- **केन्द्रीय सरकार के ऋण:** GDP के अनुपात के रूप में केन्द्रीय सरकार की कुल देनदारियाँ, विशेष रूप से FRBM अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद से, लगातार घट रही हैं। यह राजकोषीय समेकन प्रयासों के साथ-साथ तुलनात्मक रूप से उच्च GDP वृद्धि, दोनों का एक परिणाम है।
  - केन्द्रीय सरकार के ऋण निम्न मुद्रा स्थिति और ब्याज दर जोखिमों पर आधारित होते हैं। यह ऋण पोर्टफोलियो में विदेशी ऋण की कम हिस्सेदारी और लगभग संपूर्ण विदेशी ऋण आधिकारिक स्रोतों से लिए जाने के कारण है।

Figure 12: Trend in Centre's Debt-GDP ratio (in per cent)

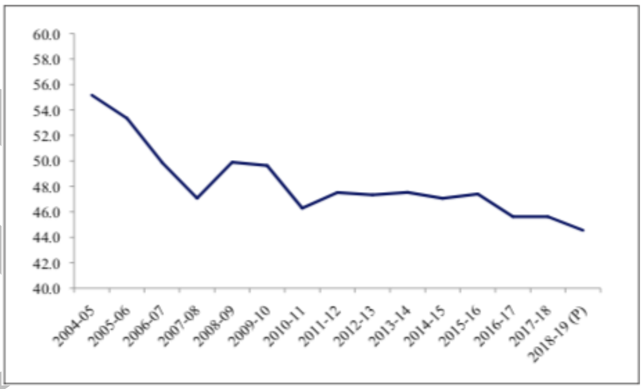

- **राजकोषीय घाटा:** वित्त वर्ष 2018-19 GDP के 3.4 प्रतिशत राजकोषीय घाटे और ऋण-जीडीपी अनुपात 44.5 प्रतिशत (अनंतिम) के साथ समाप्त हुआ है।

राज्य वित्त और सामान्य सरकार

- **राज्य वित्त-** 2017-18 (संशोधित अनुमान) में राज्य स्वामित्व वाले कर एवं कर-भिन्न राजस्व में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित हुई। ऐसा माना जा रहा है कि यह 2018-19 (बजट अनुमान) में बनी रहेगी।
  - GDP के प्रतिशत के अनुसार राज्यों की बकाया देनदारियां 2014-15 के बाद से बढ़ गई हैं। 2015-16 और 2016-17 में 'उदय बॉन्डों' को जारी करने, कृषि संबंधी ऋणों की माफी और वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से ऋण-जीडीपी अनुपात उच्चतर हुआ है।

Figure 16A: Gross Fiscal Deficit of States (as per cent of GDP)

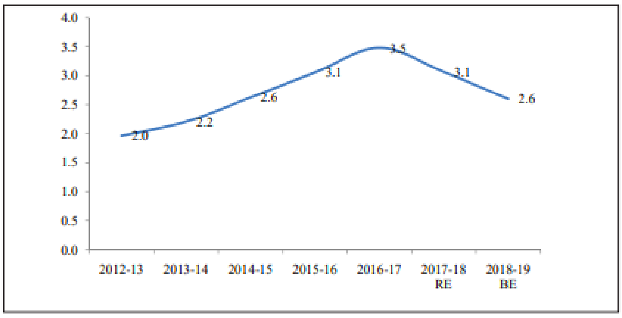

  - **सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्य)** राजकोषीय समेकन तथा राजकोषीय अनुशासन के पथ पर है।
    - केन्द्र और राज्यों की संयुक्त देनदारियां मार्च, 2016 की समाप्ति पर GDP के 68.5 प्रतिशत से घटकर मार्च, 2018 की समाप्ति पर GDP का 67 प्रतिशत हो गईं।

- केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 6.4 प्रतिशत से आगे और घटकर 2018-19 (बजट अनुमान) में जीडीपी के 5.8 प्रतिशत रहने की संभावना है।

2019-20 हेतु संभावना

राजकोषीय मोर्चे पर आगामी वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

- संवृद्धि दर के धीमी रहने की आशंका है, जिससे राजस्व संग्रहण पर प्रभाव पड़ेगा।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 GST संग्रहण में कमी के साथ समाप्त हुआ है। इस तरह से GST के राजस्व में वृद्धि होना, केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों के लिए संसाधन स्थिति के सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- संसाधनों को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) तथा आयुष्मान भारत के साथ-साथ नई सरकार की नई पहलों में भी लगाया जाना है, अतः इन्हें संशोधित पथ के अनुसार राजकोषीय घाटे से समझौता किए बिना जुटाया जाना होगा।
- अमेरिका द्वारा ईरान से तेल के आयात की मंजूरी रोके जाने से तेल की कीमतों पर प्रभाव पड़ने और इसके कारण पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ ही इसके चालू खाता बकाया के लिए निहितार्थ तो हैं ही।
- पंद्रहवां वित्त आयोग अप्रैल, 2020 की शुरुआत से अगले पांच वर्षों के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसकी सिफारिशें, विशेष रूप से जो करों के अंतरण से संबंधित हैं, केन्द्रीय सरकार के वित्तीय साधनों पर प्रभाव डालेंगी।

अध्याय 3 : मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

(Monetary Management and Financial Intermediation)

विषय-वस्तु

2018-19 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

- **मौद्रिक नीति:** विगत वर्ष मौद्रिक नीति में एक बड़ा उलटफेर देखा गया, चूँकि **बेंचमार्क नीति दर** में पहले 50 आधार अंकों की बढ़त की गई और बाद में विभिन्न कारणों से 75 आधार अंकों की कमी की गई। इन कारणों में शामिल हैं:
  - अपेक्षित स्तर से कमजोर मुद्रास्फीति, वृद्धि में मंदी, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, अमेरिका-चीन व्यापारिक वार्ता के सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा, अपेक्षाकृत शिथिल अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक स्थितियाँ आदि।
- **मौद्रिक समुच्चयों में वृद्धि:** वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण और वर्ष 2017-18 में पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया के कारण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने वाली मौद्रिक वृद्धि दर अपनी दीर्घकालिक प्रवृत्ति में प्रत्यावर्तित हो गई है।
  - इस अवधि के दौरान आरक्षित मुद्रा (M0) और व्यापक मुद्रा (M3) दोनों में विस्तार देखा गया है। हालाँकि मौद्रिक गुणक (M3/M0) में लगातार दो वर्षों 2017-18 और 2018-19 में गिरावट देखी गई, जो M3 की तुलना में M0 में तीव्र गति से विस्तार को प्रतिबिंबित करती है।

- **आरक्षित मुद्रा (Reserve Money) (M0):** परिचालन में मुद्रा + RBI में जमा बैंकों की राशि + RBI में जमा अन्य राशियाँ।
- **व्यापक मुद्रा (Broad Money) (M3):** जनता के पास मुद्रा + बैंकिंग प्रणाली में मांग जमाएँ + बैंकिंग प्रणाली में आवधिक जमाएँ।

तरलता की प्रावस्था और इसका प्रबंधन

- **वर्तमान स्थिति:** वर्ष 2018-19 में, **नकदी की प्रावस्था में यथाक्रम तंगी** परिलक्षित हुई।
  - तरलता में यह तंगी बैंक **ऋण में वृद्धि, प्रचलन मुद्रा में वृद्धि और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय दर की अस्थिरता को कम करने** के लिए **विदेशी मुद्रा भंडार में कमी करने के कारण** आई है। परिणामस्वरूप प्रणाली से 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की नकदी का निकास किया गया।
- **इस स्थिति के लिए RBI द्वारा उठाए गए कदम**
  - **खुले बाजार की संक्रियाओं के माध्यम से नकदी का प्रवेश कराना,**
  - **चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु तरलता प्राप्ति की सुविधा (FALLCR) में वृद्धि करना**, जो उच्च गुणवत्ता वाले संपार्श्विक के विरुद्ध रेपो बाजार से तरलता प्राप्त करने के लिए बैंकों की क्षमता का पूरक बनी।
  - **संविधिक तरलता अनुपात (SLR) को कम करना।**
  - दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा क्रय-विक्रय के माध्यम से रुपए की तरलता में वृद्धि करना।

सरकारी प्रतिभूति (G-sec) बाजार का विकास

- वर्ष 2018-19 के दौरान **सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) पर प्रतिफल की 10 वर्षीय बेंचमार्क बहुत ही अस्थिर रही है** और यह तेल की कीमतों, घरेलू 'तरलता' और रूपए की विनिमय दर का अनुसरण करती रही है।

बैंकिंग क्षेत्र

- वर्ष **2018-19 में बैंकिग क्षेत्र (घरेलू परिचालन),** विशेष कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के कार्य-संचालन में **सुधार** हुआ है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की 'सकल गैर-निष्पादक अग्रिम (GNPA)' अनुपात मार्च, 2018 और दिसम्बर, 2018 के बीच 11.5 प्रतिशत से कम होकर 10.1 प्रतिशत तक आ गया था।
- मार्च, 2018 से दिसंबर, 2018 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का GNPA अनुपात 15.5 प्रतिशत से घटकर 13.9 प्रतिशत हो गया।

- इस अवधि के दौरान **पुनः संरचित मानक अग्रिम (RSA) अनुपात एवं दबावग्रस्त अग्रिम (SA) अनुपात** में कमी आई है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के पूंजीगत जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) में सुधार के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के CRAR में अत्यधिक वृद्धि हुई।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

- **NBFCs की भूमिका:** NBFCs ने संसाधनों को जुटाने और ऋण मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने बैंकों के ऋण की निम्न वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने में वाणिज्यिक क्षेत्रक की सहायता की है।
  - NBFCs बहुत हद तक सार्वजनिक कोष पर निर्भर करती हैं, जिसका इस क्षेत्र के कुल दायित्व में 70 प्रतिशत अंश है।
  - **बैंक उधारी, डिबेन्चर्स और वाणिज्यिक पेपर N**BFCs के कोष के बड़े स्रोत हैं।
- **तरलता संकट: हालांकि** IL&FS समूह की **अधोगति एवं डिफ़ॉल्ट (ऋण चूक) के पश्चात् वर्ष 2018-19 में इसने अत्यधिक कठिनाइयों** का सामना किया।
  - IL&FS के संकट के तत्काल बाद NBFCs को **नकदी के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा क्योंकि म्यूचुअल फण्ड्स** ने NBFCs को ऋण देना बंद कर दिया।
  - अन्य सूचकांक (जैसे CRAR, GNPA) भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए।
  - **सरकार ने** इस मुद्दे को नियंत्रित करने हेतु **उपाय किए**, परिणामस्वरूप कुछ समय के लिए बैंकिंग क्षेत्र से **NBFCs की ओर संसाधनों के प्रवाह में सुधार हुआ।**

पूंजी बाजार का विकास

- **प्राथमिक बाजार में,** विगत वर्ष की तुलना में **इक्विटी के पब्लिक इशू (public issue) और राइट्स इशू**।
  - 2018-19 के दौरान डेब्ट पब्लिक इशू के माध्यम से संसाधनों के संग्रहण में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई।
- इस अवधि के दौरान, **म्यूचुअल फंड उद्योगों में निवल अंतर्वाह था तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के निवेश का निवल बहिर्वाह था**।

बीमा क्षेत्रक

- बीमा क्षेत्रक को लोगों को **हानि और अनिश्चितता से बचाने के लिए एक साधन के रूप में विकसित किया गया है।**
  - यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति की मृत्यु, सम्पत्ति हानि आदि के दुर्घटनापरक जोखिम से बचाता है।
  - बीमा क्षेत्रक बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है और व्यक्तियों को दीर्घावधि वित्त भी प्रदान करता है। इससे राष्ट्र के अवसंरचनात्मक विकास और दीर्घावधिक योजनाओं में भी सहायता प्राप्त होती है।
- बीमा क्षेत्रक की क्षमता और निष्पादन का सामान्यतया दो मापदंडों के आधार पर मापन किया जाता है यथा- **बीमा-विस्तार और बीमा-घनत्व।**
  - बीमा-विस्तार जो कि वर्ष 2001 में 2.71 प्रतिशत था, वर्ष 2017 में बढ़कर 3.69 प्रतिशत हो गया (जीवन बीमा 2.76 प्रतिशत और गैर-जीवन बीमा 0.93 प्रतिशत)।
  - भारत में **बीमा-घनत्व** वर्ष 2001 में 11.5 अमेरिकी डॉलर हो गया (जीवन बीमा- 55 डॉलर गैर जीवन बीमा- 18 डॉलर)।
  - **विश्व स्तर पर बीमा-विस्तार और घनत्व वर्ष** 2017 में जीवन बीमा क्षेत्रक के लिए क्रमशः 3.33 प्रतिशत और 353 अमेरिकी डॉलर था तथा गैर-जीवन बीमा क्षेत्रक के लिए क्रमशः 2.80 प्रतिशत और 297 अमेरिकी डॉलर था।

विस्तार और घनत्व के इन मापदंडों से किसी क्षेत्र में बीमा क्षेत्रक के विकास के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

- **बीमा-विस्तार** का मापन सकल घरेलू उत्पाद में बीमा प्रीमियम की प्रतिशतता के रूप में होता है।
- **बीमा-घनत्व** की गणना प्रीमियम के जनसंख्या से अनुपात के रूप में की जाती है।

शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016 : कारपोरेट संकटग्रस्तता का समाधान करने का नवीन प्रतिमान

- बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते NPAs की समस्या का समाधान करने के लिए शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 को अधिनियमित किया गया।

VISION IAS

- IBC में संकटग्रस्त कॉरपोरेट देनदारों (CDs) के लिए समाधान प्राप्त करने और इस कार्य में असफल रहने पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के बिना हस्तक्षेप के पर्यवेक्षण के अधीन समयबद्ध तरीके से इनके परिसमापन की व्यवस्था की गई है।
- वित्तीय लेनदारों (FCs) को लेनदारों की समिति के माध्यम से व्यापक भूमिका और शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत देनदार की परिसंपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण ऐसे इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल (IPs) को सौंपा जाएगा, जो किसी चालू कारोबार के रूप में देनदार के उपक्रम का प्रचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है और अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के अतिरिक्त कॉरपोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (CIRP) का प्रबंधन भी करता है।

- इस इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क के साथ संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के लिए कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं, जैसे RBI ने वर्तमान दिशा-निर्देशों को संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु सुसंगत और सरलीकृत जेनेरिक फ्रेमवर्क से प्रतिस्थापित किया, जैसे प्रोजेक्ट सशक्त आदि।

IBC का कार्यान्वयन

- IBC के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) एवं इसकी पीठों और भारतीय शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) की स्थापना की तथा इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज़ (IPAs) को पंजीकृत किया।
- माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्विस रिबंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य वाद में IBC की संवैधानिक विधि मान्यता को पूर्ण रूप से उचित ठहराया।

निष्पादित प्रगति

- IBC के प्रचालन के आरंभ होने के 27 माह के भीतर, IBC के अधीन CIRPs आरंभ करने के लिए 14,000 आवेदन दायर किए गए।
- IBC को संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करने और अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने तथा निगमित देनदारों द्वारा भुगतान अनुपालन को लागू करने के एक व्यवहार्य मार्ग के रूप में देखा जा रहा है।
- IBC ने एक प्रभावी समाधान को सुविधाजनक बनाते हुए संकटग्रस्त व्यवसायों का चालू कारोबार के रूप में प्रबंधन हेतु एक नए पेशेवरों (IPs) के कैडर के सृजन को सक्षम बनाया है।
- नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) को IBBI द्वारा प्रथम इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज (IU) के रूप में पंजीकृत किया गया। NeSL को प्रदत्त सूचना के विवरण लेनदारों द्वारा IU के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। IU के वर्धित उपयोग से सूचना विषमता समाप्त होने और IBC के अधीन कार्यान्वयन समय-सीमाओं में सुधार आने की संभावना है।
- सर्वाधिक मामले स्टील, तीव्र उपभोग वाली उपभोक्ता वस्तुओं (FMCG) जैसे उद्योगों को कवर करने वाले विनिर्माण क्षेत्रक से दर्ज किए गए हैं। इसके पश्चात् रियल एस्टेट क्षेत्रक का स्थान था।

संस्थागत प्रतिक्रिया

- प्रक्रिया और परिणामों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाने हेतु IBC में संशोधनों के दो सेट जारी किए गए।
  - शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा धारा 29क की पुनःस्थापना की गई, जिसमें निर्धारित अयोग्यताओं वाले व्यक्तियों द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने पर रोक लगाई गई है।
  - **शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2018** ने लेनदारों की समिति द्वारा निर्णय निर्माण के लिए आरंभिक सीमा (थ्रेशहोल्ड) को कम करके संचालन को आसान बनाया है। इस संशोधन ने भवन क्रेताओं को भी वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता प्रदान की।
- NCLTs और NCLAT शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के लिए अधिनिर्णयन और अपीलीय प्राधिकरण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- जैसे-जैसे IBC के कार्यान्वयन में प्रगति हुई, अन्य नियामकों और एजेंसियां, जैसे- SEBI, RBI आदि ने भी IBC के प्रभावी

VISION IAS

कार्यान्वयन के लिए अपने संबंधित नियमों और विनियमों में विभिन्न संशोधन किए।

IBC का प्रभाव

- **व्यवहारवादी परिवर्तन:** IBC ने ऋण की चूक (डिफ़ॉल्ट) को लेकर प्रवर्तकों और प्रबंधन के दृष्टिकोण और व्यवहार के तरीके पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। इसने उधारदाताओं और उधारकर्ताओं तथा प्रवर्तकों एवं लेनदारों के मध्य एक सांस्कृतिक परिवर्तन को आरंभ किया है।
  - प्रवर्तकों के लिए कंपनी का नियंत्रण खो देने और दीर्घकालिक विधिक कार्यवाहियों का भय अनेक कारपोरेट चूककर्ताओं (डिफॉल्टरों) पर दिवालियापन प्रक्रिया आरंभ किए जा सकने से पूर्व ही उनके ऋण भुगतान करने का दबाव बनता है।
- **संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में वृद्धि:** IBC के अधिनिगमन से पूर्व, उधारदाताओं के पास लोक अदालत, ऋण वसूली अधिकरण और SARFAESI अधिनियम के माध्यम से वसूली तंत्र उपलब्ध थे। ये तंत्र IBC की तुलना में वसूली पर अधिक केन्द्रित हैं, जबकि IBC लेनदारों के लिए प्रतिफलों को अधिकतम करते हुए देनदारों के टर्नअराउंड (वित्तीय स्थिति वर्तन) पर लक्षित है। IBC के अधीन लगभग 43 प्रतिशत की तुलना में पूर्व के ये तंत्र उधारदाताओं के लिए केवल 23 प्रतिशत की औसत वसूली कर सके थे।

उपलब्धियां एवं स्वीकार्यताएँ

- भारत वर्ष 2014 के 134 की तुलना में वर्ष 2019 में 'दिवालियापन का समाधान करने' की अपनी रैंक में सुधार लाकर 108 पर पहुंच गया है।
- भारत ने 2018 में अधिकतम उन्नत अधिकारिता के लिए वैश्विक पुनर्संरचना समीक्षा (Global Restructuring Review : GRR) अवार्ड प्राप्त किया।

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

- IBBI ने स्नातक दिवाला कार्यक्रम (GIP) की घोषणा की है, यह अपने प्रकार का प्रथम कार्यक्रम है। यह उन लोगों के लिए है जो IPs की विद्या को आजीविका के रूप में अथवा मूल्य श्रृंखला में अन्य भूमिकाओं को अपनाने के इच्छुक हैं।
- IICA में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में घटनाक्रम तथा इसके प्रभावी क्षेत्रों के लिए सर्वोच्च संस्थान के रूप में कार्य करने हेतु शोधन अक्षमता और दिवालियापन केंद्र (CIB) की स्थापना की गई।

आगे की राह

- **सीमा-पारीय दिवालियापन (क्रास-बॉर्डर इंसॉल्वेंसी) :** UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन क्रास-बॉर्डर इंसॉल्वेंसी (मॉडल विधि) प्रत्येक देश की आंतरिक शोधन अक्षमता और दिवालियापन विधियों में कम से कम अनुचित हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए सीमा-पारीय दिवालियापन मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए अत्यंत व्यापक स्तर पर अपनाई गई संरचना है।
  - भारत ने मॉडल विधि को अपनाने के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए। इस संबंध में एक मसौदा विधेयक चर्चा हेतु जनता के समक्ष रखा गया है। अधिनियमन बन जाने पर यह विधि व्यापक विधायी और विनियामकीय संरचना के जरिए सीमा-पारीय दिवालियापन के मुख्य सिद्धांतों, पहुँच, मान्यता, राहत और सहयोग संबंधी मुद्दों का समाधान करेगी।
- **समूह दिवालियापन :** वर्तमान में, समान समूह से संबंधित विभिन्न कंपनियों के दिवालियापन का समाधान प्रत्येक कंपनी हेतु पृथक-पृथक दिवालियापन समाधान प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। इस संबंध में सुसंगत दृष्टिकोण द्वारा सूचना विषमता की समस्या का समाधान किया जा सकेगा, समन्वय की स्थिति स्थापित की जा सकेगी तथा दिवालियापन समाधान अवसंरचना में बाधाओं और संबंधित विलंब से बचाव हो सकेगा।
  - एक ही समूह की कंपनियों के दिवालियेपन का समाधान करने के लिए कानूनी रूपरेखा की आवश्यकता की पहचान करते हुए IBBI ने किसी कॉरपोरेट समूह में दिवालियापन समाधान और देनदारों के परिनिर्धारण में सुगमता लाने हेतु, भूतपूर्व सेबी अध्यक्ष श्री यू.के. सिन्हा के अधीन एक कार्यदल गठित किया।
- **व्यक्तियों की शोधन अक्षमता और दिवालियापन:** व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों के लिए शोधन अक्षमता कानून को लागू करने के समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौतियां विद्यमान हैं।
  - प्रक्रिया में शामिल जटिलताओं को पहचानते हुए व्यक्तियों की शोधन अक्षमता और दिवालियापन से निपटने वाले IBC

के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्यनीति और दृष्टिकोण सुझाने हेतु IBBI द्वारा भूतपूर्व विधि सचिव श्री पी.के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया।
  - व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों को आच्छादित करने हेतु IBC में संशोधन किया गया है।
- **NCLT क्षमता में सुधार:** NCLT और NCLAT की क्षमता की समय-समय पर समीक्षा करनी होगी और आवश्यक अवसंरचना सहायता उपलब्ध करानी होगी।
  - अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों से सुसंगत रहने हेतु एक केन्द्रीयकृत अनुसंधान विंग द्वारा NCLT को सहायता प्रदान की जा सकती है। यह कार्य मॉडल विधि के लागू होने के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
  - दिवालियापन मामलों के संबंध में समयबद्धता का कठोरता से अनुपालन करने हेतु NCLT द्वारा मामलों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग उन्नत बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  - प्रौद्योगिकी का उपयोग IBC के जमीनी स्तर पर प्रभाव की सतत समीक्षा और विश्लेषण हेतु डाटा माइनिंग के लिए भी किया जा सकता है।

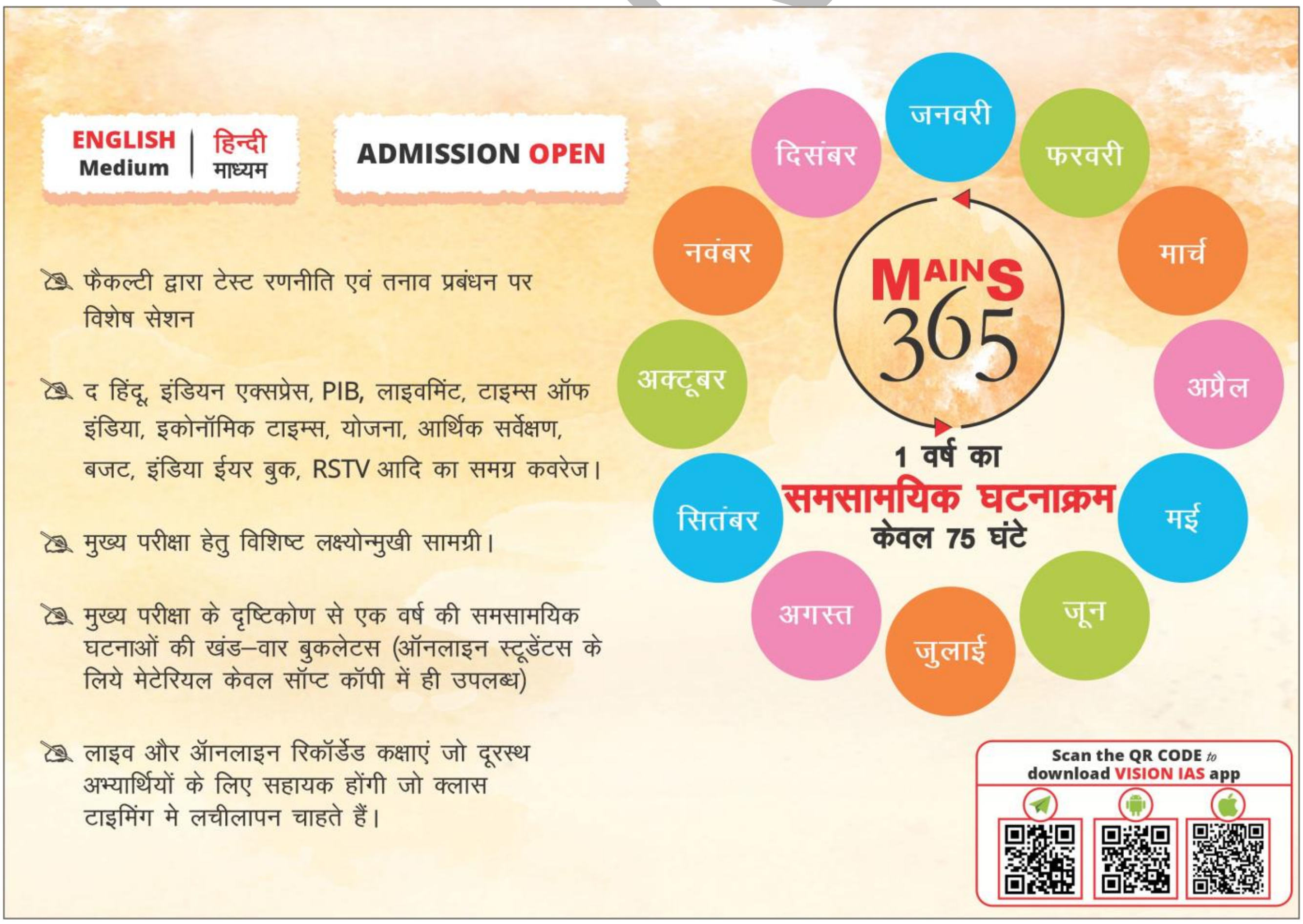

अध्याय 4 : कीमतें और मुद्रास्फीति

(Prices and Inflation)

विषय-वस्तु

- अर्थव्यवस्था में विगत पांच वर्षों में उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति से अपेक्षाकृत स्थिर और निम्न दर की मुद्रास्फीति की ओर संक्रमण दृष्टिगोचर हुआ है। राजकोषीय वर्ष 2018-2019 के दौरान, मुद्रास्फीति ने निम्न खाद्य मुद्रास्फीति के आधार पर अपने नीचे की ओर प्रक्षेपवक्र (trajectory) को जारी रखा है।
- यह अध्याय विभिन्न सूचकांकों, मुद्रास्फीति के कारकों और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किये गए सरकारी प्रयासों के माध्यम से मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।

मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियां

- **हेडलाइन मुद्रास्फीति-** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त **(CPI-C)** पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगातार पांचवें वित्तीय वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। विगत दो वर्षों में यह 4.0 प्रतिशत से नीचे रही है। वर्ष 2018-19 में गिरावट मुख्य रूप से निम्न खाद्य मुद्रास्फीति के कारण रही थी।
- **खाद्य मुद्रास्फीति-** उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में विगत राजकोषीय वर्ष के दौरान 0.1% की गिरावट आई है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में भी विगत दो वित्तीय वर्षों में गिरावट दर्ज की गई है।
- **थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति** वर्ष 2017-18 में 3% पर स्थिर रही है, जबकि यह वर्ष 2016-17 में 1.7% और वर्ष 2015-16 में -3.5% थी।
- वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान **CPI-C आधारित कोर मुद्रास्फीति** (खाद्य और ईंधन समूह को छोड़कर CPI) में वृद्धि हुई है। हालांकि, मार्च 2019 से इसमें गिरावट आरंभ हुई है।
    - कोर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के उस घटक के अनुरूप प्रवाहमान रहती है, जिसके दीर्घ समय तक बने रहने की संभावना होती है और यह अस्थायी उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती है।
    - चूँकि हेडलाइन मुद्रास्फीति अल्पावधिक उतार-चढ़ाव के कारण अस्थिरता प्रदर्शित करती है, फलतः कई देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा कोर इन्फ्लेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है।

Figure 4: Contribution to CPI - Combined inflation 2017-18 and 2018-19 (Share in per cent)

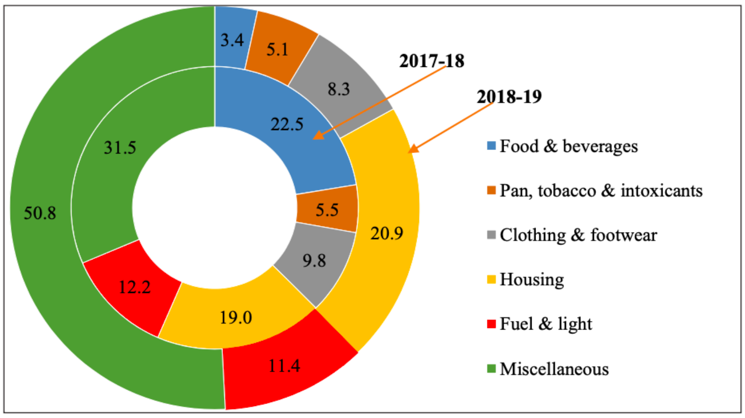

- **मुद्रास्फीति के कारक:** वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान CPI-C मुद्रास्फीति दर में मुख्य रूप से विविध समूहों और उसके बाद आवासन, ईंधन तथा बिजली समूहों के कारण परिवर्तन हुआ था।
    - वस्तु मुद्रास्फीति की तुलना में सेवा में मुद्रास्फीति अधिक रही है और दोनों के मध्य अंतर में वृद्धि हो रही है।
    - हालिया समय में सेवा मुद्रास्फीति ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को प्रभावित किया है, क्योंकि इसने अपने भारांश से अधिक योगदान दिया है।
    - वस्तु मुद्रास्फीति, जिसका CPI-C में 76.6 प्रतिशत योगदान रहा, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 3.2 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 2.6 प्रतिशत रही।

VISION IAS

- इसके विपरीत, सेवा मुद्रास्फीति (जिसका भारांश 23.4 प्रतिशत है) वर्ष 2017-18 के दौरान 5.0 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 6.3 प्रतिशत हो गई है।
- **ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति-** ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति, दोनों में कमी परिलक्षित हुई है, परन्तु जुलाई **2018** से शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। वर्षों से ग्रामीण मुद्रास्फीति के निर्धारण में खाद्य पदार्थों का महत्त्व घट रहा है। इसके विपरीत, ग्रामीण मुद्रास्फीति का निर्धारण करने वाली विविध श्रेणियों (उदाहरणार्थ सेवाओं) की भूमिका में वृद्धि हुई है।
- **राज्यवार मुद्रास्फीति-** वित्त वर्ष 2018-19 में राज्यों में मुद्रास्फीति (-) 1.9 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत के बीच रही, जो वित्त वर्ष 2017-18 में 1.5 प्रतिशत से 12.4 प्रतिशत थी।
  - वित्त वर्ष 2018-19 में अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मुद्रास्फीति दर अखिल भारतीय औसत से कम थी, जबकि दमन और दीव तथा हिमाचल प्रदेश (क्रमश:) की मुद्रास्फीति दर निम्नतम थी।
- **वैश्विक जिंस मूल्यों में प्रवृत्तियां:** विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित जिंस मूल्यों के अनुसार, राजकोषीय वर्ष 2018-19 में ऊर्जा जिंस मूल्यों में निरंतर वृद्धि जारी रही है।
  - विश्व बैंक और खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार भी खाद्य कीमतों में अवस्फीति दर्ज की गई है।

मुद्रास्फीति को रोकने के प्रयास

केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं:

- **सामान्य उपाय-**
  - वस्तुओं की अल्पकालीन आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए **राज्य सरकारों को** जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए **परामर्श (Advisories) जारी किये गए हैं।**
  - **प्रमुख वस्तुओं के मूल्यों और उपलब्धता पर नियमित समीक्षा बैठकें-** ये मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (PSFMC) और अन्य सहित उच्चतम स्तर पर आयोजित की जाती हैं।
  - उत्पादन को प्रोत्साहित करने, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि करने और उनके मूल्यों को संयत करने हेतु **विभिन्न फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा।**
  - कृषि-बागवानी जिंसों की अल्पावधि के दौरान खरीद के लिए **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) की स्थापना** (2017-18 और 2018-19 में प्याज के लिए किया गया था)।
- **विशिष्ट उपाय-**
  - **बफर स्टॉक की दलहन का उपयोग मूल्य प्रबंधन के लिए रणनीतिक बाजार हस्तक्षेप,** संस्थागत आवश्यकताओं (मिड-डे मील योजना जैसी योजनाओं के लिए) तथा सेना और केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है।
  - सरसों के तेल को छोड़कर (जिनके लिए एक न्यूनतम निर्यात मूल्य के साथ केवल 5 किलोग्राम तक के पैक में अनुमति दी गई है) खाद्य तेलों की **सभी किस्मों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया गया** है।
  - खाद्य तेलों और खाद्य तिलहन पर स्टॉक सीमा के संबंध में **राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर नियंत्रण आरोपित करने के आदेश को वापस ले लिया गया है।**

VISION IAS

अध्याय 5 : संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन

(Sustainable Development and Climate Change)

विषय-वस्तु

- भारत में बढ़ती हुई संवृद्धि दर और तीव्र शहरीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों की मांग को बढ़ा दिया है। यह पर्यावरण पर दबाव डाल रहा है और संधारणीयता संबंधी चिंताएं उत्पन्न कर रहा है। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बनकर उभरा है।
- संधारणीय विकास हेतु एजेंडा 2030 और वर्ष 2015 में अपनाए गए 17 SDGs, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरणीय संधारणीयता, शांति और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी देशों के लिए भविष्य के विकास पथ की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। भारत का विकास एजेंडा वस्तुतः डेवलपमेंट एजेंडा 2030 में प्रस्तावित विचारों से निकटता से संबंधित है।

SDGs को प्राप्त करना

SDGs वैश्विक लक्ष्य हैं, जो गरीबी और असमानता, आर्थिक संवृद्धि, नवाचार, संधारणीय उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, शांति और न्याय एवं सहभागिता के मुख्य क्षेत्रों पर बल देते हैं।

- कुछ अनुमानों के अनुसार, विश्व भर में इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 5 से 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और विकासशील देशों में प्रति वर्ष 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। हालांकि, विकासशील देशों में वर्तमान निवेश, प्रति वर्ष लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- इस पैमाने पर वैश्विक कार्रवाई के लिए तथा विश्व भर में प्रभावी वित्तपोषण और कार्यान्वयन हेतु विभिन्न सरकारों, विकास संस्थानों, निजी क्षेत्रक व वित्तीय संस्थानों के मध्य सुदृढ़ समन्वय की आवश्यकता है।

SDGs की दिशा में भारत की प्रगति

भारत योजनाओं की व्यापक श्रेणी के माध्यम से SDGs प्राप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण का पालन करता है। चूंकि कार्यक्रमों और योजनाओं को मूल रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर लागू किया जाता है, इसलिए उपयुक्त नीतिगत कार्यवाही के लिए प्रगति पर निगरानी रखना महत्वपूर्ण है।

- **प्रगति की निगरानी- नीति आयोग** ने 17 में से 13 SDGs (लक्ष्य 12, 13, 14 और 17 को छोड़कर) की प्रगति की निगरानी करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक मापनीय सूचकांक तैयार किया है।
    - 2018 में SDG सूचकांक प्राप्तांक (इंडेक्स स्कोर), राज्यों के मध्य 42 और 69 तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य 57 और 68 की सीमा के बीच था। उल्लेखनीय है कि 0 प्राप्तांक सर्वाधिक ख़राब प्रदर्शन का द्योतक है।
    - **कई राज्यों ने SDG 10 (असमानता में कमी) और SDG 15 (भूमि पर जीवन) की प्राप्ति के संदर्भ में 100 का प्राप्तांक प्राप्त किया है।** इसका श्रेय PMJDY, MGNREGA, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति और हरित राजमार्ग नीति जैसी पहलों को दिया जा सकता है।
    - **भारत SDG 5 (लैंगिक समानता) और SDG 11 (संधारणीय शहर और समुदाय) के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में राज्यों का प्राप्तांक 50 से कम है।**
    - **SDG समग्र भारत सूचकांक:** केरल और हिमाचल प्रदेश 69 के प्राप्तांक के साथ सभी राज्यों में अग्रणी हैं। UTs में, चंडीगढ़ व पुदुचेरी क्रमशः 68 और 65 के प्राप्तांक के साथ अग्रणी हैं।
- **नीतिगत सुझाव:** राष्ट्रीय संधारणीय विकास एजेंडा प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण, तकनीकी सहायता की चुनौतियों को पूरा करने तथा प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की प्रगति की सतत निगरानी करने के लिए **राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों के बीच निकट सहयोग** के साथ-साथ अन्य सभी संबंधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

गंगा - भारत की जीवन रेखा

नमामि गंगे मिशन के माध्यम से इसकी साफ-सफाई, SDG 6 (सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना) **की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।** प्रभावी कार्यान्वयन और राज्य एवं स्थानीय निकायों के साथ उचित

VISION IAS

सामंजस्य के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक प्राधिकरण के रूप में सशक्तीकरण किया गया है। नमामि गंगे मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं-

- **सीवरेज परियोजना प्रबंधन:** हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) तथा परिचालन व रखरखाव (O&M) को परियोजना लागत में सम्मिलित कर लिया गया है और 'एक शहर एक प्रचालक' के माध्यम से बेहतर शासन ने कार्यान्वियन में समन्वय के साथ प्रतिस्पर्धात्मकता और सकारात्मक बाजार सहभागिता सुनिश्चित की है।
- **शहरी स्वच्छता:** गंगा के प्रदूषण में 60% से अधिक योगदान देने वाले 10 प्राथमिकता वाले शहरों में आगामी वर्ष 2035 तक सीवेज उपचार संयंत्रों (STP) का निर्माण और पुन:स्थापन।
- **सीवरेज अवसंरचना:** नए STP के निर्माण और पुन:स्थापित STP की क्षमता बढ़ाने तथा सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए 150 सीवरेज परियोजनाओं (111 गंगा नदी पर और 39 सहायक नदियों पर) को स्वीकृति प्रदान की गई है।
    - मई 2019 तक, इनमें से 43 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी थीं।
- **औद्योगिक प्रदूषण:** 1,109 सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (GPIs) की पहचान और सर्वेक्षण किया गया। 2017 की तुलना में 2018 में प्रचालित GPIs का अनुपालन 39% से बढ़कर 76% हो गया।
    - समस्त प्रचालित GPIs की **ऑनलाइन सतत अवजल वहन अनुवीक्षण प्रणाली (Online Continuous Effluent Monitoring Systems: OCEMS)** को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) के सर्वरों के साथ जोड़ दिया गया है तथा GPIs गैर-अनुपालनों के विषयों में, जिला अधिकारियों और राज्य परियोजना प्रबंधन समूहों (SPMGs) के लिए SMS अलर्ट की एक प्रणाली आरंभ की गई है।
    - कागज और लुगदी उद्योग में तथा मद्यनिर्माणशाला उद्योग में ब्लैक लिकर डिस्चार्ज के शून्य लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।
- **जल गुणवत्ता:** नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 36 रियल टाइम जल गुणवत्ता निगरानी केंद्र (RTWQMS) परिचालनरत हैं।
    - विघटित ऑक्सीजन के स्तर में सुधार हुआ है तथा जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में कमी आई है (2017 बनाम 2018)। नदी पर जैविक प्रदूषण का भार भी कम हुआ है।
- **सार्वजनिक स्थान के रूप में गंगा:** मिशन के अंतर्गत 143 घाटों को लिया गया है जिनमें से 100 का कार्य पूर्ण हो गया है। मिशन के अंतर्गत, सुरक्षित दाह संस्कार सुनिश्चित करने के लिए 54 शवदाह गृहों को भी लिया गया है।
- **ग्रामीण स्वच्छता:** गंगा तट पर स्थित 4,465 गांवों को ODF घोषित किया गया है तथा गंगा किनारे स्थित 1,662 ग्राम पंचायतों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण:** गंगा के मार्ग में पड़ने वाले 5 राज्यों में व्यापक वनीकरण अभियान आरंभ किया गया है, जिसके कारण वन क्षेत्र में 8,631 हेक्टेयर वृद्धि हुई है।
- **शहरी नदी प्रबंधन:** नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के साथ मिलकर NMCG, शहर के भीतर नदी की स्वास्थ्य स्थिति का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए, नदियों की बिगड़ती स्थिति रोकने के लिए और जल संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करने के लिए **शहरी नदी प्रबंधन योजना** तैयार कर रहा है।
    - समग्र गंगा खंड का **हाई-रिज़ॉल्यूशन लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LIDAR)** मानचित्र तैयार किया जाएगा।
- **जल उपयोग दक्षता:** जैसा कि मथुरा रिफाइनरी में किया गया है, उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए बाजार विकसित किया जा रहा है।
- **स्वच्छ गंगा निधि:** कॉर्पोरेट और व्यक्तियों को इस निधि में योगदान करके और कुछ परियोजनाओं को प्रायोजित करके, गंगा नदी के कायाकल्प के प्रयासों में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए स्वच्छ गंगा निधि स्थापित की गई है।

संसाधन दक्षता (RE)

- **संसाधन सक्षम विकास** दृष्टिकोण का अनिवार्यत: अभिप्राय विभिन्न नीतियों और उपायों के माध्यम से उपभोग और उत्पादन दोनों प्रक्रियाओं में अपशिष्ट के प्रगामी न्यूनीकरण के साथ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का संक्रमण है।

VISIONIAS

- **आठ अन्य SDG लक्ष्यों (2, 6, 7, 8, 9, 11, 14 और 15)** के साथ-साथ 'संधारणीय उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करने से' संबंधित **SDG 12** का संसाधन दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। **सरकार की संसाधन दक्षता के लिए प्राथमिकता** मेक इन इंडिया,शून्य प्रभाव-शून्य दोष योजना (ज़ीरो इफेक्ट- ज़ीरो डिफेक्ट), स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत और गंगा कायाकल्प मिशन जैसी **विभिन्न नीतियों/कार्यक्रमों में परिलक्षित होती है।**
- **भारत के लिए वर्तमान और भावी अनुमान**
  - 2010 में, विश्व स्तर पर निष्कर्षित कच्चे माल के उपभोग में भारत की हिस्सेदारी 7.2% थी। कुल उत्पादन लागत में सामग्री लागत का भारत की औसत हिस्सेदारी 70% से अधिक थी और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पुनर्चक्रण की दर बहुत कम है।
  - वर्ष 2010 में भारत ने 5 बिलियन टन बायोमास, जीवाश्म ईंधन, खनिज और धातुओं का उपभोग किया था और चीन (21.5 बिलियन टन) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (6.1 बिलियन टन) के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता था।
  - 2030 तक 8% की निरंतर आर्थिक वृद्धि की धारणा के अंतर्गत **भारत की कुल सामग्री की मांग 2030 तक दोगुनी से अधिक हो जाएगी।** बढ़ती आबादी की मांग को बनाए रखने के लिए भारत को लगभग 6.5 बिलियन टन खनिजों की आवश्यकता होगी।
- **भारत में संसाधन दक्षता बढ़ाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्रकों का मूल्यांकन**
  - प्रभावी संसाधन दक्षता रणनीति से विनिर्माण क्षेत्र में **6,000 करोड़ रूपये की बचत** हो सकती है। वाहनों के जीवनचक्र के अंत से इस्पात निष्कर्षण से लगभग **2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि एक टन इस्पात स्क्रैप के पुनर्चक्रण से 1.4 टन लौह अयस्क, 0.6-0.7 टन कोकिंग कोयला और लगभग 0.2-0.3 टन फ्लक्स की बचत की जा सकती है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन लागत कम होगी, जिससे लगभग 16-17 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होगी।
  - ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर, 2017 ने आकलन किया है कि भारत वर्ष 2016 में लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट का उत्पादन करने वाला **पांचवा सबसे बड़ा ई-अपशिष्ट का उत्पादक देश था** और यदि ई-अपशिष्ट का उचित ढंग से खनन किया गया होता तो इससे 55 बिलियन यूरो मूल्य का कच्चा माल अर्जित किया जा सकता था। शहरी ई-अपशिष्ट के खनन से **1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना** निष्कर्षित किया जा सकता है।
  - प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों से **14 लाख रोजगार** सृजित हो सकते हैं।

भारत में नीति आयोग के कार्यनीतिक दस्तावेज "चक्रीय अर्थव्यवस्था (CE) और संसाधन दक्षता (RE) – वर्तमान स्थिति और आगे की राह" द्वारा यथा अनुशंसित संसाधन दक्षता ढांचे के छह स्तंभ निम्नलिखित है:

- **नीतियां -** सभी प्रकार के संसाधनों (जैविक, अजैविक) के लिए भारत में संसाधन दक्षता पर राष्ट्रीय नीति;
- संसाधन दक्षता पहलों के **कार्यक्रम** और उन्हें **मुख्यधारा में लाना;**
- **विनियमन,** जैसे- राष्ट्रीय समन्वयक निकाय - संसाधन दक्षता ब्यूरो (BRE);
- **गतिशील पुनर्चक्रण उद्योग;**
- **अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी विकास; तथा**
- **क्षमता विकास, आउटरीच और निगरानी।**

वायु प्रदूषण

भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। सरकार, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत चार प्रमुख प्रदूषकों - सल्फर डाइऑक्साइड, PM 10, PM 2.5 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। सरकार की प्रमुख पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

VISION IAS

Figure 8: SO_2 Concentrations in Major Cities

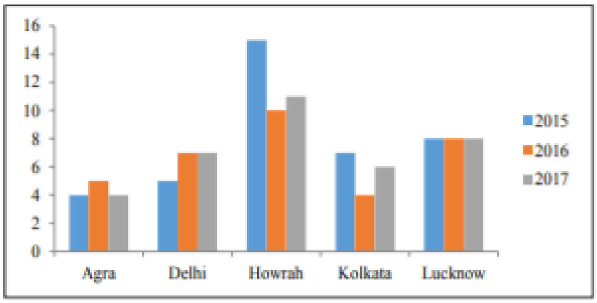

Source: MoEF&CC

Figure 9: NO_2 Concentrations in Major Cities

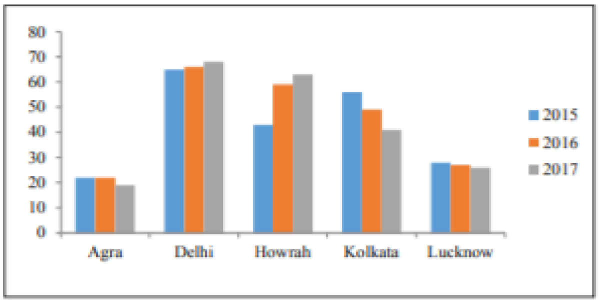

Source: MoEF&CC

Figure 10: PM_{10} Concentrations in Major Cities

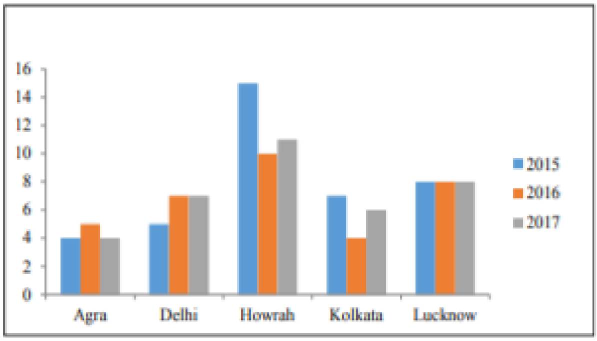

Source: MoEF&CC

Figure 11: $PM_{2.5}$ Concentrations in Major Cities

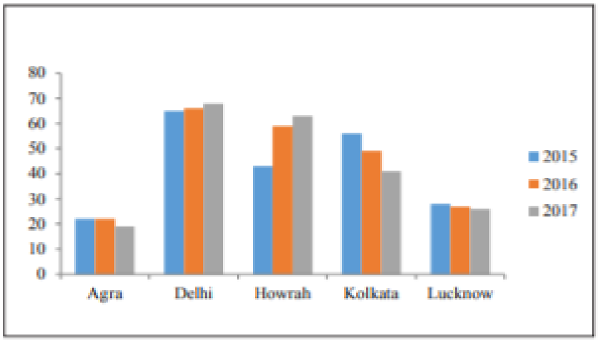

Source: MoEF&CC

- **राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS),** परिवेशी वायु गुणवत्ता के वे मानक हैं जो वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत CPCB द्वारा विभिन्न चिन्हित प्रदूषकों के संदर्भ में अधिसूचित किए गए हैं। **NAAQS के प्रमुख उद्देश्य हैं-**
  - वनस्पति, स्वास्थ्य और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वायु गुणवत्ता स्तर और उचित सीमा को इंगित करना।
  - राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक समान मानक प्रदान करना।
- **वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI),** विभिन्न प्रदूषकों के जटिल वायु गुणवत्ता डेटा को एकल संख्या (सूचकांक मूल्य), नामावली और रंग में परिवर्तित करता है। लोगों के लिए इसे समझना आसान होता है। AQI की 6 श्रेणियां हैं- अच्छा, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर।
- CPCB ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) सहित प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का शमन करने व 42 उपायों के कार्यान्वयन के लिए वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत **व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।** इसमें वाहनों के उत्सर्जन, सड़क पर उड़ने वाली धूल-मिट्टी और अन्य अस्थायी उत्सर्जनों, बायोमास/नगरपालिका द्वारा एकत्रित ठोस अपशिष्ट को जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से संबंधित नियंत्रण और शमन उपाय व अन्य सामान्य उपाय सम्मिलित हैं।
- सरकार ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए **श्रेणीकृत अनुक्रिया कार्य योजना** (Graded Response Action Plan) अधिसूचित की है, जिसमें AQI श्रेणियों और संबंधित व्यापक स्वास्थ्य परामर्श के अनुसार, प्रत्येक स्रोत के लिए श्रेणीकृत उपाय सम्मिलित हैं।
- MoEF&CC ने अखिल भारतीय समयबद्ध राष्ट्र-स्तरीय कार्यनीति के रूप में 2019 में **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का शुभारंभ किया है।** इसका **समग्र उद्देश्य** देश भर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क में वृद्धि करने के अतिरिक्त वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए व्यापक प्रबंधन योजना तैयार करना है।
  - 2017 को आधार वर्ष मानते हुए NCAP के अंतर्गत वर्ष 2024 तक PM2.5 और PM10 की सांद्रता में 20-30 प्रतिशत की कमी का अंतरिम राष्ट्र-स्तरीय लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

VISION

जलवायु परिवर्तन

- जलवायु परिवर्तन के खतरों की अनुक्रिया में, वैश्विक समुदाय ने विभिन्न उपायों को अपनाया है, जैसे कि 1992 में **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)**, 1997 में **क्योटो प्रोटोकॉल** और 2015 में नवीनतम सर्वाधिक महत्वाकांक्षी **पेरिस समझौता**। उल्लेखनीय है कि पेरिस समझौता वर्ष 2020 के बाद की जलवायु कार्यवाहियों का रोडमैप निर्धारित करता है।
- **पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य** वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को औद्योगिकीकरण-पूर्व स्तर से ठीक 2°C नीचे बनाए रखना है और औद्योगिकीकरण-पूर्व स्तर से ऊपर 1.5°C तक तापमान वृद्धि को सीमित रखने के प्रयासों का अनुगमन करना है।
- **वैश्विक तापन:** हाल की जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की 1.5°C वैश्विक तापन पर विशेष रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में मानव-जनित तापन औद्योगिकीकरण-पूर्व स्तर के ऊपर लगभग 1°C (0.8°C और 1.2°C के बीच संभावना) तक पहुंच गया। यह प्रति दशक लगभग 0.2°C की दर से बढ़ रहा है।
    - वैश्विक प्रवृत्ति के अनुसार, वर्ष 2018 के दौरान, **भारत का वार्षिक औसत भूपृष्ठीय (सतही) वायु का तापमान + 0.41°C था, जो सामान्य से काफी अधिक था।**
- **जलवायु के संबंध में भारत की गतिविधियां:** भारत समतापूर्ण और साझा परन्तु विभेदीकृत उत्तरदायित्वों (Equity and Common but Differentiated Responsibilities) के सिद्धांतों के आधार पर जलवायु गतिविधियों का कार्यान्वयन कर रहा है।
    - 2008 में प्रारंभ **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2020 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 20 से 25 प्रतिशत कम करने की भारत की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुख्य अनुकूलन आवश्यकताओं व वैज्ञानिक ज्ञान के सृजन और तत्परता पर ध्यान केंद्रित करना भी था।
    - जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए NAPCC की तर्ज पर **जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएं (SAPCC)** भी तैयार की गयी हैं। अभी तक, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी SAPCC तैयार की है।
    - **जलवायु परिवर्तन कार्यवाही कार्यक्रम (Climate Change Action Programme: CCAP)** को **वर्ष 2014** में आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्रीय व राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण और सहायता करना, जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता को मजबूत बनाना, उपयुक्त संस्थागत ढांचे की स्थापना करना और संधारणीय विकास के संदर्भ में जलवायु से संबंधित कार्रवाइयों को कार्यान्वित करना है।
    - 2015 में **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि** की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की लागत को पूरा करना है, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सुभेद्य हैं। यह योजना 31 मार्च 2020 तक जारी रहेगी।
- दिसंबर 2018 में UNFCCC को भारत की **दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR)** प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट दर्शाती है:
    - कि 2005 और 2014 के बीच **भारत की GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 21% की कमी आई** और 2020 पूर्व अवधि के लिए जलवायु संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति सही दिशा में है।
    - भारत में सभी गतिविधियों {भू-उपयोग, भू-उपयोग परिवर्तन और वानिकी (LULUCF) को छोड़कर} से कुल 2.607 बिलियन टन CO_2 के बराबर GHG उत्सर्जन हुआ। ऊर्जा क्षेत्रक की हिस्सेदारी 73%, औद्योगिक प्रक्रियाओं और उत्पाद उपयोग (IPPU) की 8%, कृषि की 16% और अपशिष्ट क्षेत्रक की 3% थी।
    - वनभूमि, कृषिभूमि और मानव बस्तियों की कार्बन सिंक कार्यवाही द्वारा लगभग 12% उत्सर्जन को समायोजित किया गया।

केटोवाइस पैकेज – मुख्य विशेषताएं

- **राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs)** पर मार्गदर्शन वस्तुतः पेरिस समझौते के सिद्धांतों को अपनाए जाने की ओर इंगित

VISIONIAS

करता है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित देशों के नेतृत्व को मान्यता प्रदान करता है।
- **अनुकूलन पर मार्गदर्शन** वस्तुतः विकासशील देशों की अनुकूलन आवश्यकताओं को मान्यता देता है। विकासशील देशों की अनुकूलन गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने संबंधी प्रावधानों का समावेश करते हुए **विभेदन** व्यवस्था लागू की गई है।
- **संवर्धित पारदर्शिता फ्रेमवर्क** विकासशील देशों हेतु लचीलापन प्रदान करते हुए वर्तमान दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
- **वित्त संबंधी प्रावधानों पर मार्गदर्शन** विकासशील देशों को कार्यान्वयन संबंधी साधन उपलब्ध कराने के लिए विकसित देशों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है तथा जलवायु वित्त की आवश्यकता के एक नवीन एवं सहवर्ती और जलवायु विशिष्ट घटक को मान्यता प्रदान करता है।
- पक्षकारों ने वर्ष 2020 के बाद 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शुरुआत करते हुए नवीन सामूहिक वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करने पर काम आरंभ करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
- **प्रौद्योगिकी के लिए अतिमहत्वपूर्ण** फ्रेमवर्क वस्तुतः इस ढांचे को कार्यात्मक बनाने के लिए संवर्धित सहायता की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है और प्रौद्योगिकी विकास व हस्तांतरण के सभी चरणों को व्यापक रूप से सम्मिलित करता है।

- **केटोवाइस जलवायु पैकेज:** पेरिस करार कार्ययोजना (Paris Agreement Work Programme: PWAP) को पोलैंड के केटोवाइस में आयोजित UNFCCC के 24वें COP (कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज) में अपनाया गया था।
    - **भारत ने अपने मुख्य हितों की रक्षा करते हुए** वार्ताओं में सकारात्मक और रचनात्मक रूप से भाग लिया, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: विकसित और विकासशील देशों के लिए भिन्न-भिन्न प्रारंभिक बिंदुओं को मान्यता देना; विकासशील देशों के लिए **लचीलापन** अपनाना तथा **साझा** परन्तु विभेदित उत्तरदायित्वों व सापेक्षिक क्षमताओं (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities: CBDR-RC) के सिद्धांतों पर विचार करना।
    - **जलवायु वित्त:** जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई समयबद्ध और पर्याप्त वित्त प्रदायगी पर निर्भर है। यद्यपि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जलवायु वित्त प्रवाह के संबंध में विकसित देशों के विभिन्न दावों का साक्षी बना, तथापि प्रवाह की वास्तविक मात्रा इन दावों से काफी दूर रही। पर्याप्त जलवायु वित्त के बिना प्रस्तावित NDC फलीभूत नहीं होगा। जलवायु कार्रवाई पर बहस में **जलवायु वित्त के तीन आवश्यक 'S'** घटकों की कमी दिखाई देती है।

जलवायु वित्त के तीन आवश्यक 'S' घटक
- **विषय-क्षेत्र (स्कोप):**
    - जलवायु वित्त को देश की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विकासशील देशों की अनुकूलन और न्यूनीकरण दोनों प्रकार की गतिविधियों में सहायता करनी चाहिए।
    - कुछ और महत्वपूर्ण मापदंडों, जैसे- 'जुटाए' गए या 'लीवरेज्ड' निजी जलवायु वित्त प्रवाहों से कैसे व्यवहार किया जाए, "नवीन और अतिरिक्त" फंड पर स्पष्टता आदि को भी इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
- **मान (स्केल):**
    - विकासशील देशों की जलवायु वित्त संबंधी आवश्यकताओं के अत्यधिक व्यापक होने की संभावना है। धनी देशों के लोगों की तुलना में निर्धन देशों के लोगों की चरम मौसमी घटनाओं से विस्थापित होने की संभावना औसतन पांच गुना अधिक होती है।
    - इस शताब्दी के मध्य तक, विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन की लागत प्रति वर्ष 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, भले ही वैश्विक औसत तापमान 2°C से नीचे बना रहे।
- **गति (स्पीड):**
    - फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार, बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन निधियों के संकल्प और अनुमोदन संबंधी निष्पादन में पिछड़ापन दृष्टिगोचर होता है। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य के विपरीत, निवल जलवायु-विशिष्ट सहायता के रूप में प्राक्कलित कुल जलवायु वित्त, रिपोर्ट किए गए जलवायु वित्त की तुलना में बहुत कम है। नवीन जलवायु-विशिष्ट सहायता मात्र 16-21 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

VISION IAS

- **भारत का राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC):** भारत का NDC वस्तुतः वर्ष 2020 के उपरांत जलवायु संबंधी गतिविधियों को रेखांकित करता है। भारत का उद्देश्य इन गतिविधियों को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अंतर्गत पूरा करना है।
  - भारत को कृषि और वानिकी, मत्स्य संसाधन, जल संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुकूलन कार्रवाइयों के कार्यान्वयन के लिए 2015 से 2030 के बीच 206 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2014-15 की कीमतों पर) की आवश्यकता होगी।
  - इसके अतिरिक्त, NDC वर्तमान से लेकर 2030 तक की अवधि के दौरान भारत की जलवायु परिवर्तन कार्रवाइयां पूरा करने के लिए प्रारंभिक कुल अनुमान भी प्रदान करता है, जो 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- **संधारणीय वित्तीय कार्यक्षेत्र में घटनाक्रम:**
  - घरेलू सार्वजनिक बजट और अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त के साथ-साथ विभिन्न स्रोतों, विशेष रूप से निजी क्षेत्र, से संसाधन जुटाने होंगे।
  - **पूंजीगत बाजार उत्पादों** को बैंकों की तुलन-पत्र क्षमता को मुक्त करने और नए वहनीय निवेशों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए बैंकों को ऋण प्रदान करने की अनुमति देना चाहिए। वहनीय वित्त के लिए संभावित पूंजी बाजार संरचनाओं में **रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs)** सम्मिलित हो सकते हैं।
  - वैश्विक स्तर पर, **ग्रीन बॉण्ड बाजार** में पिछले 5 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भारत में **SEBI ने ग्रीन बॉण्ड जारी करने के विनियम जारी किए हैं**। इसके चलते भारत वैश्विक बाजार रैंकिंग में 11 वें स्थान पर है और उभरते बाजारों में प्रमाणित जलवायु बॉण्ड्स में संख्या के हिसाब से भारत की हिस्सेदारी 33% है।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

- यह भारत द्वारा प्रथम संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में इसका शुभारंभ किया था और यह 6 अप्रैल 2017 को अस्तित्व में आया।
- जून 2019 की स्थिति के अनुसार, इस पर 75 देश हस्ताक्षर कर चुके थे जिनमें से 52 देशों द्वारा ISA फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन कर दिया गया है। 3 अक्टूबर 2018 को ISA की पहली बैठक आहूत की गई थी।
- अभी तक ISA ने **पांच कार्यक्रम** आरंभ किए हैं: कृषि उपयोग के लिए सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों का आकलन करना; किए गए आकलन के लिए वहनीय वित्त; लघु सौर ऊर्जा ग्रिडों का आकलन करना; छतों पर लगाए गए सौर ऊर्जा संयंत्रों का आकलन करना; तथा ई-परिवहन और भंडारण में सौर ऊर्जा का आकलन करना।
- कामचलाऊ से ISA अब एक कार्रवाई उन्मुख अंतरराष्ट्रीय संगठन में बदल गया है, जो सदस्य देशों के सामूहिक नेतृत्व और पर्यवेक्षण के अंतर्गत नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

ISA - मुख्य पहलें

- अन्य घटकों के साथ-साथ, सदस्य देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों के साथ ISA की संबद्धता व भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा वित्तपोषण के परिणामरूवरूप 15 देशों में 27 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया है। भारत के रियायती वित्तपोषण के माध्यम से इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- **"एक्शन टू ट्रांजेक्शन"** बैठकें अभिनव मंच हैं जहां परियोजना विकासकर्ताओं और बैंकरों को एक साथ लाया गया है और ISA देशों में 238 परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की गई है।
- सौर परियोजनाओं के जोखिमों और वित्तीय लागत को कम करने व **सामान्य जोखिम न्यूनीकरण तंत्र** तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक और एजेंस फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट (Agence Française de Dévelopment: AFD) मिलकर संयुक्त रूप से **वैश्विक सौर ऊर्जा जोखिम न्यूनीकरण (SRMI)** पहल विकसित कर रहे हैं, जो विभिन्न मुद्दों से निपटने का एक एकीकृत उपागम है।
- ISA ने विभिन्न MDB, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, जलवायु संसद, यूरोपीय आयोग, राष्ट्रमंडल सचिवालय और अन्य अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर सरकारी संगठनों के साथ **वित्तीय साझेदारी की है।**

VISION IAS

- ISA देशों में असाधारण कार्य करने वाले सौर वैज्ञानिकों के लिए **ISA सौर पुरस्कार** आरंभ किया गया है, जिसमें हरियाणा सरकार की ओर से 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एकबारगी निधि अंशदान के रूप में प्रदत्त की गयी है।

आगे की राह

- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सामना की जाने वाली असंख्य विकासात्मक चुनौतियों को देखते हुए, SDGs की प्राप्ति में **पर्याप्त संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है** और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।
- विभिन्न विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की बढ़ती मांग को देखते हुए, नीतियों को उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम निर्गत प्राप्त करने की दिशा में **आर्थिक कारकों को सहारा देने की आवश्यकता है**। भारत की नीतियों ने पहले ही इस दिशा में सही पहल की है।
- 2030 तक इस लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिए **वित्तीय संसाधनों और प्रौद्योगिकी का पर्याप्त आकलन करने** की आवश्यकता है। विकसित देशों द्वारा 'नवीन और अतिरिक्त' वित्तीय संसाधनों के प्रावधान के माध्यम से वचनबद्धता को पूरा करना महत्वपूर्ण प्रासंगिक कारक है।
- अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय जलवायु संबंधी गतिविधियों के लिए अनुकूल पर्यावरण की स्थापना पर अपने उत्तरदायित्वों के संबंध में कार्यवाही हेतु आवश्यक रूख का प्रदर्शन करे।

VISION IAS

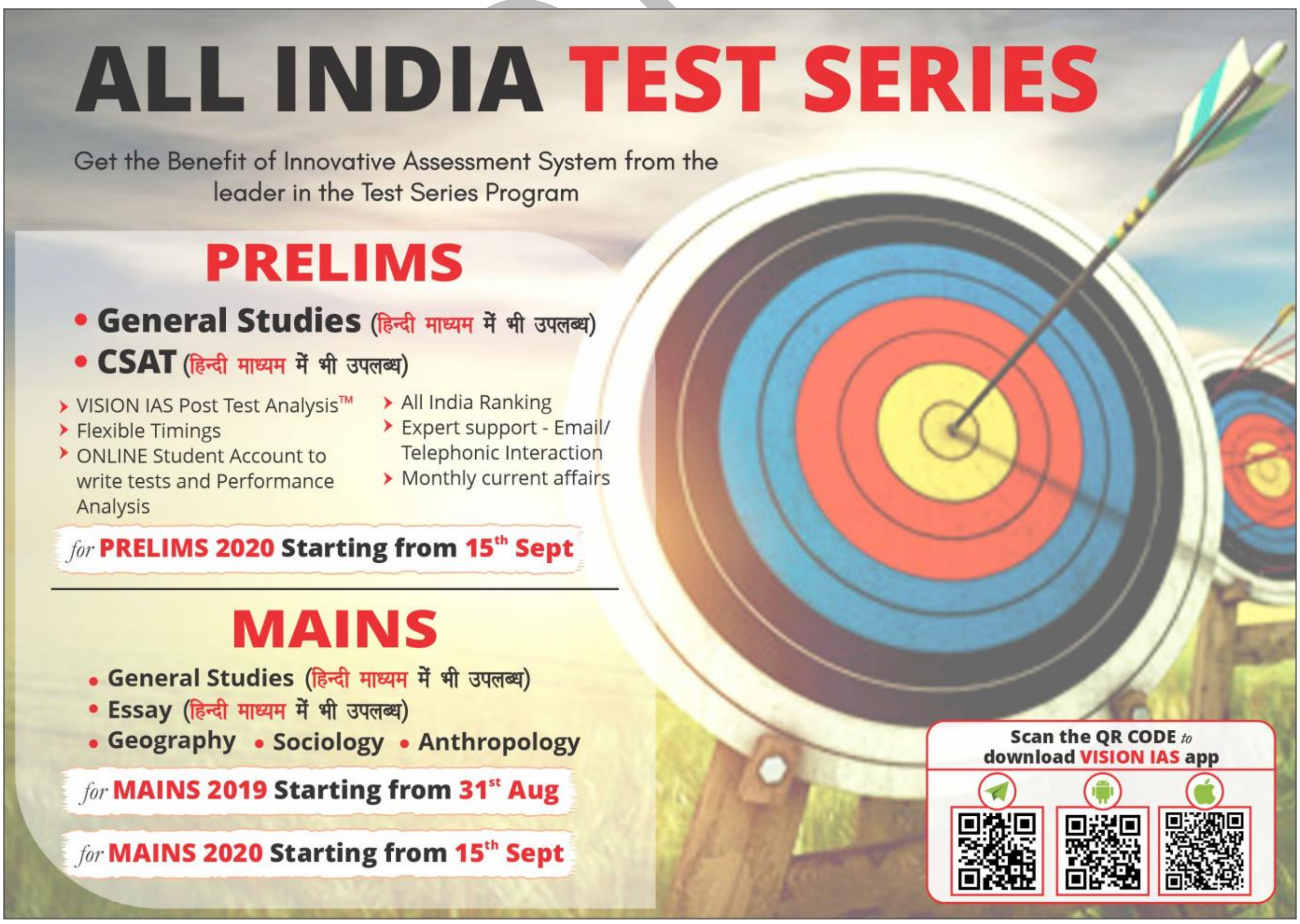

अध्याय 6 : वैदेशिक क्षेत्र

(External Sector)

विषय-वस्तु

वैदेशिक स्तर पर भारत की समष्टिगत आर्थिक स्थिति स्थिर रही है। हाल ही में यद्यपि GDP के अनुपात में चालू खाता घाटे में वृद्धि हो रही है, वहीं वैदेशिक ऋणग्रस्तता में कमी हो रही है।

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में गिरावट के कारण निर्यात और भी प्रतिस्पर्धी हो गए हैं।

वैश्विक आर्थिक परिवेश (Global Economic Environment)

- वर्ल्ड इकॉनमिक आउटलुक (WEO) के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2018 की **3.6** प्रतिशत से वर्ष 2019 में **3.3** प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। इस वैश्विक गिरावट के **मुख्य कारण** निम्नलिखित हैं-
    - **व्यापार तनाव** - इसका कारण विश्व में बढ़ता व्यापार संरक्षणवाद है, जिसे मुख्यतः अमरीका-चीन व्यापार तनावों ने और अधिक बढ़ा दिया है।
    - **अस्थायी आघात** - जैसे संयुक्त राज्य में फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन तथा जर्मनी के ऑटोमेटिव क्षेत्र में उत्पादन संबंधी समस्याएं।
    - **प्रभाव:**
        - इस **गिरावट** के कारण उन्नत देशों ने अपनी समायोजनकारी मौद्रिक नीति को जारी रखा है, जिसने **उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं** को अपनी मुद्राओं को सुदृढ़ तथा आयात को सस्ता कर **पोर्टफोलियो निवेश को बढ़ाया है**।
        - व्यापार संरक्षणवाद द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन को एक देश से अन्य देश की ओर स्थानांतरित करेगा क्योंकि व्यापार घाटे का मूल कारण समष्टिगत आर्थिक असंतुलन है।
- WEO द्वारा तदनुसार परामर्श दिया गया है कि, बहुपक्षीय स्तर पर, विरूपणयोग्य बाधाओं में वृद्धि किए बिना, देशों को सहयोगपूर्वक व्यापार असहमतियों का समाधान करना चाहिए, सामान्यतः उस स्थिति में जब वस्तुओं और कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि (अमरीका-ईरान संकट के कारण) आरंभ हो गई हैं और भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर हैं।
- विगत कुछ वर्षों में भुगतान संतुलन (BOP) की प्रकृति में एक स्थानिक परिवर्तन हुआ है।
    - वर्ष 2011 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में चालू खाता घाटे की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि तब से इसमें निरंतर गिरावट हुई है और वर्ष 2017 में चालू खाता घाटा, चालू खाता अधिशेष के रूप में परिवर्तित हो गया है।
    - दूसरी ओर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का 2011 का 379 बिलियन अमेरिकी डॉलर का चालू खता अधिशेष घटकर 2017 में 0.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था।
    - **यह विश्व के उपभोग केंद्र के, विकसित से अल्प विकसित देशों की ओर स्थानांतरण** को दर्शाता है।

भारत के संबंध में भुगतान संतुलन संबंधी प्रगति

- **चालू खाता सम्बन्धी प्रगति-**
    - **चालू खाता घाटा-** यद्यपि इसके 2017-18 में GDP के 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में GDP के 2.4 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है, तथापि यह युक्तिसंगत स्तर के भीतर है।
        - **यह बढ़ता चालू खाता घाटा,** दो वर्षों में **व्यापार घाटे में** GDP के 6.0 प्रतिशत से **6.7 प्रतिशत तक की अवनति के कारण हुआ है।**

VISION IAS

- **कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और पण्य निर्यातों में तीव्र गिरावट,** व्यापार घाटे में अवनति के कारण रहे हैं।
- हालांकि, **विप्रेषण में तीव्र वृद्धि** ने चालू खाता घाटे की **गिरावट को कुछ सीमा तक कम** किया है।
- चालू खाता घाटा के वित्तपोषण में, **सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल देनदारियां**, ऋण और गैर-ऋण दोनों घटकों में 2015 के 43 प्रतिशत **से घटकर** 2018 के अंत में लगभग 38 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी हैं।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है तथा सकल देयताओं में निवल पोर्टफोलियो निवेश में गिरावट आई है जो चालू खाते के घाटे के वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के प्रति संक्रमण को दर्शाता है।

○ **पण्य व्यापार की व्यापक प्रवृतियाँ:** 2016-17 से 2017-18 तक पण्य निर्यात और पण्य आयात दोनों में वृद्धि हुई है। हालांकि, इसके बाद 2018-19 में पण्य निर्यात और आयात दोनों की वार्षिक वृद्धि दर में कमी हुई है।
- पण्य व्यापार में वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स (POL) निर्यात में उच्च वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई है।

Figure 34: Top 10 Export Destinations of India in 2018-19

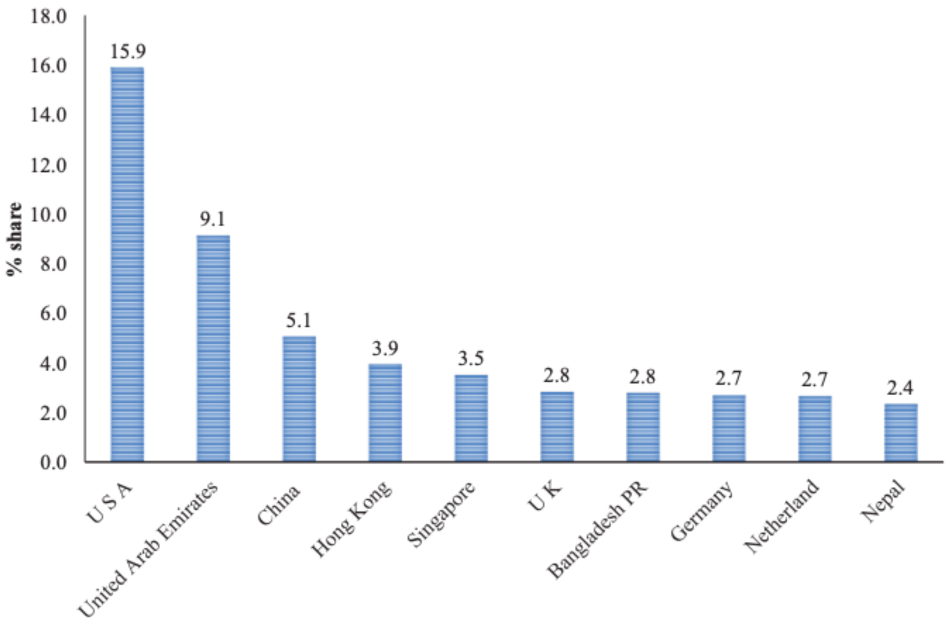

- **2018-19 में भारत की निर्यात टोकरी (बास्केट) में 14.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पेट्रोलियम उत्पाद शीर्ष पर** है, इसके बाद मोती और बहुमूल्य पत्थर, ड्रग फॉर्म्युलेशन, स्वर्ण और आभूषण, लौह-इस्पात आदि की हिस्सेदारी है।
- पण्य आयात में वृद्धि को भी POL आयात में तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- **क्रूड पेट्रोलियम** 22.2 प्रतिशत के हिस्से के साथ 2018-19 में **सबसे बड़ी आयातित वस्तु बना हुआ है**, इसके बाद स्वर्ण/चांदी, मोती, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर तथा पेट्रोलियम पदार्थों का स्थान है।

○ **अदृश्य मदों के रुझान (Trends in invisibles)**:
- निवल अदृश्य मदों के तीन प्रमुख घटकों में से, निवल सेवाओं में वर्ष 2018-19 में धीमी वृद्धि होने से पूर्व 2017-18 के आरंभ में तीव्र वृद्धि हुई थी।
  - ✓ पण्य व्यापार घाटे के वित्तपोषण हेतु निवल सेवाओं का योगदान वर्ष 2016-17 के 62.2 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 43.7 प्रतिशत हो गया है, जो हाल ही में सेवा निर्यात के अवमंदित (muted) प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है।
  - ✓ वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ कुल सेवा प्राप्तियों में लगभग 40 प्रतिशत के योगदान के साथ सॉफ्टवेयर सेवाएं सेवा निर्यात में प्रमुख चालक रही हैं।

Figure 35: Top 10 Import Sources of India in 2018-19

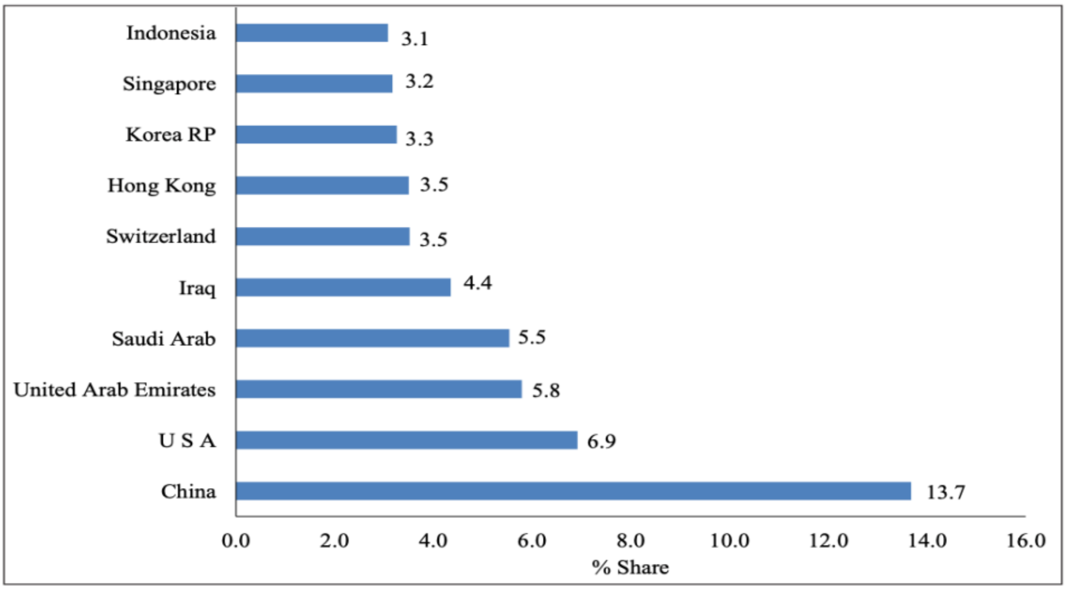

- **निवल निजी अंतरण प्राप्तियां** (मुख्य रूप से विदेश में कार्यरत भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाला विप्रेषण) 2017-18 के 11.5 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 (P) में 12.4 प्रतिशत रहीं।
  - **भारत** 2018 में 78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शीर्षस्थ विप्रेषण प्रवाह के साथ **शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश था।** इसके बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस एवं मिस्र का स्थान रहा।
- **BOP के पूंजी खाते की प्रगति:** 2018-19 के दौरान **निवल विदेशी निवेश में कमी आई है।** विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के अंतर्वाह में वृद्धि हुई थी, जिसका कारण पोर्टफोलियो निवेश के तहत निकासी की उच्च मात्रा थी, जो वैश्विक स्तर पर जोखिम के बढ़ने की आशंका को दर्शाता है। GDP के अनुपात में निवल FDI में 2018-19 में 1.2 प्रतिशत तक बढ़ने से पूर्व 2016-17 में 1.1 प्रतिशत से 2016-17 में 1.6 प्रतिशत तक की कमी हुई थी।
- **निवल बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) के तहत 2018-19** (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान विगत वर्ष की संगत अवधि के निवल बहिर्वाह की तुलना में **निवल अंतर्वाह में वृद्धि हुई है**। यह देश में संभवतः ऋण संकट (credit crunch) को प्रदर्शित करता है।
- **निवल NRI जमा में वृद्धि**
- समग्र रूप में, चालू खाता घाटे में वित्त पोषण की कमी के कारण पूंजी प्रवाह कम हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ह्रास हुआ था।
- दीर्घावधि में **चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के स्रोतों में परिवर्तन हुआ है।** 2009-14 में निवल पोर्टफोलियो निवेश के रूप में चालू खाता घाटे के 45.6 प्रतिशत का वित्तपोषण किया गया था, लेकिन 2014-19 में यह घटकर 17.1 प्रतिशत रह गया था। इस प्रकार विगत अवधि की तुलना में 2014-19 में चालू खाता घाटे का वित्तपोषण में पूंजी पलायन कम हुआ है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार:** भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 जून, 2019 तक 422.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। सांकेतिक आधार पर आकलित विदेशी मुद्रा भंडार में अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान कमी दर्ज की गई थी, हालाँकि पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसमें वृद्धि देखी गई थी।
  - विदेशी मुद्रा भंडार में पूर्व के कई वर्षों में गिरावट देखी गई थी, जैसे 2011-12, 2012-13 आदि के दौरान।

- **चालू खाता घाटे की समस्या का सामना कर रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, भारत के पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है** और इस संदर्भ में भारत का विश्व के सभी देशों में **आठवां** स्थान है।

- **विदेशी ऋण (External Debt) -** भारत का विदेशी ऋण दिसंबर, 2018 के अंत में 521.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। यह मार्च की तुलना में 1.6 प्रतिशत कम था।
  - मार्च 2018 के अंत की तुलना में दिसंबर 2018 के अंत तक दीर्घावधि ऋण में गिरावट हुई तथा इसकी 80.1 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
  - लघु अवधि ऋण में, व्यापार संबंधित ऋण में बढ़ोत्तरी के कारण मुख्य रूप से मार्च अंत 2018 की तुलना में दिसंबर अंत 2018 तक 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
  - 2017 में शीर्ष 20 विकासशील ऋणी देशों में सकल राष्ट्रीय आय (GNI) अनुपात में **भारत का विदेशी ऋण 19.8 प्रतिशत था जो निम्नतम से चौथे स्थान पर था**, जबकि चीन 14 प्रतिशत के साथ न्यूनतम अनुपात वाला देश रहा।
  - विदेशी मुद्रा भंडार (जिसमें विदेशी ऋण शामिल है) के मामले में **भारत 75.9 प्रतिशत के साथ शीर्ष से पांचवें स्थान** पर है, जबकि शीर्ष 20 विकासशील ऋणी देशों में विदेशी मुद्रा भंडार में 25.1 प्रतिशत अल्पकालिक ऋण के साथ भारत नीचे से पांचवें स्थान पर है।
  - यद्यपि **भारत** विकासशील देशों (चीन और ब्राजील के पश्चात) में **तीसरा सबसे बड़ा ऋणी देश** (कुल राशि के संदर्भ में) है। इसके **ऋण की औसत अवधि अत्यधिक** है, जिसके कुल ऋणों में लघु अवधि ऋण का अनुपात केवल लगभग 19.0 प्रतिशत है जबकि चीन का यह अनुपात 69 प्रतिशत है। **ऋण की उच्चतर अवधि रोल ओवर जोखिम को कम करती है।**
  - **ऋण- सेवा अनुपात:** यह ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने के कारण भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले दबावों की एक माप है।
    - ऋण सेवा अनुपात में 2016 तक वृद्धि हुई तथा इसके पश्चात् यह 2016 के 8.8 प्रतिशत के स्तर से निरंतर घटकर 2017 में 8.3 प्रतिशत और 2018 में 7.5 प्रतिशत हो गया।
    - 2016-17 और 2017-18 में ऋण सेवा, निर्यात में कुल बाह्य ऋण और निर्यात में ऋण सेवा का घटता अनुपात भारत के लिए लाभकारी हो सकता है।
  - **निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (Net International Investment Position: NIIP) -** IIP एक सांख्यिकीय विवरण है, जो किसी समय अर्थव्यवस्था के निवासियों की वित्तीय परिसंपत्तियों (गैर-निवासियों पर दावे या आरक्षित आस्तियों के रूप में रखे गए स्वर्ण बुलियन) और गैर-निवासियों के प्रति अर्थव्यवस्था के निवासियों की देनदारियों के मूल्यों को दर्शाता है (IMF)।
    - परिसंपत्तियों और देनदारियों के मध्य अंतर, IIP के तहत निवल स्थिति से संबंधित है और यह शेष विश्व के निवल दावों या निवल देयताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
    - एक **धनात्मक NIIP** मूल्य **एक ऋणदाता राष्ट्र को** जबकि एक नकारात्मक मूल्य एक ऋणी राष्ट्र को प्रदर्शित करता है।
    - IIP विवरण में कुल देनदारियां केवल विदेशी ऋण की तुलना में विदेशी ऋणग्रस्तता का अधिक व्यापक आकलन हैं क्योंकि बाहरी ऋणग्रस्तता में शुद्ध इक्विटी अंतर्वाह भी शामिल होती है, जिसका उपयोग चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
  - हालांकि, GDP के प्रतिशत के रूप में, IIP देनदारियों में 2011 से 2015 के मध्य वृद्धि हुई थी, इसे बाद से इनमें गिरावट हो रही हैं।

VISION IAS

- **विनिमय दर - भारतीय रुपया** 2017-18 के दौरान **उभरते बाजार** (EM) की सबसे **कम अस्थिर** मुद्राओं में से एक था। 2018-19 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में 7.8 प्रतिशत की गिरावट हुई थी, इसके अतिरिक्त, येन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग जैसी अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भी रुपये का मूल्यह्रास हुआ।
  - **नाममात्र या सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (NEER): NEER के** संदर्भ में, वित्त वर्ष 2018-19 में 2017-18 की तुलना रुपये में क्रमशः 7.1 और 5.6 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

Figure 29: Terms of Trade (Base Year 1999-2000)

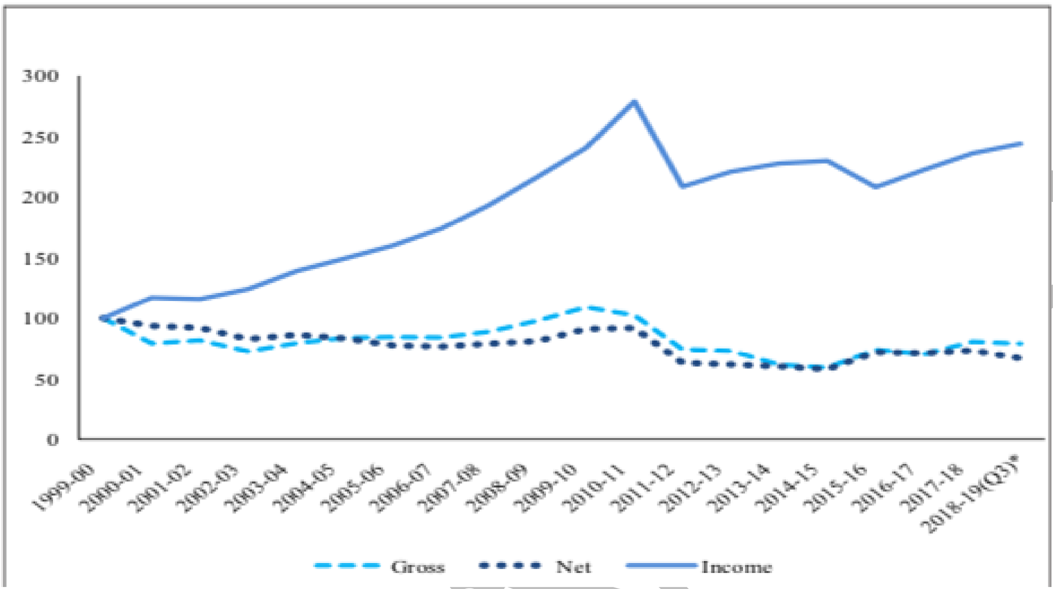

  - **वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER): REER के** संदर्भ में, रुपये में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में क्रमशः 5.8 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत की गिरावट हुई है।
  - **व्यापार की शर्तें (TOTs):** वस्तु अथवा किसी देश की व्यापार की निवल शर्तें (NTT), आधार वर्ष के सापेक्ष मापे गए निर्यात के इकाई मूल्य (मूल्य) और आयात के संगत इकाई मूल्य (मूल्य) का अनुपात होता है।
    - यदि इस अनुपात में वृद्धि होती है, तो इसका अर्थ यह होता है कि देश आयातों की प्रत्येक ईकाई के लिए प्राप्त किए जाने वाले निर्यात के मामले में अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त करता है; यदि यह अनुपात घटता है तो देश को अपेक्षाकृत कम प्राप्ति हो रही होती है।
    - व्यापार सूचकांकों के लिए उपयोग किए जाने वाले दो अन्य शब्द व्यापार की सकल शर्तें (GTT) और व्यापार की आय संबंधी शर्तें (ITT) हैं।
      - ✓ GTT किसी देश के आयातों एवं निर्यातों की कुल मात्रा का अनुपात होता है।
      - ✓ ITT, आयातों के इकाई मूल्य द्वारा विभाजित निर्यातों का मान होता है जिसका उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि आयात करने के लिए किसी देश की क्रय शक्ति कितनी बेहतर या ख़राब हो गई है।
      - ✓ विकासशील देशों के लिए IIT सबसे अधिक प्रासंगिक TOT संकेतक सिद्ध हुआ है क्योंकि वे विशेष रूप से आयात करने की अपनी क्षमता में परिवर्तन के बारे में अधिक चिंतित होते हैं। विशेष-कर ऐसी स्थिति में जबकि वे वस्तु आयात पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, जैसे कि भारत कच्चे तेल के आयात पर निर्भर रहा है।

व्यापार नीति की प्रगति

- भारत के सभी प्रमुख क्षेत्रीय समूहों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध है।
  - **यूरोप** में, यह **यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)** का एक हिस्सा है, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं।
  - **सार्क देशों** में, भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया गया है और दोनों देश द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) की संभावनाओं हेतु प्रयासरत हैं।

VISION

- **श्रीलंका** के साथ, भारत द्वारा भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISLFTA) किया गया है, जिसके तहत केवल कुछ उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान की जाती है।
- **लैटिन अमेरिकी** देशों में, भारत द्वारा मर्कोसुर {MERCOSUR (अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे)} और चिली के साथ अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) सम्पादित किए गए हैं।

प्रमुख समझौतों जिनके लिए भारत प्रयासरत है:

- ईरान, यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के साथ **अधिमान्य व्यापार समझौता** (PTA)।
- श्रीलंका के साथ नवीन **आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता** (ETCA)।
- **आसियान (ASEAN) के साथ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट (AITIGA)**।
- जॉर्जिया के साथ **मुक्त व्यापार समझौता (FTA)**।
- कनाडा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता** (CEPA)।
- मॉरीशस और इज़राइल के साथ **व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता** (CECPA)।

- **व्यापार सुगमता**
  - भारत ने 2016 में WTO के **व्यापार सुगमता समझौते (TFA) की** पुष्टि की और उसके बाद भारत के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (NCTF)** का गठन किया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं -
    - **संचालन समिति की स्थापना -** वाणिज्य सचिव और राजस्व सचिव की सह-अध्यक्षता में भारत की अधिसूचित सुगमता प्रतिबद्धताओं के समग्र कार्यान्वयन के समन्वय हेतु।
    - **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना** ताकि इसके माध्यम से आयात संबंधी सभी औपचारिकताओं जैसे कि जांच, नमूने एकत्र करना और स्वीकृति प्रदान करना आदि कार्यों को एकल खिड़की के माध्यम से संपादित किया जाए।
    - **ई-संचित परियोजना** के माध्यम से आयात/निर्यात संबंधी दस्तावेजों की कागज रहित प्रस्तुत करना (फाइलिंग)।
  - व्यापार सुगमता प्रयासों की निरन्तरता के परिणामस्वरूप **सीमा पार व्यापार सूचकांक** (ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस, विश्व बैंक) में भारत के प्रदर्शन में अत्यधिक सुधार हुआ हैं और भारत को 2017 के 146वें स्थान से वर्ष 2018 में 80वां स्थान प्राप्त हुआ था।
- **व्यापार संबंधित संभारिकी (Trade Related Logistics)**
  - विश्व बैंक के 2016 के **संभारिकी निष्पादन सूचकांक (Logistics Performance Index)** के अनुसार, समग्र संभारिकी प्रदर्शन के मामले में भारत 2014 की 54वीं रैंक से 2016 में 35वीं रैंक तथा 2018 में, 44वीं रैंक प्राप्त हुई।
  - विशेषज्ञों का अनुमान है कि संभारिकी क्षेत्र 2022 तक सबसे बड़ा रोजगार सृजक क्षेत्र हो सकता है। यह क्षेत्र वर्तमान में देश में 72 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है।
  - भारत सरकार ने **राष्ट्रीय संभारिकी नीति के मसौदे** की घोषणा की है जिसके लिए एक **राष्ट्रीय संभारिकी कार्य योजना** निर्मित की जा रही है। संभारिकी संबंधी विभिन्न पहलों को प्रारंभ किया गया है, जैसे-
    - संभारिकी के लिए अवसंरचना विकसित करने के लिए भारतमाला योजना, सागरमाला योजना और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रारंभ किया जाना।
    - विकास के लिए 111 जलमार्गों की पहचान की गई है।
    - वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क और स्लरी पाइपलाइन (slurry pipelines) जैसी चुनी हुई संभारिकी गतिविधियों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया है।
    - कोल्ड चेन और पैक हाउस विकसित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
    - GST के लागू होने से ट्रक का टर्नअराउंड समय कम हो गया है और यह औद्योगिक उत्पादन के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन है।

VISION IAS

   - वेयरहाउसिंग जैसी गैर-प्रमुख गतिविधियों की आउटसोर्सिंग और स्वचालन मुख्य सहभागियों को परिवहन की दक्षता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति प्रदान करता है।
 - भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए संभारिकी की अनुमानित मौजूदा लागत को सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानित मौजूदा स्तर के 13-14 प्रतिशत से कम करके वैश्विक स्तर के सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप 10 प्रतिशत तक करना होगा।

- **डंपिंग-रोधी और सुरक्षा उपाय**
  - भारत में, देश में वस्तुओं की डंपिंग, घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचने तथा डंपिंग एवं घरेलू उद्योग की क्षति के मध्य अनियमित संबंधों के प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के पर घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदनों के आधार पर **डंपिंग-रोधी जांच** की जा रही है।
  - इस जांच के अंतर्गत चीन, हांगकांग, कोरिया, जर्मनी, यूरोपीय संघ, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील एवं अन्य देश शामिल हैं।

आउटलुक

- WEO के द्वारा, उन्नत देशों में मौद्रिक नीति के निरंतर समायोजनकारी प्रवृति, चीन में राजकोषीय प्रोत्साहन तथा अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार तनाव में कमी जैसी **मान्यताओं** के आधार पर **विश्व उत्पादन में तीव्र वृद्धि होने** का अनुमान लगाया है।
- हालाँकि, यदि विश्व उत्पादन बढ़ने के कारण **कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होती भी** है, तो ये भारत को प्रभावित नहीं कर पायेगी क्योंकि यह स्थिति भी भारत के निर्यात को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।
- भारत का चालू खाता घाटा (CAD) स्थिर बना रह सकता है, क्योंकि:
  - सरकारी नीतियों द्वारा **FDI अंतर्प्रवाह से संबंधित प्रतिबंधों में छूट दिए जाने की अपेक्षा है** जिसके परिणामस्वरूप CAD का वित्तपोषण करने वाले स्रोतों की स्थिरता में वृद्धि जारी रहेगी।
  - अर्थव्यवस्था में उपभोग कम होने की स्थिति में भी, निवेश और निर्यात में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के नए चालक बन सकते हैं।

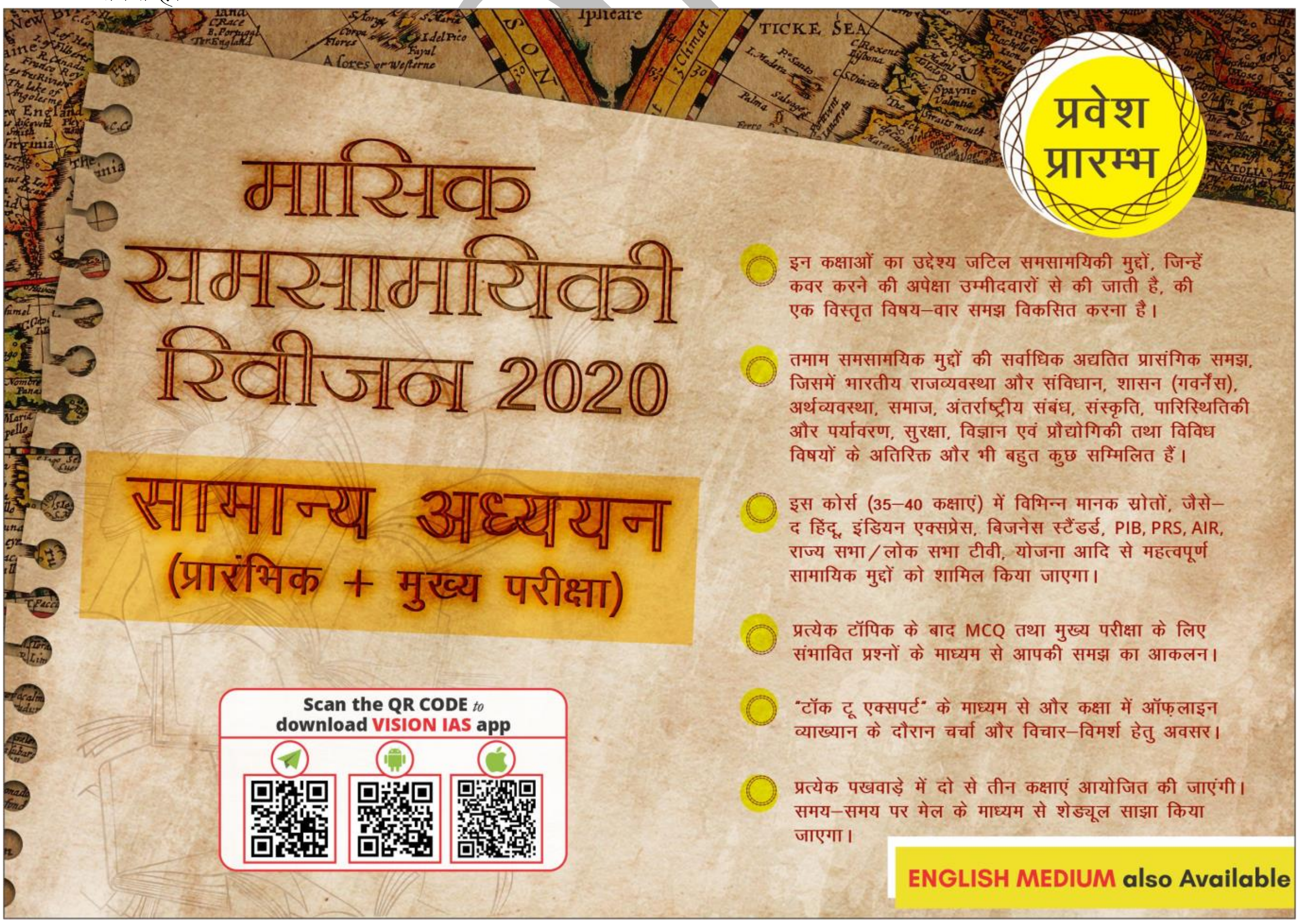

अध्याय 7 : कृषि और खाद्य प्रबंधन

(Agriculture and Food Management)

विषय-वस्तु

- **कृषि और संबद्ध क्षेत्र, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए रोजगार व आजीविका के मामले में महत्वपूर्ण** हैं, जोकि भारत में कृषि पारिस्थितिकी में प्रभुत्व रखते हैं। गरीबी को समाप्त करने और समावेशी विकास लाने व सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए, कृषि से जुड़ी गतिविधियों को SDGs के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ना होगा।
- **कृषि जोतों के विखंडन और जल संसाधनों की कमी** को देखते हुए, संसाधन कुशल ICT **आधारित जलवायु-स्मार्ट कृषि** को अपनाने से कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।
- सुरक्षित और खाद्य संरक्षित भविष्य के लिए कृषि परिदृश्य को कृषि में **हरित क्रांति आधारित उत्पादकता के दृष्टिकोण** से आगे बढ़ते हुए **'हरित उपायों' पर आधारित संधारणीयता दृष्टिकोण** को अपनाना होगा।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का अवलोकन

- **कृषि में GVA:** कृषि में सकल मूल्य वर्धित (GVA) **2014-15 के ऋणात्मक 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 6.3 प्रतिशत हो गया, जोकि 2018-19 में घटकर केवल 2.9 प्रतिशत रह गया।**
    - जहां फसलों, पशुधन और वानिकी क्षेत्र में 2014-15 से 2017-18 की अवधि में वृद्धि दरों में उतार-चढ़ाव प्रदर्शित हुआ है, वहीं मत्स्य पालन क्षेत्र में 2012-13 के 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 11.9 प्रतिशत की निरंतर वृद्धि देखी गई है।
    - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में **2014-15 से 2018-19 के दौरान वास्तविक रूप से औसत वार्षिक वृद्धि दर** लगभग **2.88%** बनी हुई है।
- **GVA में कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र के अंशदान** में 2015-16 के 15.4 प्रतिशत से लेकर 2018-19 में 14.4 प्रतिशत तक लगातार कमी देखी गई है। यह गिरावट मुख्य रूप से GVA में फसलों की हिस्सेदारी में गिरावट के कारण थी।
- **कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (GCF):** GVA के प्रतिशत के रूप में GCF में 2013-14 में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद 2017-18 में यह घटकर 15.2 प्रतिशत रह गई।
    - **कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश** का अंशदान 2014-15 से **वृद्धि दर्ज कर रहा था** और इसने 2016-17 तक ऊपर बढ़ने की प्रवृत्ति जारी रखी, जबकि **इस अवधि के दौरान GCF में निजी निवेश के अंशदान में गिरावट दर्ज की गई।**
- **भारत में भू-जोत धारण का पैटर्न: कृषि संगणना (2015-16)** के अनुसार:
    - **कार्यशील भू-जोतों (operational holdings)** की संख्या (अर्थात् कृषि उपयोग में लाए जा रहे भूखण्डों की संख्या) 13.8 करोड़ (2010-11) से बढ़कर से 14.6 करोड़ (2015-16) हो गई है।
    - कुल कार्यशील भू-जोतों में **सीमांत जोतों** (1 हेक्टेयर से कम) की हिस्सेदारी **बढ़कर** 2015-16 में 68.5% हो गई, जबकि इस अवधि के दौरान **छोटी जोतों** (1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर) **की हिस्सेदारी घटकर** 17.7% रह गई। **बड़ी जोतों** (4 हेक्टेयर से ऊपर) के शेयर में 4.3% तक **की कमी हुई।**
- **महिला किसानों की बढ़ती संख्या:** महिलाओं द्वारा कृषित कार्यशील भू-जोतों की हिस्सेदारी 2015-16 में **बढ़कर** 13.9 प्रतिशत हो गई है।

VISION IAS

लघु और सीमांत किसानों के लिए संसाधन क्षमता लाने के प्रमुख कारक:

- **कृषि में सिंचाई जल उत्पादकता (IWP) बढ़ाना:** भारत में लगभग 89 प्रतिशत भूजल सिंचाई के लिए निकाला जाता है। 2050 तक भारत 'जल सुरक्षाहीनता (असुरक्षा)' का हॉटस्पॉट बन जाएगा।
    - **भारत में फसल प्रतिरूप का जल गहन फसलों की ओर अत्यधिक झुकाव है।** यह न्यूनतम समर्थन मूल्य, अत्यधिक सब्सिडीकृत विद्युत, जल और उर्वरक जैसी प्रोत्साहन संरचनाओं के कारण है।
        - जल की अत्यधिक आवश्यकता वाले **धान और गन्ना,** देश में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल के 60 प्रतिशत से अधिक भाग का उपयोग कर लेते हैं। इससे अन्य फसलों के लिए जल की उपलब्धता कम हो जाती है।
    - भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में भूमि उत्पादकता और सिंचाई जल उत्पादकता के बीच भिन्नता विद्यमान है, इसलिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सिंचाई जल उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है।
    - जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाना संभावित तरीकों में से एक है। यह देखा जा सकता है कि ऐसे राज्य में जहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां अथवा उन्नत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां विद्यमान हैं, वहां ऊर्जा की बचत और उर्वरक खपत में लगभग 40 से 50% बचत हुई है।
    - कृषि में फोकस **भूमि उत्पादकता से हटकर सिंचाई जल आवश्यकता** पर होना चाहिए। अतः किसानों को कुशल जल उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने वाली नीतियां राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय होनीं चाहिए, ताकि भारी जल संकट से बचा जा सके।

घटता उर्वरक अनुक्रिया अनुपात
यह उर्वरक के अनुप्रयोग के प्रति मृदा की उर्वरता की घटती हुई अनुक्रिया का संकेतक है।

- **उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना:** 2002 के बाद से भारत में उर्वरक की खपत लगातार 2011 तक बढ़ी है। हालांकि, तब से उर्वरक की खपत कम हो रही है। उर्वरक विभाग के अनुसार, **भारतीय कृषि में कम होता उर्वरक अनुक्रिया अनुपात निम्नलिखित कारणों से है -**
    - अनुपयुक्त और असंतुलित उर्वरक उपयोग,
    - पोषाहार (बहु-पोषक तत्वों) में कमी,
    - संतुलित पादप पोषण के विषय में किसानों में जागरुकता की कमी, और
    - फसलों का ख़राब प्रबंधन।
- उर्वरक उपयोग दक्षता में सुधार के लिए किसानों को सही उत्पाद, मात्रा, अनुप्रयोग समय एवं पद्धति की जानकारी होनी चाहिए। **सुझाए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:**
    - मृदा स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर इष्टतम मात्रा का उपयोग,
    - नीम-लेपित यूरिया को प्रोत्साहन,
    - सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रोत्साहन,
    - जैविक खादों को प्रोत्साहन, और
    - जल में घुलनशील उर्वरकों को प्रोत्साहन।
- **जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर झुकाव:** सरकार देश में **परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)** जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2018 के दौरान PKVY योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों में, **प्राकृतिक खेती, वैदिक खेती, गौ पालन, होमा खेती, शून्य बजट प्राकृतिक खेती** जैसे विभिन्न जैविक कृषि मॉडलों को शामिल किया गया है।

VISION IAS

- **शून्य बजट प्राकृतिक खेती (Zero Budget Natural Farming: ZBNF):** इसका मुख्य उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों का उन्मूलन और अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य रसायनों से रहित कृषि उत्पाद उत्पन्न करने के लिए प्रकृति के अनुरूप व पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बनाए रखना है। ZBNF के अंतर्गत कम पानी की जरूरत होती है और यह पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली है। ZBNF का उपयोग कर रहे कुछ अग्रसक्रिय राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं।

- **छोटी जोत वाले खेतों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाना:** छोटी जोत वाले खेतों में उपयुक्त तकनीकों को अपनाने के माध्यम से संसाधन दक्षता लाई जा सकती है। हालांकि, लघु और सीमांत किसानों के लिए तकनीकों का प्रयोग, खेती की महंगी मशीनों में निवेश और विद्यमान तकनीकों को आनुपातिक रूप से बढ़ाना आर्थिक रूप से संभव नहीं हो सकता। इसलिए **छोटे स्तर के परिचालन हेतु उपयुक्त पर्यावरण अनुकूल स्वचालित खेती मशीनरी उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।** इन उपायों में से कुछ हैं:
  - लघु और सीमांत कृषि जोतों का मशीनीकरण हेतु उच्च तकनीक मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से कठिन क्षेत्रों में, **कस्टम हायरिंग केंद्रों** (CHCs) को स्थापित किया जा सकता है।
  - खराब अवसंरचना के संदर्भ में, **कृषि में ICT को अपनाने से** बाजार पहुंच को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय समावेशन सुविधाजनक बनेगा और लघु किसानों के समुदाय के विकास हेतु महत्वपूर्ण पूर्व-चेतावनी संकेतकों में उल्लेखनीय योगदान मिलेगा।
  - कृषि बाजारों में व्याप्त सूचना अंतर को पाटने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। कॉफी बाजार में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसका एक उदाहरण है।
- **आधारभूत अवसंरचना और बाजारों तक पहुंच में सुधार:** कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने व मूल्यों, एकत्रीकरण और भंडारण सुविधाओं के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए ICT के उपयोग से लघु और सीमांत किसानों को विपणन बाधाओं पर नियंत्रण पाने में सहायता मिल सकती है।
- **विस्तार सेवा की भूमिका: इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट (IFPRI)** द्वारा तैयार **भारत में कृषि विस्तार की समीक्षा पर रिपोर्ट, 2010** में किसानों के साथ ज्ञान और कौशल को साझा करने की बढ़ती आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। इसलिए, **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) और कृषि विश्वविद्यालयों** द्वारा कृषि सलाहकार सेवाओं में सुधार की बड़ी गुंजाइश है।
  - 2017-18 के अपवाद के साथ, कुल कृषि GVA के प्रतिशत के रूप में कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर खर्च में वृद्धि हुई है।
- **कृषि ऋण:** समय पर ऋण या वित्त की पहुंच कृषि की लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। कृषि ऋण का क्षेत्रीय वितरण अत्यधिक विषम है। **पूर्वोत्तर, पर्वतीय और पूर्वी राज्यों में ऋण वितरण बहुत कम रहा है।**
- **संबद्ध क्षेत्र:** संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के माध्यम से विभिन्न नीतियों में आजीविका के विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  - **पशुपालन और डेयरी:** भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है और **वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 20 प्रतिशत** है।
    - भारत में पिछले कुछ वर्षों से दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और यह 2017-18 में बढ़कर 176.3 मिलियन टन हो गया।
    - दूध की प्रति व्यक्ति अखिल भारतीय उपलब्धता 375 ग्राम प्रतिदिन है।
    - **लघु पशुधन सेक्टर: भेड़ और बकरी को सामूहिक रूप से लघु पशुधन सेक्टर के रूप में जाना जाता है।**
  - विश्व में पाई जाने वाली कुल बकरियों की आबादी में से 16.1% बकरियां भारत में पाई जाती हैं। इसी प्रकार विश्व की कुल भेड़ों में से 6.4% भेड़ें भारत में पाई जाती हैं (खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार)।

VISION IAS

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन **(NSSO) के 70वें दौर** के अनुसार, **पशु पालन** वस्तुतः कृषि कार्य में संलग्न 3.7 प्रतिशत परिवारों की आय का एक मुख्य स्रोत है।
- **मत्स्यन क्षेत्र:** भारत 2018-19 में 13.7 मिलियन मीट्रिक टन के कुल उत्पादन के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र रहा है। इसमें अंतर्देशीय मत्स्य पालन का योगदान 65% था। इस क्षेत्र हेतु **उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:**
  - पृथक मात्स्यिकी विभाग गठित किया गया है।
  - **नीलीक्रांति: 'मात्स्यिकी के एकीकृत विकास और प्रबंधन' हेतु अम्ब्रेला योजना।**
  - **मत्स्य पालन और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) का निर्माण।**

कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक (Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index: AMFFRI)

- इसे नीति आयोग द्वारा 2016 में शुरू किया गया था।
- यह **मॉडल APMC (कृषि उत्पाद विपणन समिति) अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित सात प्रावधानों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान करने का प्रयास करता है।** इन सात प्रावधानों में e-NAM पहल से जुड़ना, विपणन के लिए फलों और सब्जियों पर विशेष फोकस, मंडियों में करों का स्तर आदि शामिल हैं।
- ये संकेतक **ईज ऑफ़ डूइंग एग्रीबिजनेस (कृषि व्यवसाय करने की सुगमता) के साथ-साथ किसानों को आधुनिक व्यापार और वाणिज्य से लाभान्वित होने के अवसरों को प्रकट करते हैं** तथा उन्हें उनकी उपज की बिक्री के लिए व्यापक विकल्प प्रदान करते हैं।
- ये संकेतक **कृषि-बाजारों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और पारदर्शिता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।**
- इस सूचकांक द्वारा कवर किये गए सुधारों के दूसरे क्षेत्र में **भूमि पट्टे की सुविधा और उनका उदारीकरण** शामिल है।
- सूचकांक में शामिल तीसरा क्षेत्र **किसानों को निजी भूमि पर उगाए जाने वाले पेड़ों की कटाई और पारगमन के लिए दी गई स्वतंत्रता का** प्रतिनिधित्व करता है।
- देश के किसी भी राज्य ने बाजार सुधारों के पूरे समुच्चय को लागू नहीं किया है। **महाराष्ट्र** ने विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन में पहला स्थान प्राप्त किया है, उसके पश्चात् गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का स्थान आता है।
- लगभग दो तिहाई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, सुधारों के आधे स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर जैसे प्रमुख राज्य इस समूह में शामिल हैं।
- कुछ राज्यों को कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक (AMFFRI) पर आधारित रैंकिंग नहीं दी गई है, क्योंकि कुछ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में APMC अधिनियम लागू नहीं है।

पशुधन और डेयरी क्षेत्र उत्पादकता में सुधार के लिए योजनाएं/पहलें

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** स्वदेशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू करने हेतु, ताकि उनके आनुवंशिक स्वरूप में सुधार और स्टॉक में वृद्धि हो सके।
- **ई पशुहाट पोर्टल:** गुणवत्ता वाले गोजातीय जर्मप्लाज्म की उपलब्धता के बारे में प्रजनकों और किसानों को आपस में जोड़ने के लिए।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** गुणवत्ता वाले फीड और चारे की पर्याप्त उपलब्धता के साथ-साथ विशेष रूप से छोटे पशुधन के गहन विकास के लिए।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना: खुर पका और मुंह पका रोग (FMD)** आदि पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रदान की गई सहायता।

VISION IAS

- **डेयरी विकास:** डेयरी विकास योजनाओं का अनुसरण करके गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन हेतु आधारभूत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए।

राष्ट्रीय स्थलीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि नीति, 2019 का मसौदा {Draft National Inland Fisheries and Aquaculture Policy (NIFAP), 2019}

- **अंत:स्थलीय मत्स्य पालन:** निम्नलिखित नीतिगत उपायों की अनुशंसा की गई है:
  - स्थानीय संसाधनों का संरक्षण और नदियों, आर्द्रभूमियों आदि के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना।
  - मानव निर्मित जलाशयों में मछलियों के प्रबंधन को राज्य के मत्स्य पालन विभागों को स्थानांतरित करना।
  - हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों में मत्स्य पालन का विकास।
- **जल कृषि:** अनुशंसित उपाय-
  - राज्य और क्षेत्र-विशिष्ट कार्य योजना विकसित करना।
  - मत्स्य पालन और जलीय कृषि को कृषि के घटकों के रूप में शामिल करने के लिए भूमि उपयोग श्रेणियों को फिर से परिभाषित करना।
  - बीज, चारा और अन्य जलीय कृषि आगतों के उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।

भारत में खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्रबंधन:

खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा की स्थिति उस समय विद्यमान होती है जब सभी लोगों को उनकी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने और एक सक्रिय व स्वस्थ जिंदगी सुनिश्चित करने वाले पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन के लिए हर समय, भौतिक और आर्थिक पहुंच उपलब्ध रहती है।

- **खाद्य सुरक्षा: वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक (GFSI), 2018** में खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित **चार प्रमुख मुद्दों पर** विचार किया गया: **उपलब्धता, गुणवत्ता व सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन** और **लचीलापन**। इसका प्रमुख लक्ष्य यह है कि समयबद्ध तरीके से आकलन किया जाए कि कौन-से देश खाद्य असुरक्षा के प्रति सबसे अधिक और सबसे कम सुभेद्य हैं। भारत पोषण मानकों में प्रथम स्थान पर है। हालांकि, भारत की समग्र रैंकिंग **76वीं** (113 देशों में) है।
  - भारत की **खाद्य सुरक्षा चुनौतियां** प्रति व्यक्ति कम सकल घरेलू उत्पाद, आपूर्ति की पर्याप्तता, अनुसंधान एवं विकास पर सार्वजनिक व्यय और प्रोटीन की गुणवत्ता के क्षेत्रों में निहित हैं।
  - सरकार **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए** विशेष रूप से निम्नलिखित **उपाय करती है**:
    - न्यूनतम समर्थन मूल्य और केंद्रीय निर्गम मूल्य की घोषणा।
    - भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद और राज्य एजेंसियों द्वारा विकेन्द्रीकृत खरीद।
    - बफर स्टॉक बनाए रखना; और
    - मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए गेहूं और चावल की खुली बिक्री।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्यान्न की खरीद:** बुवाई के मौसम से पहले 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की जाती है। 2018-19 में, सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन लागतों पर कम से कम 50 प्रतिशत का प्रतिफल सुनिश्चित करने हेतु खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए MSP में वृद्धि की थी। **MSP और खाद्यान्न खरीद से जुड़े मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ आदि विभिन्न राज्यों में जहां MSP के तहत खरीद प्रणाली अच्छी तरह से स्थापित है, वहाँ **खाद्यान्न के भंडारण में समस्याएँ** उत्पन्न होती हैं।

VISION IAS

        - इसलिए, सरकार, आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य (इसमें MSP के साथ-साथ खरीद लागत भी जुड़ी होती है) पर थोक खरीददारों को खुले बाजार में अधिशेष खाद्यान्नों की बिक्री कर अतिरिक्त स्टॉक को हटाने का प्रयास करती है। **लेकिन, थोक खरीदार धान की तुलना में गेहूं खरीदना अधिक पसंद करते हैं।**
    - इसके अतिरिक्त, आरक्षित मूल्य से कम कीमतों पर FCI द्वारा खाद्यान्न का निर्यात किए जाने व निर्यात सब्सिडी प्रदान करने से **बहुपक्षीय व्यापार ढांचे में विवाद उत्पन्न होंगे।**
    - यह भी देखा गया है कि अधिकांश राज्यों में **किसान, बुवाई के मौसम से पहले MSP की घोषणा से अनभिज्ञ होते हैं।**
    - हालांकि कुछ मामलों में MSP के बारे में किसानों को पता होता है, लेकिन किसानों के समक्ष **गांवों में खरीद केंद्रों की अनुपस्थिति, परिवहन लागत, छोटी मात्रा में खरीदने के लिए मिल मालिकों की अनिच्छा** इत्यादि बाधाएं मौजूद होती हैं।
- **खाद्य सब्सिडी:** खाद्य सब्सिडी में निम्नलिखित दो मुख्य घटक शामिल होते हैं-
    - पहले घटक में **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गेहूं एवं चावल की खरीद और वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी** तथा खाद्य सुरक्षा के एक उपाय के रूप में खाद्यान्न के बफर स्टॉक को बनाए रखना शामिल है।
    - दूसरे घटक में **राज्यों को विकेंद्रीकृत खरीद के लिए दी जाने वाली सब्सिडी** शामिल है।
        - खाद्य सुरक्षा कार्यों की स्थिरता के लिए खाद्य सब्सिडी बिल को संबोधित करने के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) का कंप्यूटरीकरण: TPDS** को केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की **संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत संचालित किया जाता है।**
    - **केन्द्र सरकार** खरीद, आवंटन और FCI के नामित डिपो तक खाद्यान्न की ढुलाई के लिए जिम्मेदार होती है।
    - **राज्य सरकारें** खाद्य अनाज के आवंटन और वितरण के लिए जिम्मेदार होती है, साथ ही ये **पात्र लाभार्थियों/परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करने और पर्यवेक्षण व उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) के कामकाज की निगरानी इत्यादि हेतु भी उत्तरदायी होती है।**

Figure 11: Expenditure on Food Subsidy (₹ Crore) & Annual Growth Rate (%)

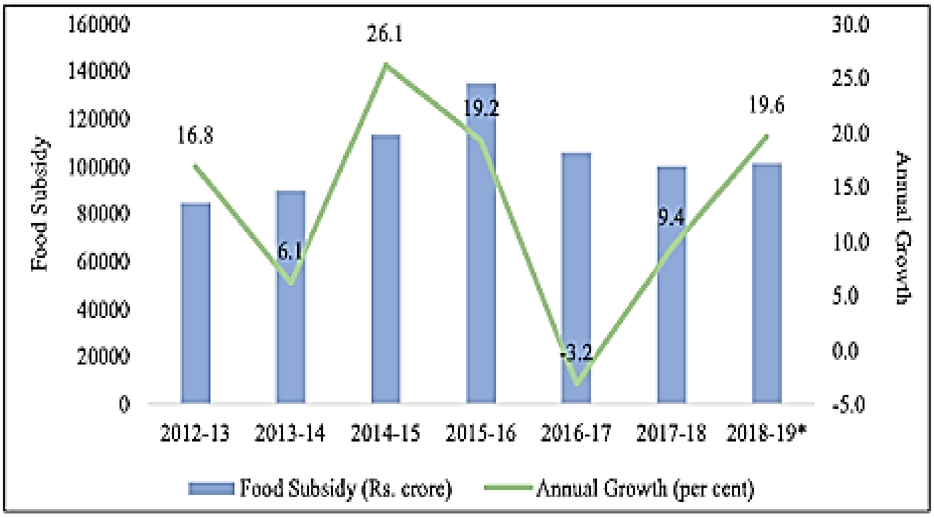

    - **TPDS परिचालनों में पारदर्शिता लाने और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए** केंद्र सरकार' राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी के आधार पर **'TPDS परिचालनों का एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण' योजना लागू कर रही है।**

- प्रौद्योगिकी और डिजिटल हस्तक्षेप के माध्यम से TPDS, खाद्य खरीद प्रणाली (FPS) में अधिक पारदर्शी हो गया है। हालाँकि, खाद्यान्नों की विविधता और रिसाव को रोकने एवं FPS के माध्यम से वितरित खाद्यान्नों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आपूर्ति श्रृंखला की समग्र निगरानी की आवश्यकता है।

2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कार्ययोजना

- सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने (DFI) से संबंधित मुद्दों की जांच करने और रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। उक्त **समिति ने आय में वृद्धि करने के सात स्रोतों की पहचान की** है, ये हैं:
  - फसल उत्पादकता में सुधार,
  - पशुधन उत्पादकता में सुधार,
  - संसाधन उपयोग दक्षता या उत्पादन की लागत में बचत,
  - फसल तीव्रता में वृद्धि,
  - उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण,
  - किसानों के द्वारा प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार और
  - कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में स्थानांतरण।
- **DFI समिति की सिफारिशों पर पहले ही कई पहलें आरंभ की जा चुकी हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - राज्य सरकारों के माध्यम से **प्रगतिशील बाजार सुधारों का समर्थन करना;**
  - राज्य सरकारों के माध्यम से **प्रारूप संविदा कृषि अधिनियम के प्रसार द्वारा संविदा कृषि को प्रोत्साहित करना;**
  - **कृषि केंद्रों के रूप में कार्य करने और किसानों से कृषि उत्पादों की प्रत्यक्ष खरीद के लिए ग्रामीण हाटों का उन्नयन करना;**
  - किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार आधार देने के लिए **e-NAM;**
  - किसानों को **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** का वितरण ताकि उर्वरकों का सार्थक रूप से उपयोग हो सके;
  - **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)-** "प्रति बूंद अधिक फसल" (पर ड्रॉप मोर क्रॉप), के माध्यम से जल दक्षता बढ़ाना;
  - **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के अंतर्गत जोखिम में कमी लाने के लिए फसलों हेतु बेहतर बीमा कवरेज, 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि फसल ऋणों पर 5 प्रतिशत तक की कुल ब्याज छूट प्रदान कर, किसानों को प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की अल्प दर पर ऋण उपलब्ध कराना;
  - **पशुपालन और मछली पालन से संबंधित गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** की सुविधा विस्तारित करना;
  - **2018-19 की खरीफ और रबी की सभी फसलों के लिए MSP** में उत्पादन की लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर तक **वृद्धि** करना;
  - सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पात्र लघु और सीमांत किसानों हेतु 3,000 रुपये की **वृद्धावस्था पेंशन** प्रदान करने के लिए एक **नई केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का लक्ष्य पहले तीन वर्षों में लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ना है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना होगी, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु वाले किसान शामिल हो सकेंगे।

VISION IAS

अध्याय 8 : उद्योग एवं अवसंरचना

(Industry and Infrastructure)

विषय-वस्तु

भारतीय उद्योग: एक सिंहावलोकन

किसी अर्थव्यवस्था की समग्र संवृद्धि निर्धारित करने में उद्योग निर्णायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। 133 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले भारत देश को एक **उन्नत और लचीली अवसंरचना** के साथ सुदृढ़ उद्योग निर्माण की आवश्यकता है।

- वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 2017-18 में 5.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में उद्योग के वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) की वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रही है ।
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):** वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के संदर्भ में औद्योगिक संवृद्धि दर वर्ष 2017-18 की 4.4 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत रही है। वर्ष 2018-19 में यह गिरावट मुख्य रूप से मंद विनिर्माण गतिविधियों के कारण थी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - मध्यम और लघु उद्योगों को **धीमा ऋण प्रवाह,**
    - तरलता की कमी के कारण **NBFC द्वारा कम ऋण प्रदान किया जाना,**
    - **ऑटोमोटिव क्षेत्रक, फार्मास्युटिकल्स तथा मशीनरी और उपकरण** जैसे प्रमुख क्षेत्रकों के लिए घरेलू मांग का मंद होना।
    - अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता आदि।
- **औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण:** उद्योग में सकल पूंजी निर्माण (GCF) की वृद्धि दर वर्ष 2016-17 के (-) 0.7 प्रतिशत से तीव्र वृद्धि कर वर्ष 2017-18 में 7.6 प्रतिशत हो गई है।

IIP के विषय में

- IIP औद्योगिक प्रदर्शन की एक माप है। यह निम्नलिखित भारांकों पर आधारित है:
    - **विनिर्माण क्षेत्रक** को 77.63%,
    - **खनन क्षेत्रक** को 14.37% और
    - **विद्युत क्षेत्रक** को 7.99%।
- आठ मुख्य उद्योगों का सूचकांक **कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात, सीमेंट और विद्युत** के प्रदर्शन का मापन करता है।
- इन आठ प्रमुख उद्योगों का IIP में लगभग **40.3 प्रतिशत** भारांश सम्मिलित है।

भारत में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने के लिए की गई प्रमुख पहलें

- **कारोबार करने की सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में सुधार लाना:** वर्तमान नियमों को सरल और युक्तिसंगत तथा शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचलन पर बल दिया जा रहा है।
    - विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट- 2018 के अनुसार, भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 190 देशों के मध्य 77वां स्थान प्राप्त किया है।
- **स्टार्ट-अप इंडिया:** इसका उद्देश्य स्टार्ट-अप की संवृद्धि के अनुकूल परिवेश निर्मित करना है।
    - स्टार्ट-अप के राज्यवार वितरण के मामले में महाराष्ट्र तथा उसके पश्चात कर्नाटक और दिल्ली शीर्ष दस प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल हैं।
    - मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के उद्योग-वार वितरण के अनुसार, IT सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग 15% है, उसके पश्चात हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज एंड एजुकेशन की हिस्सेदारी है।

VISION IAS

- स्टार्ट अप के लिए विनियमों को आसान बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए है :
  - स्टार्ट-अप द्वारा जुटाए गए निवेशों पर आयकर से छूट,
  - छह श्रम कानूनों और तीन पर्यावरण कानूनों के लिए स्व-प्रमाणन व्यवस्था,
  - स्टार्ट-अप परिवेश के लिए 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में स्टार्ट-अप इंडिया हब स्थापित करना।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** इसे आर्थिक संवृद्धि का एक प्रमुख चालक माना जाता है, क्योंकि यह मेजबान देश में पूंजी, कौशल और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करके उत्पादकता में वृद्धि करता है। सरकार उदार FDI नीति के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रही है।

क्षेत्रक वार प्रदर्शन: मुद्दे और कार्यनिष्पादन

इस्पात

- वैश्विक परिदृश्य में, वर्ष 2018- 19 साक्षी बना
  - इस्पात बाजार के आधारभूत तत्वों की कमजोर स्थिति का,
  - **व्यापार संघर्ष** में वृद्धि का
  - संरक्षणवादी उपायों लागू करने और अतिरिक्त इस्पात क्षमता का।
- इनसे भारत से **इस्पात निर्यात में गिरावट** आई है।
- वहीं दूसरी ओर, **विशेष रूप से कोरिया, जापान और ASEAN देशों से आयात बढ़ा है।**
- राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 उद्योग को व्यापक नीति निर्देश प्रदान करती है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए **विशेष रूप से मूल्य वर्धित इस्पात के घरेलू उत्पादन** पर ध्यान केंद्रित करती है।

इस्पात उद्योग के विषय में

- यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.4 से 2 प्रतिशत का प्रत्यक्ष योगदान प्रदान करता है।
- वैश्विक स्तर पर, भारत 6 प्रतिशत की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ जापान से आगे निकलते हुए विश्व में **कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।
- 2018-19 के दौरान, 3.3% की वृद्धि दर के साथ कच्चे इस्पात का उत्पादन 106.56 मिलियन टन रहा था।
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात भारत **तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता** है; हालाँकि, वैश्विक औसत 214 किलोग्राम के मुकाबले इसकी प्रति व्यक्ति उपभोग केवल 69 किलोग्राम है।

- **चुनौतियां:**
  - इस्पात की मांग में वृद्धि के आर्थिक संवृद्धि से संबद्ध होने के कारण **क्षमता विस्तार** संबंधी मुद्दे।
  - खनन पट्टे प्राप्त करने में कठिनाइयां।
  - कोकिंग कोल के **आयात** पर उच्च निर्भरता से **इस्पात उत्पादन की लागत** में वृद्धि हो जाती है।
  - उच्च लॉजिस्टिक्स लागत।
- इस प्रकार उत्पादन के लिए क्षमता संवर्धन और आधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेशन में निवेश की आवश्यकता है।

चमड़ा और फुटवियर:

- भारत फुटवियर का **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक**, चमड़े के परिधानों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और चमड़ा-निर्मित वस्तुओं का पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- **चुनौतियां:**
  - फुटवियर की वैश्विक मांग गैर-चमड़ा फुटवियर (नॉन लेदर फुटवियर) की ओर उन्मुख हो रही है, जबकि भारतीय कर नीतियां **चमड़े के फुटवियर के उत्पादन की पक्षधर हैं।**

VISION IAS

- भारत चमड़े की वस्तुओं और गैर-चमड़े के फुटवियर को सहभागी देशों के बाजारों में **उच्च प्रशुल्क (टैरिफ)** का सामना करना पड़ता है।

- **इंडियन फुटवियर एंड एक्सेसरीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम** (2017-20) के अंतर्गत 2600 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज दिया गया है। इसमें **तीन वर्षों में 3.24 लाख नई नौकरियाँ** सृजित करने की क्षमता है।

रत्न और आभूषण:

- इस क्षेत्रक को मजबूत करने की दृष्टि से, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि
    - रत्न एवं आभूषण क्षेत्रक के लिए विशेष अधिसूचित क्षेत्र और सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना,
    - कटे एवं पॉलिश किए गए हीरों और कीमती पत्थरों के लिए GST दरों में कमी,
    - विशिष्ट एजेंसियों और बैंकों द्वारा सोने के आयात पर **एकीकृत वस्तु और सेवा कर में छूट,**
    - जनवरी 2019 में **घरेलू रत्न और आभूषण परिषद** की स्थापना की गई।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रक:

- यह क्षेत्रक रोजगार के अत्यधिक अवसर उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करने, क्षेत्रीय असंतुलन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न पहलें आरंभ की गई हैं जैसे कि:
    - **ऑनलाइन पोर्टल** के माध्यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान करना।
    - सभी GST पंजीकृत MSME के लिए 1 करोड़ तक के वृद्धिशील क्रेडिट के संबंध में 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता। **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,** इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
    - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,
    - सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड,
    - प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना,
    - नए उद्यमों की स्थापना और मौजूदा उद्यमों के विकास के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम।

वस्त्र और परिधान:

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस क्षेत्र के बैकवर्ड लिंकेज लाखों किसानों, कारीगरों और हस्तशिल्प निर्माताओं को रोजगार के उच्च अवसर प्रदान करते हैं। हालाँकि इसमें कई **चुनौतियाँ** विद्यमान हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
    - **स्केल (पैमाने) की कमी अथवा खंडित और बिखरी हुई विनिर्माण** जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं।
    - यद्यपि ओटन और कताई क्षेत्र (ginning and spinning sectors) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनरूप हैं, वहीं बुनाई, प्रसंस्करण और कढ़ाई (weaving, processing and embroidery) में आंशिक रूप से **प्रौद्योगिकी अंतराल** विद्यमान है।
    - भारत को वस्त्रों के निर्यात में बाहरी देशों, जो शुल्क मुक्त पहुँच का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, के मुकाबले **अधिक औसत प्रशुल्कों (टैरिफ)** का सामना करना पड़ रहा है
- **पहलें:**
    - सरकार ने वस्त्र और मेड-अप क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है, यह पैकेज राज्य लेवी की छूट, श्रम कानूनों में सुधारों, **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना** के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है।
    - वस्त्र मूल्य श्रृंखला में **फाइबर, धागा और फेब्रिक जैसे उत्पादों** को सुदृढ़ किया जा रहा है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है।
    - **मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम** के अंतर्गत निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है।

वस्त्र क्षेत्रक के बारे में

- यह कृषि के पश्चात सबसे बड़ा नियोक्ता है जो 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।
- **भारतीय वस्त्र उद्योग विश्व में दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक है, जो विनिर्माण में 12.65%** और **GDP में 2.3%** का योगदान प्रदान करता है।
- भारत की वस्त्र और परिधान **के वैश्विक व्यापार में 5% हिस्सेदारी** है।
- भारत के कुल निर्यात में वस्त्र की हिस्सेदारी **12 प्रतिशत (2018-19)** है।

अवसंरचना

- उभरते उद्योगों के लिए **सुदृढ़ और लचीली अवसंरचना** मूलभूत और आवश्यक है। भारत को प्रति वर्ष अवसंरचना पर GDP के **7-8** प्रतिशत व्यय करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में वार्षिक रूप से अवसंरचना परियोजनाओं में **200 बिलियन अमेरिकी डॉलर** निवेश के बराबर है। हालांकि, भारत अवसंरचना पर वार्षिक रूप से लगभग 100-110 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यय करता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की कमी रह जाती है।
- **इसके लिए विभिन्न पहलें आरंभ की गई हैं जैसे कि:**
  - व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए निवेश अवसर प्रदान करने के लिए 400 बिलियन रुपये की पूंजी वाली **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि।**
  - अवसंरचना परियोजनाओं के लिए **क्रेडिट एन्हांसमेंट फंड** की भी परिकल्पना की गई है।
  - प्रमाणित निर्णय-निर्माण हेतु अतिरिक्त जोखिम आकलन तंत्र उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के लिए **एक नई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली।**
  - अवसंरचना में निवेश में वृद्धि करने के लिए **इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट** और **रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट** की स्थापना।

परिवहन

- **सड़क परिवहन:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने **वर्ष 2018-19 को 'निर्माण वर्ष'** घोषित किया है।
  - भारत में सड़क अवसंरचना के **समक्ष प्रमुख बाधाएं** निम्नलिखित हैं:
    - बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने और उनके अनुरक्षण के लिए धन की उपलब्धता का अभाव।
    - भूमि अधिग्रहण और लाभार्थियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान की लंबी प्रक्रियाएं।
    - पर्यावरण संबंधी चिंताएं।
    - कार्यान्वयन और प्रक्रियात्मक विलंब के कारण समय और लागत बढ़ जाती है।

सड़क परिवहन

- यह परिवहन का प्रमुख साधन है, क्योंकि यह लगभग 3.14 प्रतिशत सकल मूल्य वर्धित (GVA) और **क्रमश: 69 प्रतिशत और 90 प्रतिशत देशव्यापी माल और यात्री यातायात** के लिए उत्तरदायी है।
- भारत में सड़क नेटवर्क में ग्रामीण सड़कें 70.65% और राष्ट्रीय राजमार्ग की हिस्सेदारी 1.94% हैं।
- किलोमीटर के सन्दर्भ में सड़क निर्माण वर्ष **2014-15 के 12 किलोमीटर प्रति दिन से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 30 किलोमीटर प्रति दिन हो गया।**

पहलें:

- अनुमोदन सीमाओं के संवर्धित प्रत्यायोजन के साथ अनुमोदन प्राधिकरणों का उल्लेख करते हुए प्रक्रिया को युक्तियुक्त बनाना।
- अंतर-मंत्रालयी समन्वय के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना।
- निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की निधियों का लाभ उठाने के लिए नवाचारी परियोजनाओं का वित्तपोषण करना।
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाना।

VISION IAS

- राजमार्ग क्षेत्रक के लिए बजटीय सहायता के एक प्रमुख स्रोत **केंद्रीय सड़क निधि (CRF)** को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (CRIF) से प्रतिस्थापित किया गया है।
- **रेलवे:** वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में रेल माल भाड़ा और यात्रियों की संख्या में क्रमशः 5.33 प्रतिशत और 0.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
    - **रेल सुरक्षा:** वर्ष 2018-19 में ट्रेनों के आपस में टकराने की घटनाएं घटकर शून्य रह गई। रेलों के पटरी से उतरने की घटनाएं वर्ष 2016-17 के 78 से कम होकर वर्ष 2018-19 में 46 रह गई।
    - **मिशन विद्युतीकरण:** भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड-गेज नेटवर्क के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हेतु एक प्रमुख विद्युतीकरण कार्यक्रम आरंभ किया है। इससे आयातित डीजल तेल पर देश की निर्भरता कम होगी।
    - **'स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत',** मिशन स्वच्छता पर केंद्रित है।
    - जल और ऊर्जा संरक्षण के लिए **"ग्रीन रेटिंग"** की अवधारणा प्रारंभ की गई है।
- **नागर विमानन:** नागर विमानन में मांग और आपूर्ति की प्रवृत्तियों से ज्ञात होता है कि यात्रियों की मांग सीटों की आपूर्ति से अधिक है। बढ़ती मांग को पूरा करने और दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए, नए ग्रीनफील्ड विमान पत्तनों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
    - वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के अनुसूचित घरेलू हवाई परिवहन में यात्रियों और माल ढुलाई में क्रमशः **14 प्रतिशत और 12 प्रतिशत** की वृद्धि हुई है।
    - वर्ष 2018-19 के अंतिम चरण में कुल **107** विमानपत्तनों पर निर्धारित एयरलाइन परिचालन की व्यवस्था की गई है।
    - **"उड़े देश का आम नागरिक- उड़ान (UDAN)"** योजना के अंतर्गत, क्षेत्रीय संपर्क हेतु बोली लगाने के तीन चरणों में कुल 719 मार्ग आबंटित किए गए हैं, जिनमें से 182 परिचालन में हैं।
    - हाल ही में, उड़ान (UDAN) (अंतरराष्ट्रीय) योजना आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत शीघ्र ही **गुवाहाटी विमान पत्तन को बैंकॉक और ढाका** से जोड़ा जाएगा।
- वर्ष 2019 में प्रथम **राष्ट्रीय एयर कार्गो नीति** की रूपरेखा जारी की गई। इसका उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक **10 मिलियन टन** भार वहन करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु घरेलू और निर्यात-आयात हवाई माल भाड़े के लिए समग्र मूल्य-श्रृंखला का पुनर्विन्यास करना है।

चुनौतियां

- उच्च विमानपत्तन प्रशुल्क, रॉयल्टी और अन्य प्रभार,
- नागर विमानन क्षेत्रक में कुशल मानव संसाधनों का अभाव और
- **अनुरक्षण, मरम्मत और आमूल चूल परिवर्तन (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑवरहौल :MRO)** सुविधाओं हेतु विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता।
- **वर्ष 2018-19 के दौरान वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों** में उच्च और अप्रत्याशित वृद्धि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATS) पर एक उच्च घरेलू कर व्यवस्था के साथ संयुक्त हो गई है।

- **पोत-परिवहन और पत्तन क्षेत्रक:** पत्तनों के माध्यम से मात्रात्मक रूप से 90 प्रतिशत और मूल्यात्मक रूप से 70 प्रतिशत आयातित-निर्यातित माल का परिवहन होता है। निरंतर बढ़ती व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, **बंदरगाह क्षमता के विस्तार** को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।
    - **अंतर्देशीय जल परिवहन:** वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय जलमार्ग पर कार्गो यातायात में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। **वर्ष 2018 में वाराणसी में भारत के पहले अंतर्देशीय जलमार्ग मल्टीमॉडल टर्मिनल (MMT) का उद्घाटन किया गया था।**

VISION IAS

- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** को सुगम बनने हेतु, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रमुख पत्तनों पर प्रतीक्षा समय **(ड्वेल टाइम) और लेन-देन की लागत को कम करने** के लिए विभिन्न मापदंडों की पहचान की गई है। **इनमें मैनुअल फॉर्म्स को समाप्त करना, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी आदि सम्मिलित हैं।**

दूरसंचार क्षेत्र: भारत में दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि **उपभोक्ता मांग** और **सरकार की सहायक नीतियों** के कारण सुदृढ़ बनी हुई है।

- मोबाइल उद्योग में निम्नलिखित कारणों से घातांकीय वृद्धि परिलक्षित हुई है-
  - वहनीय प्रशुल्क,
  - व्यापक उपलब्धता,
  - मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) का प्रारंभ,
  - 3G और 4G कवरेज का विस्तार।

- GSMA रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग **6.5% है जिसमें वर्ष 2020 तक 8.2% तक की वृद्धि** होने की अपेक्षा की गई है। यह कुल 32 मिलियन नौकरियां (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से) भी सृजित करता है।
- मार्च 2019 में भारत में कुल **टेली-घनत्व** 90.10% रहा (ग्रामीण- 57.5% और शहरी- 159.66%)।

- **पहलें:**
  - सरकार द्वारा गठित **उच्च स्तरीय 5G इंडिया 2020 फोरम** ने "मेकिंग इंडिया 5G रेडी" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फोरम की अनुशंसाओं के आधार पर स्पेक्ट्रम नीति, विनियामक नीति, शिक्षा और जागरूकता संवर्धन कार्यक्रम आदि पर कार्रवाई के लिए सात समितियों का गठन किया गया।
  - **मशीन टू मशीन (M2M) संचार के लिए 13 अंकों की M2M संख्यांकन (नंबरिंग) योजना:** M2M कम्युनिकेशंस / इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उन प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है, जिसमें मानव हस्तक्षेप के बिना नेटवर्क के माध्यम से परस्पर संचार करने वाली मशीनें या उपकरण सम्मिलित होते हैं।
  - नई घोषित 'राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018' के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए 'दूरसंचार आयोग' को 'डिजिटल संचार आयोग' के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस: सरकार का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश के ऊर्जा क्षेत्रक में "सुधार, निष्पादन और रूपांतरण" करना है।

- भारत की प्राथमिक ऊर्जा मांग के वर्ष 2017-2040 के दौरान 4.21 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है, जो विश्व की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक तीव्र है। इस प्रकार पेट्रोलियम ईंधन और पेट्रोकेमिकल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शोधन क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि पेट्रोलियम ईंधन और पेट्रोकेमिकल GDP की गति को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **नीतिगत पहलें**
  - **हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन (उत्खनन) लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP)** / ओपन ऐक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP), डिस्कवर्ड स्माल फील्ड (DSF) पॉलिसी।
  - **मौजूदा उत्पादन भागीदारी संविदाओं** के तहत गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन्स के अन्वेषण के लिए नीतिगत ढांचा।
  - **कोल बेड मीथेन** संविदाएं।
  - हाइड्रोकार्बन संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय डेटा संग्राहक की स्थापना।
  - वर्ष 2016-20 की तीन वर्षों की अवधि में BPL परिवारों की 8 करोड़ महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)।**

VISION IAS

Figure 19: Total Power Generation Capacity as on April, 2019 (Fuel-wise & Sector-wise)

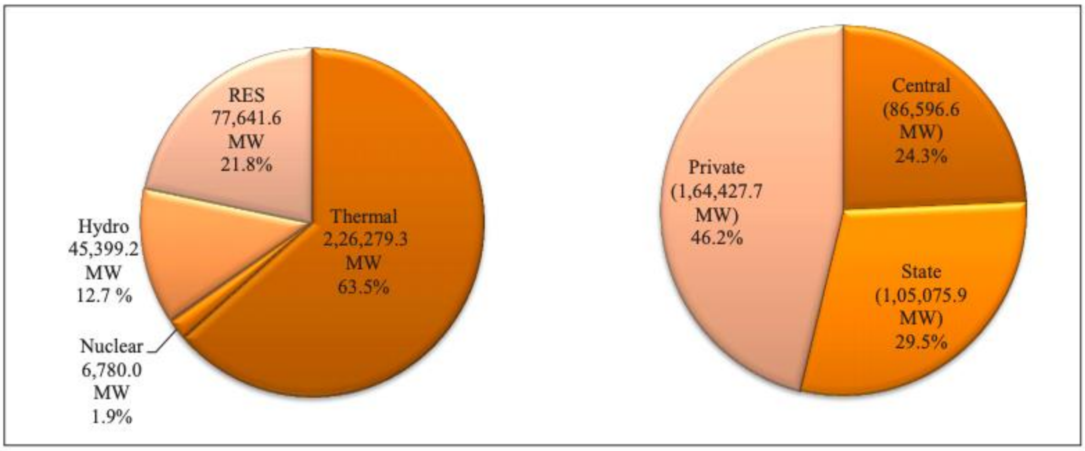

विद्युत क्षेत्र

- भारत ने **विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स) में अपनी रैंकिंग (76 वें स्थान)** में सुधार किया।
- सार्वभौमिक विद्युतीकरण के साथ, विद्युत उत्पादन और पारेषण में भी प्रगति हुई है।
- मार्च 2019 तक, **सौभाग्य (SAUBHAGYA) योजना के शुभारंभ के अंतर्गत 2.6 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।**
- विद्युत् की संस्थापित क्षमता वर्ष 2018 के 3,44,002 मेगावाट के स्तर से 2019 में 3,56,100 मेगावाट हो गई है।

शहरीकरण और आवासन:

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की 31.14 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी, जिसके वर्ष 2031 तक 600 मिलियन से अधिक हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है।
- **नीतिगत पहलें:**
  - **रियल एस्टेट (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA):** एक कुशल और पारदर्शी तरीके से अचल संपत्ति क्षेत्र के विनियमन और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करना तथा घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना।
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):** वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है।
  - **स्मार्ट सिटीज मिशन:** स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रारंभ कुछ हालिया पहलें निम्नलिखित हैं।
    - **जीवन की सुगमता (ईज ऑफ़ लिविंग: EOL) सूचकांक 2019: इसे जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और संधारणीयता** जैसे तीन आधारों पर नागरिकों के जीवन की सुगमता का आकलन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
    - **नगरपालिका कार्यनिष्पादन सूचकांक (MPI) 2019: सेवा, वित्त, योजना, प्रौद्योगिकी और अभिशासन** जैसे 5 कार्यक्षेत्रों पर नगरपालिकाओं के क्षेत्रीय प्रदर्शन की जाँच करना।
    - **नेशनल अर्बन इनोवेशन हब:** यह सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर की संस्था होगी जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में **हब एंड स्पोक नेटवर्क के माध्यम से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक समग्र नवाचारी प्रणाली का संचालन करेगी।** इसके अतिरिक्त, यह **शहरी रूपांतरण और अभिशासन सुधारों** के लिए क्षमता निर्माण में सहायक होगी।

अवसंरचना वित्तीयन / सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP): विश्व बैंक के अवसंरचना डेटाबेस में निजी भागीदारी के अनुसार, भारत विकासशील देशों में PPP परियोजनाओं की संख्या और संबद्ध निवेश दोनों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है।

- **चुनौतियां:**
  - अपूर्ण परियोजनाओं के लिए एक व्यापक समाधान विकल्प प्रदान करना।

VISION IAS

- निजी विकासकर्ताओं के समक्ष लीवरेज्ड बैलेंस शीट और आक्रामक (अत्यधिक) बोली लगाने संबंधी समस्याएं विद्यमान हैं, जिससे उनके लिए परियोजनाओं को पूरा करने हेतु संसाधनों का संग्रहण कठिन हो गया है।

- **उपाय**
  - विवादों के समयबद्ध समाधान हेतु एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना।
  - निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए PPP के हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को अपनाना। इसके तहत, सरकार निर्माण अवधि में कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत का योगदान करती है, शेष 60 प्रतिशत का भुगतान परियोजना निर्माण के पूर्ण होने के पश्चात् द्विवार्षिक एन्युटी के आधार पर किया जाता है।

निष्कर्ष

संवृद्धि की गति को बनाए रखने हेतु तीव्र परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य में, भारत को उद्योग 4.0 और आगामी पीढ़ी के अवसंरचना के उचित मिश्रण की क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत को अपने उद्योग और अवसंरचना का निर्माण करना होगा। उद्योग 4.0 **औद्योगिक क्षेत्रों में स्वचालन (ऑटोमेशन)** को शामिल करता है, जबकि आगामी पीढ़ी की अवसंरचना भौतिक अवसंरचना की क्षमता को अधिकतम करने हेतु इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स और साथ ही स्वचालन (ऑटोमेशन) आदि जैसी भौतिक अवसंरचना और प्रौद्योगिकियों को शामिल करती है।

VISION IAS

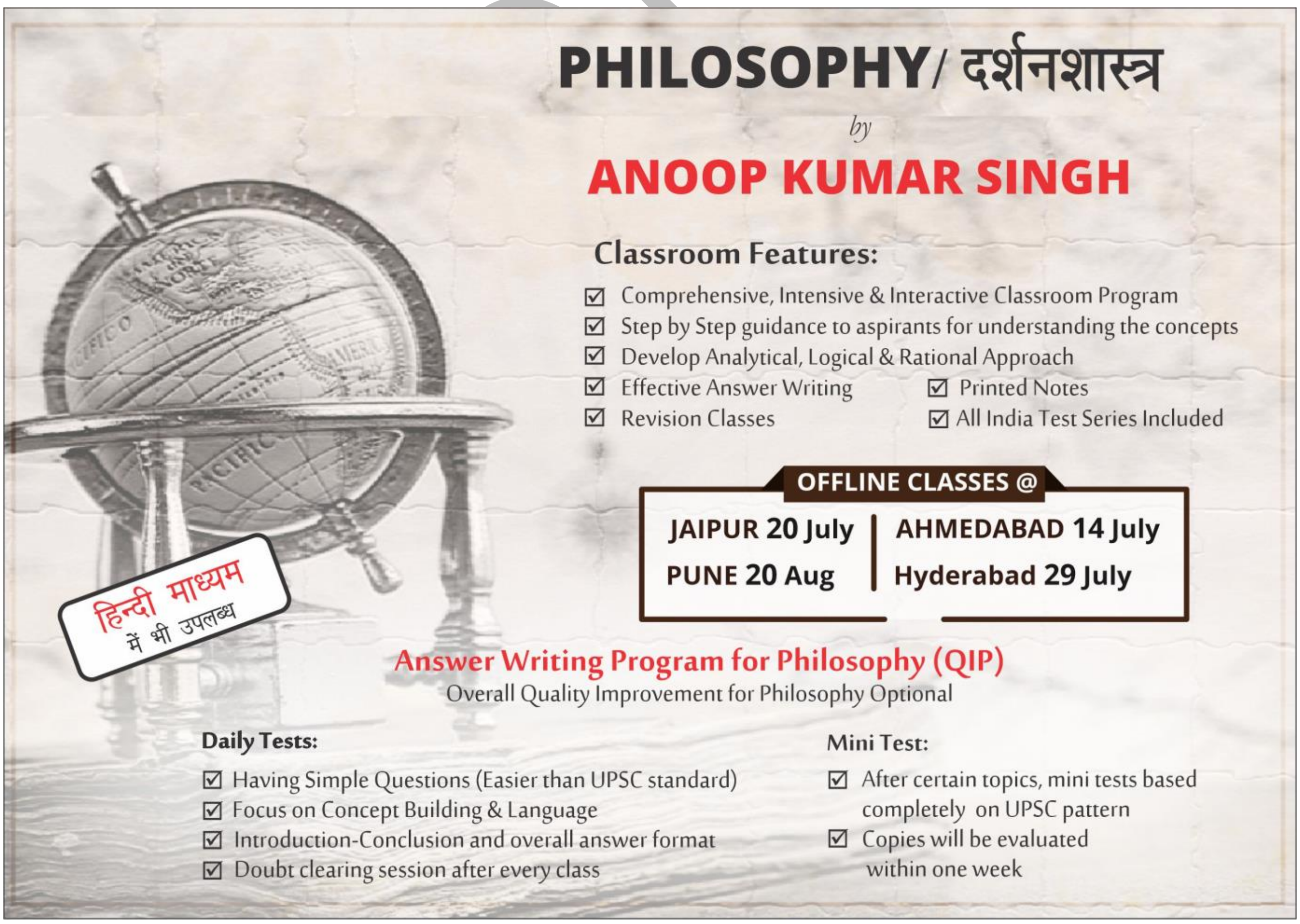

अध्याय 9 : सेवा क्षेत्र

(Service Sector)

विषय-वस्तु

सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में 54 प्रतिशत का योगदान है। हालांकि, रोजगार में इसकी हिस्सेदारी केवल 34 प्रतिशत है, यह सकल मूल्य वर्धित (GVA) में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में रोजगार सृजित नहीं करता है।

- **प्रदर्शन:**
    - **सेवा क्षेत्र में भारत का सकल मूल्य वर्धित: सेवा क्षेत्र की** वृद्धि दर 2017-18 के 8.1% से घटकर वर्ष 2018-19 में 7.5% हो गई।
        - इसके बावजूद, **सेवा क्षेत्र की वृद्धि का प्रदर्शन कृषि और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि की तुलना में निरंतर अधिक रहा है, हालाँकि इसका कुल सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि में 60% से अधिक का योगदान रहा है।**
    - **तीव्र वृद्धि वाले उप-क्षेत्र**: वित्तीय सेवाएँ, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ।
    - **वृद्धि में गिरावट वाले उप-क्षेत्र**: होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाएं।
    - **राज्यों का प्रदर्शन:** 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 14 राज्यों में कुल सकल राज्य संवर्धित मूल्य (GSVA) में सेवाओं का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक था। विशेष रूप से चंडीगढ़ और दिल्ली में सेवाओं की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि 30.2 प्रतिशत के साथ सिक्किम की हिस्सेदारी सबसे कम रही है।
- **सेवाओं में व्यापार:** वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में मजबूत प्रदर्शन के पश्चात अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान सेवा **निर्यात मंद रहा।**
    - **कंप्यूटर और आईसीटी सेवाओं, व्यापार सेवाओं और यात्रा सेवाओं का** कुल सेवा निर्यात में लगभग 75% .योगदान है।
    - विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार, भारत वाणिज्यिक सेवाओं के आयात और निर्यात में विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। यह वर्ष 2017 में निर्यात में आठवें तथा आयात में दसवें स्थान पर रहा।
- **सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI):** सेवा क्षेत्र में FDI इक्विटी अंतर्वाह भारत में होने वाले कुल FDI इक्विटी अंतर्वाह का **60%** से अधिक है।
    - एक निवेशक-अनुकूल FDI नीति निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत स्वचालित मार्ग के माध्यम से अधिकांश क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है। इनमें **एकल-ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण विकास और विनियमित वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियाँ शामिल हैं।**
- **सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित बनाम रोजगार:** संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 में सेवा क्षेत्र के आकार के मामले में भारत का स्थान 9वां था।
    - भारत का **सेवा क्षेत्र चीन के पश्चात दूसरा सबसे तीव्र वृद्धि करने वाला सेवा क्षेत्र रहा है।**
    - **निर्यात में सेवाओं की हिस्सेदारी के मामले में** भी भारत **ब्रिटेन के पश्चात दूसरे** स्थान **पर है।**
    - हालांकि, भारत **सकल मूल्य वर्धित (GVA) में सेवाओं के हिस्सेदारी के संदर्भ में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा है** और **रोजगार में सेवाओं के हिस्सेदारी के मामले में सबसे निचले स्थान पर है।**
    - यह क्षेत्र अपने आकार के अनुपात में रोजगार सृजित करने में असमर्थ रहा है हालाँकि आने वाले वर्षों में सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं।
- **सरकार की पहलें:**
    - **भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS)** व्यापार सेवाओं, शिक्षा सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और यात्रा से संबंधित सेवाओं आदि के निर्यात को शामिल करती है।
    - सरकार ने **चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना** के अंतर्गत सेवा क्षेत्र संबंधी पहलों के वित्तपोषण हेतु 5,000 करोड़ की एक समर्पित निधि का भी सृजन किया गया है।

VISION IAS

- इनके अतिरिक्त सरकार द्वारा स्टार्ट-अप इंडिया, दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, डिजिटल इंडिया जैसी विभिन्न पहलों को आरंभ किया गया है जो सेवा क्षेत्र के विकास को अधिक गति प्रदान कर सकती हैं।

प्रमुख सेवा क्षेत्र - प्रदर्शन और नीतियां:

- **पर्यटन:** भारत में पर्यटन क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहा है जहां विदेशी पर्यटक आगमन (FTAs) 14 प्रतिशत से बढ़कर 10.4 मिलियन हो गया है और विदेशी मुद्रा अर्जन (FEE) वर्ष 2017-18 में 20.6 प्रतिशत से 28.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। हालांकि, इस क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में मंदी रही है।
  - हाल के वर्षों में विदेशी पर्यटन में तीव्र वृद्धि देखी गई है। भारत से प्रस्थान करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 9.5% की वृद्धि दर के साथ वर्ष 2017 में 23.94 मिलियन थी।
  - **तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र** शीर्ष 5 गंतव्य राज्य थे, जिनकी वर्ष 2017 में घरेलू पर्यटकों की कुल संख्या में 63.2% की हिस्सेदारी है।
  - **पर्यटन उद्योग से संबंधित मुद्दे:**
    - देश में पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करने से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए समान विचारधारा वाले विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के समन्वय तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
    - राज्य / संघ राज्य की सरकारों को रोजगार और निर्धनता उन्मूलन के एक प्रमुख चालक के रूप में पर्यटन के मामलों में संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है।
    - पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए।
    - होटलों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा ऐसे नए टाउनशिप जो निर्माणाधीन हैं, वहां होटलों के लिए आरक्षित भूमि प्रदान की जानी चाहिए।
    - होटल परियोजनाओं के लिए त्वरित अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए।
    - अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास के प्रयासों में वृद्धि की जानी चाहिए।
    - आतिथ्य उद्योगों (Hospitality Industry) पर कर व्यवस्था को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए।
  - **हाल ही में की गई नीतिगत पहलें :**
    - पर्यटन मंत्रालय द्वारा चयनित महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में तीर्थ यात्रा अवसंरचना के उद्देश्य से जनवरी 2015 में **'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत उत्थान अभियान पर राष्ट्रीय मिशन {National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive: PRASHAD (प्रसाद)}** आरंभ किया गया था।
    - **स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत, पर्यटन मंत्रालय** ने विकास के लिए 15 विषयगत सर्किट चयनित किए हैं जो देश के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आदिवासी स्थलों को कवर करते हैं। मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से समेकित तरीके से उच्च पर्यटन मूल्य, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता के सिद्धांतों पर इन विषयगत सर्किटों को विकसित कर रहा है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा पर्यटन:

- वर्ष 2017 में भारत में चिकित्सा पर्यटन का बाजार मूल्य अनुमानित रूप से **3 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था तथा वर्ष **2020** तक चिकित्सा पर्यटन का मूल्य 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- वर्तमान में वैश्विक **चिकित्सा पर्यटन** बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग **18 प्रतिशत है।**
- वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में चिकित्सा पर्यटकों की हिस्सेदारी **4.9 प्रतिशत** रही है।
- पर्यटन मंत्रालय ने आवधिक पहलुओं के समाधान हेतु और भारत को '365 दिवस' पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने तथा विशिष्ट रुचियों वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए **आयुर्वेद** सहित चिकित्सा एवं कल्याण पर्यटन को विशिष्ट उत्पाद के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- **अतुल्य भारत अभियान के** भाग के रूप में, भारत और विदेशों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया के

VISION IAS

माध्यम से चिकित्सा पर्यटन का नियमित रूप से प्रचार-प्रसार किया जाता है।

- चिकित्सा उपचार हेतु भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट प्रयोजन के लिए **'मेडिकल वीजा'** प्रदान किए जाने की शुरुआत की गई है।
- **166 देशों के** लिए **'ई- मेडिकल वीजा'** की भी शुरुआत की गई है।

- **IT–BPM सेवाएँ:** NASSCOM के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय **IT–BPM** उद्योग वर्ष 2016-17 में 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 181 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
    - वर्ष 2017-18 में IT–BPM निर्यात में 7.7% की वृद्धि हुई है। कुल IT–ITEs निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ को किया जाता है।
    - वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 12% की वृद्धि दर से ई-कॉमर्स बाजार लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है।
    - यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इज़राइल आदि देशों के नए एवं उभरते बाजारों में, बाजार के विकास एवं औद्योगिक पुनर्स्थापना संबंधी पहलों के माध्यम से विविधता लाने और उपस्थिति को बढाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
    - **हाल ही में की गई नीतिगत पहलें:**
        - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति- 2019 (NPE 2019) को अधिसूचित किया गया, जिसमें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी ESDM क्षेत्र के लिए ईको-सिस्टम का सृजन; इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण संबंधी ईको-सिस्टम को बढ़ावा प्रदान करना; मेगा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज आदि शामिल हैं।
        - विभिन्न अन्य सरकारी पहलों में डिजिटल इंडिया, कॉमन सर्विस सेंटर, BPO प्रमोशन स्कीम, डिजिटल साक्षरता अभियान, GST नेटवर्क, ई-एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस / डिजिटल मंडियां आदि शामिल हैं।

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ

- भारत **अत्यधिक जटिल क्रायोजेनिक रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी विकसित करने वाला 6वां राष्ट्र बन गया** है। इसने GSLV MK-III के लिए एक उच्च प्रणोद क्रायोजेनिक इंजन एवं चरण के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।
- उपग्रह प्रक्षेपण के संदर्भ में, मार्च 2019 तक PSLV द्वारा कुल मिलाकर 324 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था, जिसमें अन्य देशों के 269 उपग्रह सम्मिलित हैं।
- PSLV को एक-साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की उपलब्धि भी प्राप्त है।
- वर्ष 2018 में अपनी दूसरी विकासात्मक उड़ान में GSLV MK-III ने सबसे भारी उपग्रह 'जीसैट-29' को प्रक्षेपित किया।

- **अंतरिक्ष सेवाएं:** भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास में योगदान प्रदान करता है। इसमें वृहत से सूक्ष्म स्तर पर सामाजिक आर्थिक मुद्दों का निवारण करने के लिए भू-अवलोकन, संचार और नौवहन आदि को सम्मिलित करने वाली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग शामिल हैं।
    - **भुवन सेवाएं:** इसरो का जियो पोर्टल भुवन मल्टी-सेंसर, मल्टी-प्लेटफार्म और मल्टी-टेम्पोरल सैटेलाइट इमेजरी, थीमेटिक मानचित्र तथा भू-अवलोकन एवं आपदा प्रबंधन में सहायता करने के लिए उपग्रह डेटा-व्युत्पन्न सूचना उपलब्ध कराता है। भुवन ने 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 30 राज्यों के पोर्टलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाया है और यह सरकार के कई प्रमुख कार्यक्रमों के लिए भू-स्थानिक सहायता भी प्रदान कर रहा है।
    - **मानचित्रण और भू-स्थानिक सेवा (Mapping and Geospatial Services):** देश में 8 प्रमुख फसलों के फसल रकबा और उत्पादन संबंधी मौसमी पूर्वानुमान लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड डेटा के साथ सिंक्रोनाइज़ किया गया है।
        - इसरो द्वारा विकसित तकनीकों का उपयोग करते हुए **महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र,** आयोजना और निर्णयन हेतु नियमित रूप से फसल पूर्वानुमान प्रदान करता है।

VISION IAS

अध्याय 10 : सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

(Social Infrastructure, Employment and Human Development)

विषय-वस्तु

- भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) और 169 सहायक लक्ष्यों में परिलक्षित संधारणीय विकास हेतु **एजेंडा 2030** को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, स्वच्छता तक पहुंच, जल आपूर्ति, सड़क संपर्क, वहनीय आवास जैसी परिसंपत्तियों, कौशल और आजीविका के अवसरों को उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- यह अनुमान किया गया है कि **भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश पांच दशकों अर्थात 2005-06 से 2055-56 तक उपलब्ध रहेगा जो विश्व में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक है**। इस जनसांख्यिकीय लाभांश को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब युवा आबादी को शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान किये जाएं।

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index: HDI)

- **वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2017 के मध्य भारत के HDI में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ज्ञातव्य है कि भारत का HDI 0.427 से बढ़कर 0.640 हो गया है।** लेकिन **इसके समकक्ष देशों** (एशियाई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं) में **इसकी स्थिति अभी भी निम्नतम ही** है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के मानव विकास सूचकांक (HDI) के अनुसार, **भारत 189 देशों में 130वें स्थान पर है**। इसके अतिरिक्त, भारत में क्षेत्रीय और मानव विकास से संबंधित **अंतर-राज्य असमानताएं** भी विद्यमान हैं, जो राज्य स्तरीय HDI द्वारा परिलक्षित होती हैं।
- **वर्ष 2017 के HDI प्राप्तांक** से यह इंगित होता है कि केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों को शीर्ष चार स्थान प्राप्त हैं, जबकि बिहार, UP और MP जैसे राज्यों को इस रैंकिंग में निम्नतम स्थान प्राप्त है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG):** SDG में भारत के प्रदर्शन के मापन हेतु NITI आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए **SDG भारत सूचकांक** विकसित किया है।
    - केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों को शीर्ष तीन स्थान प्राप्त हैं जबकि UP, बिहार और असम इस रैंकिंग में निम्नतम स्थान पर हैं।

लैंगिक मुद्दे (Gender Issues)

- महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और समाज में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं को सक्रिय अभिकर्ता बनाना ताकि **लैंगिक समानता (SDG-5)** प्राप्त की जा सके। भारत सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP), उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे कई कार्यक्रम आरंभ किए हैं।
- **वित्तीय समावेशन:** यह **महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करता** है और कुछ सीमा तक उन्हें **वित्तीय निर्णय-निर्माण** में सक्षम बनाता है। संपूर्ण देश में **बैंक में बचत खाता (जिनका वे स्वयं उपयोग करती हैं) रखने वाली महिलाओं का अनुपात** वर्ष 2005-06 के 15.5% से बढ़कर 2015-16 में 53% हो गया है।
- **घरेलू स्तर पर निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी:** NFHS-4 के अनुसार, घरेलू स्तर पर निर्णय-निर्माण में वर्तमान में विवाहित महिलाओं की भागीदारी संपूर्ण देश में वर्ष 2005-06 के 76.5% से बढ़कर 2015-16 में 84% हो गई है।

जेंडर बजटिंग

- नोडल एजेंसी के रूप में महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा 'लैंगिक समानता के लिए बजट निर्माण' हेतु **मिशन रणनीति** को अपनाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी बजट की योजना का महिलाओं और पुरुषों के अंतर की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण किया जाए और तदनुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाए।
- यह कई संस्थागत तंत्रों जैसे **जेंडर बजट विवरण, जेंडर बजट प्रकोष्ठ और** महिलाओं एवं लड़कियों के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती है।
- वर्ष 2001 में अपने बजट भाषण में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री ने **पहली बार** जेंडर बजटिंग का उल्लेख किया था। व्यय

VISION IAS

विभाग वर्ष 2005-06 से बजट परिपत्र के एक भाग के रूप में जेंडर बजटिंग पर एक नोट जारी करता रहा है।

- वर्ष 2012 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी **जेंडर बजट प्रकोष्ठ संबंधी चार्टर** के अनुरूप सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को जेंडर बजट प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्देश दिये गए थे। वर्ष 2013 में राज्य स्तर पर जेंडर बजटिंग को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए एक रोडमैप उपलब्ध कराने के संबंध में **दिशा-निर्देश** भी जारी किया गया था।

सामाजिक क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्तियां

- स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचना पर व्यय इस क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
- वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में **1 प्रतिशत से अधिक अंकों की वृद्धि** दर्ज की गई है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2014-15 के 6.2% से बढ़कर 2018-19 में 7.3% हो गया।
- **सभी सामाजिक क्षेत्रकों, विशेषकर शिक्षा क्षेत्रक में वृद्धि** हुई है जिसके फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक व्यय वर्ष 2014-15 में 2.8% से बढ़कर 2018-19 में 3% हो गया।

सभी के लिए शिक्षा (Education for All)

- **शिक्षा संबंधी SDG-4** के अंतर्गत 2030 तक सभी के लिए जीवनपर्यंत शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देने के साथ-साथ समतापूर्ण, समावेशी और गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **भारत में शिक्षा की स्थिति**
    - माध्यमिक स्तर पर **बालिकाओं की कुल नामांकन दर (GER)** में लड़कों की तुलना में वृद्धि हुई है, लेकिन उच्चतर शिक्षा स्तर पर लड़कियों की नामांकन दर लड़कों की अपेक्षा कम है। इस स्तर पर, यह अंतर सामाजिक श्रेणियों में भी दृष्टिगत है।
    - उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर **बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर (drop-out rates)** लड़कों के मामले में अत्यधिक है। लड़कों के लिए बीच में पढ़ाई छोड़ने का कारण आर्थिक गतिविधियां, शिक्षा में रुचि का अभाव और वित्तीय बाधाएं हैं।
    - माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करने की दर और उससे आगे उच्चतर शिक्षा में **प्रवेश करने की दर** भी निम्नतम है।
    - यद्यपि छात्र-शिक्षक अनुपात संतोषजनक प्रतीत होता है, फिर भी यह स्पष्ट है कि पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध होते हुए भी, मुख्य मुद्दा छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर उनका संतुलित नियोजन है।
- **GER आधारित लैंगिक समानता सूचकांक (GPI):** GER पर आधारित GPI, सभी स्तरों पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रवृत्ति को इंगित करता है। हालाँकि, सरकारी स्कूलों में लड़कों की तुलना में बालिकाओं का नामांकन अधिक रहा है, लेकिन निजी स्कूलों में इसके विपरीत स्थिति है। निजी स्कूलों में सभी आयु वर्गों में नामांकन में लैंगिक अंतराल निरंतर बढ़ा है।

Table 5: GER (per cent), Drop-out Rate (per cent) and Pupil Teacher Ratio at levels of schooling

Level	GER (2016-17)	Drop-Out Rate (2016-17)	Pupil Teacher Ratio (Norm) 2015-16
Primary	Male: 94.02 Female: 96.35	Male: 6.3 Female: 6.4	23 (30 - RTE)
Upper Primary	Male: 86.90 Female: 95.19	Male: 4.97 Female: 6.42	17 (35 - RTE)
Secondary	Male: 78.51 Female: 80.29	Male: 19.97 Female: 19.81	27 (30 – Secondary level laid down in the relevant Scheme)
Senior Secondary	Male: 54.93 Female: 55.91	Male: .6.37 Female: 5.49	37
Higher Education	Male: 26.3 Female: 25.4	NA NA	30

VISION IAS

- **अधिगम परिणाम: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार**
  - वर्ष 2014 से 2018 तक की **शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER, 2018)** के अनुसार, कक्षा III के विद्यार्थियों के लिए मूलभूत साक्षरता और अंकीय ज्ञान दोनों में **क्रमिक सुधार** हुआ है, लेकिन अभी भी उनमें से केवल एक चौथाई छात्र ही ग्रेड स्तर पर (पढ़ने की क्षमता तथा कक्षा II स्तर के घटाव जैसी मूल संक्रियाएं करना) हैं।
  - **कक्षा VIII छोड़ने वाले 4 में से 1 बच्चे के पास मूलभूत वाचन कौशल** (कम से कम कक्षा II के स्तर पर पढ़ने की योग्यता) नहीं होता है।
  - शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के संशोधित नियमों के अनुसार, प्रत्येक कक्षा (कक्षा आठवीं तक) के लिए अधिगम परिणाम विकसित किये गए हैं।
- 2017 से **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण** को **सक्षमता आधारित मूल्यांकन** बना दिया गया है जो पूर्व में पाठ्यपुस्तक की सामग्री पर आधारित था।
- **शिक्षकों की कमी:** 31 मार्च 2016 तक सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर **शिक्षकों की 9.08 लाख रिक्तियों के साथ** D.El.Ed/B.Ed कार्यक्रम में पास आउट्स की उच्च संख्या और शून्य नामांकन वाले स्कूलों में अधिशेष शिक्षकों की संख्या के बावजूद शिक्षकों की कमी की स्थिति विद्यमान है।
- **शिक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ:** शासन और प्रबंधन के क्षेत्र में पहली बार कार्य निष्पादन श्रेणीकरण सूचकांक **{परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI)}, 2017-18** में वर्णित आंकड़ों के अनुसार देश में शिक्षा प्रणाली को क्षति पहुंचाने वाले कुछ कारक हैं: शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी, नियमित पर्यवेक्षण और निरीक्षण का अभाव, शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, समय पर वित्त उपलब्ध न होना इत्यादि।

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हालिया पहलें

- **समग्र शिक्षा:** यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक प्रशिक्षण (TE) को सम्मिलित किया गया है। पहली बार, इसमें विद्यालय-पूर्व स्तर (प्री-स्कूल) पर सहायता, पुस्तकालय अनुदान और खेल एवं व्यायाम सम्बन्धी साधनों के लिए अनुदान का भी प्रावधान सम्मिलित है। इस योजना का विजन शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य **(SDG-4)** के अनुसार विद्यालय-पूर्व स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- **"स्वयं"** प्लेटफार्म के द्वारा बुनियादी शिक्षा (D.El.Ed) के क्षेत्र में 10 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई हैं। ज्ञातव्य है कि 13 लाख से अधिक अनर्ह शिक्षकों द्वारा इस डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए नामांकन कराया गया है।
- **"UDISE+"**, यह UDISE (यूनिफाइड इनफार्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन) का एक अद्यतित ऑनलाइन रियल-टाइम संस्करण है, जिसे तीन अतिरिक्त विशेषताओं यथा GIS मैपिंग, थर्ड-पार्टी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा का सत्यापन और डेटा एनालिटिक्स को आरंभ किया गया है।
- **कार्यनिष्पादन श्रेणीकरण सूचकांक (PGI)**: मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य की स्कूल शिक्षा प्रणाली के "कमजोर क्षेत्रों (areas of deficiency)" का मूल्यांकन करने और शिक्षण से शिक्षकों के प्रशिक्षण तक प्रत्येक स्तर पर लक्षित सुधार करने हेतु 70-सूत्रीय PGI आरंभ किया गया है।
- **ICT आधारित पहलें: "शाला सिद्धि"** (सभी स्कूलों को अपने कार्यनिष्पादन का स्व-मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना), **"ई-पाठशाला"** (पाठ्यपुस्तक, ऑडियो, वीडियो, आवधिक पत्रिकाओं आदि जैसे डिजिटल संसाधन प्रदान करना) और **"सारांश"** (यह स्व-समीक्षा संबंधी कार्यवाहियां करने हेतु स्कूलों के लिए CBSE की एक पहल है)।

VISION IAS

कौशल विकास

- NSSO की वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में कुल कार्यबल में से केवल 2.3% को ही औपचारिक क्षेत्रक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था।** सरकार द्वारा **राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015** सूत्रबद्ध की गई है जिसके अंतर्गत **2022 तक कौशल भारत मिशन** को सूत्रबद्ध किया जायेगा।
- **कौशल विकास इकोसिस्टम संबंधी अंतराल को कम करना**: कौशल विकास कार्यक्रमों में सुधार करने के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई हैं:
    - अभ्यर्थियों का **समुचित पूर्व-अनुवीक्षण** किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस कार्यक्रम के लिए केवल पात्र अभ्यर्थियों का ही नामांकन किया जाए। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) प्रमाणित अभ्यर्थियों कोमाइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) ऋण प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ सुविधा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
    - वित्तपोषण साधन के रूप में संस्थानों द्वारा भुनाए जा सकने वाले **कौशल वाउचर** आरंभ किए जा सकते हैं। इन्हें लाभार्थी को किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में अपना नामांकन कराने में समर्थ बनाने हेतु प्रदान किया जा सकता है।
    - प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन के लिए अनुदेशकों का एक डेटाबेस विकसित करने के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) पद्धति से प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने, पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल, उपकरणों की व्यवस्था, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के लिए **उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।**
    - पर्वतीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल प्रशिक्षण में संस्थागत सहायता प्रदान के लिए रेलवे और अन्य अर्ध-सैन्य बलों के कर्मियों का उपयोग किया जा सकता है।
    - स्थानीय स्तर पर मांग और आपूर्ति के मध्य अंतर का आकलन करने के लिए युवाओं की कौशल मैपिंग करने और डेटाबेस तैयार करने के लिए स्थानीय निकायों का उपयोग किया जा सकता है।

रोजगार परिदृश्य

- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के निष्कर्ष**
    - सामान्य स्थिति के अनुसार **भारत में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)** वर्ष 2011-12 के 39.5% से गिरकर वर्ष 2017-18 (NSSO) में 36.9% रह गई। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें 3.6 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई है।
    - **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)** में भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई है। सामान्य स्थिति के अनुसार, **भारत में WPR** वर्ष 2011-12 (NSSO) के 38.6% से गिरकर वर्ष 2017-18 में 34.7% रह गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में WPR में 4.9 प्रतिशत अंको की गिरावट हुई जबकि शहरी क्षेत्रों में 1.6 प्रतिशत अंकों की गिरावट हुई।
    - सामान्य स्थिति के अनुसार **भारत में बेरोजगारी दर (UR)** ग्रामीण क्षेत्रों में 5.3% और शहरी क्षेत्रों में 7.8% के साथ 6.1% थी।
    - **युवाओं की सामान्य शिक्षा** में सुधार हुआ है जो शहरी महिलाओं के मामले में 65.4% और शहरी पुरुषों के मामले में 65.8% है।
    - **तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा:** शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के 94.3% लोगों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं है। औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शहरी युवाओं का अनुपात बढ़कर 2017-18 में 4.4% हो गया है।
    - **आय अंतराल:** वर्ष 2018 में **नियमित वेतनभोगी महिला कर्मचारी की तुलना में पुरुष कर्मचारी ने औसतन लगभग 1.2-1.3 गुना आय अर्जित की।** हालांकि, वर्ष 2018 में शहरी क्षेत्रों में स्व-रोजगारशील पुरुष कामगारों द्वारा स्वरोजगारशील महिला कामगारों की तुलना में 2 गुना अधिक आय अर्जित की गई।

VISIONIAS

- **औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधी संकेतक:** रोजगार की औपचारिक स्थिति का अनुमान लगाने हेतु तीन प्रमुख योजनाओं यथा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का उपयोग किया गया है। इसमें **अतिव्यापन** के तत्व विद्यमान हैं और ये **प्राक्कलन योगात्मक (additive) नहीं** हैं।
  - EPF द्वारा इस योजना में अंशदान करने वाले ग्राहकों की संख्या के आधार पर जारी पे-रोल आंकड़ों के अनुसार, औपचारिक क्षेत्र में निवल रोजगार सृजन फरवरी 2018 के 4.87 लाख की अपेक्षा मार्च 2019 में 8.15 लाख से अधिक हो गया था, **जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के संदर्भ में सकारात्मक प्रवृति को दर्शाता है।**

सभी के लिए स्वास्थ्य (Health for All)

मानव स्वास्थ्य और कल्याण जटिल, द्विमार्गी तरीके से संधारणीय विकास से संबंधित हैं, जिसमें सभी के लिए स्वास्थ्य में निवेश से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संधारणीयता में सहायता प्राप्त होती है।

- **मातृत्व स्वास्थ्य:** भारत की मातृ मृत्यु दर (MMR) में 37 अंकों की गिरावट आई है जो वर्ष 2011-13 में 167 प्रति लाख जीवित जन्म से गिरकर 2014-16 में 130 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई थी। सभी सशक्त कार्रवाई समूह (Empowered Action Group:EAG) राज्यों में MMR में गिरावट दर्शाई गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- **बाल शिशु स्वास्थ्य**: भारत में **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर** (U5MR) **39 प्रति 1000 जीवित जन्म है, शिशु मृत्यु दर 34 प्रति 1000 जीवित जन्म** और **नवजात मृत्यु दर 24 प्रति 1000 जीवित जन्म** है।
- **स्वास्थ्य पर व्यय:** वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान **आउट ऑफ पॉकेट व्यय (OOPE**) में कमी हुई थी और **कुल स्वास्थ्य व्यय (THE)** के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि की प्रवृति रही है।
  - THE के प्रतिशत के रूप में लोक स्वास्थ्य व्यय (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय), वर्ष 2004-05 के 22.5% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 30.6% हो गया, जबकि OOPE वर्ष 2004-05 के 69.4% से घटकर 2015-16 में 60.6% रह गया है।
  - दवाओं पर व्यय के प्रमुख घटक होने के साथ, **OOPE अभी भी स्वास्थ्य देखभाल व्यय का प्रमुख घटक बना हुआ है।** सरकारी सुविधाओं में नि:शुल्क दवा उपलब्ध कराने की सरकार की व्यवस्थाओं (जैसे नि: शुल्क औषधियां और निदान सेवा पहलें) के बावजूद, 60% से अधिक मरीज़ अभी भी कुछ दवाओं हेतु भुगतान करने के लिए विवश हैं।
  - **वहनीयता**: स्वास्थ्य संबंधी व्यय में कमी लाने के प्रयोजन से "आयुष" योजना की संभावनाएं अत्यधिक हैं। इस पहलू को **राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM)** के तहत एक ही स्थान पर आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की सह-स्थापन (co-locating) के माध्यम से भलीभांति स्वीकार किया गया है, ताकि लोग ऐसी चीजों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हों, जो उनके लिए उपयुक्त है, इस प्रकार **स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ, जवाबदेह, वहनीय और अनुकूलित बनाया जा सकता है।**
  - चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धतियों के महत्व को स्वीकारते हुए, सरकार ने 2400 करोड़ रूपये के परिव्यय से 01/04/2017 से 31/03/2020 तक **NAM को जारी रखने** का अनुमोदन किया है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत संरचना**
  - IPHS (भारतीय जन स्वास्थ्य मानक) देश में स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए परिकल्पित एकसमान मानकों का समूह है।
  - आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में अधिकांश PHC द्वारा IPHS मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है जो प्रसवपूर्व देखभाल के उच्च स्तर को प्रदर्शित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप MMR में कमी परिलक्षित हुई है।

VISION IAS

- **स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन**
    - ग्रामीण जन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उच्च प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों को आकर्षित करने, बनाए रखने और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है। ज्ञातव्य है कि अधिकांश PHC चिकित्सकों की उपस्थिति के बिना कार्यरत हैं।
    - कार्मिकों की उपस्थित के बावजूद, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में उनकी भागीदारी का स्तर, आपूर्तियों की कमी, अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं, कर्मचारियों की उचित निगरानी का न होना आदि कारणों से निम्न बना हुआ है।
    - **सुझाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के लिए प्रौद्योगिकियों के अभिग्रहण, समुदाय और स्थानीय स्व-शासन (LSG) की भागीदारी और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से बेहतर अभिशासन तंत्र की आवश्यकता है।
- **राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम (NQAP):** 2015 में NQAP के तहत, **कायाकल्प: स्वच्छ अस्पताल नामक पहल** आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य लोक स्वास्थ्य संस्थानों में साफ-सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना है।

ग्रामीण विकास

- **ग्रामीण कनेक्टिविटी:** 2000 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का उद्देश्य बारहमासी सड़कों से गांवों को जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने हेतु राज्यों को धन उपलब्ध कराना है। वर्ष 2014 के बाद से, लगभग 190,000 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है।
    - PMGSY में **"हरित प्रौद्योगिकियों"** और **गैर-पारंपरिक सामग्रियों** जैसे अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जियो-टेक्सटाइल्स, फ्लाई-ऐश, लोहा (आयरन) और कॉपर स्लैग आदि का उपयोग ग्रामीण सड़कों का "कार्बन फुटप्रिंट" कम करने, पर्यावरण प्रदूषण में कमी करने, कार्य करने के सत्र में वृद्धि करने और लागत प्रभावकारिता को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
    - "हरित प्रौद्योगिकियों" के उपयोग के माध्यम से 28,619 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है और 2018-19 में 14,756 किलोमीटर रिकॉर्ड लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है।
- **ग्रामीण आवास (PMAY-G): सर्वाधिक निर्धन लोगों के लिए आवास:** 31 मार्च, 2019 तक **बुनियादी सुविधाओं वाले एक करोड़ पक्के घरों** का निर्माण पूरा करने के लक्ष्य के साथ 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आरंभ की गई थी ।
    - 2014-2019 के दौरान, 1.54 करोड़ घरों का निर्माण पूरा किया गया, जिनमें पाइप के माध्यम से पेयजल, स्वच्छ भारत मिशन/मनरेगा के अंतर्गत शौचालय निर्माण, सौभाग्य कार्यक्रम के अंतर्गत बिजली कनेक्शन, उज्वला कार्यक्रम के अंतर्गत LPG कनेक्शन जैसी सरकारी पहलों के अभिसरण के माध्यम से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित घर भी सम्मिलित हैं
    - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), जियो टैगिंग, निष्पक्ष लाभार्थी चयन, प्रभावी लेन-देन पर आधारित MIS, "आवास सॉफ्ट" और मोबाइल आधारित एप्लीकेशन "आवास ऐप" आदि के माध्यम से की जाने वाली निगरानी से निधियों के दुरुपयोग में अत्यधिक कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप घरों का निर्माण कार्य पूर्ण करने में तेजी आई है।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)**
    - सरकार ने MGNREGS को पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दी है जो विगत चार वर्षों में राज्यों को बजट आवंटन और फंड जारी करने की वृद्धिशील प्रवृति से परिलक्षित होता है।
- **MGNREGS आंकड़े: 2018-19 के दौरान**
    - इसके द्वारा 267.96 करोड़ व्यक्ति-दिवसों का सृजन किया गया (महिलाओं के लिए व्यक्ति-दिवस: 54.6%, SC: 20.7% और ST: 17.4%)।
    - वैयक्तिक लाभार्थी योजनाओं से संबंधित किए गए कार्य कुल कार्यों का 66% थे।

VISION IAS

- कृषि और संबद्ध कार्यों पर कुल व्यय का 63% व्यय किया गया।
- MGNREGA के अंतर्गत लगभग 85,000 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया गया था।

आगे की राह

भारत का विकास पथ सामाजिक अवसंरचना में निवेश के साथ गहन रूप से संबद्ध है। **कनेक्टिविटी में सुधार करने, आवास उपलब्ध कराने और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के मध्य लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने हेतु संधारणीय विकास हेतु विकास कार्यक्रमों का उन्नयन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।** भारत का SDG की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना पूर्ण रूप से मानव पूंजी और समावेशी विकास में निवेश पर आधारित है।

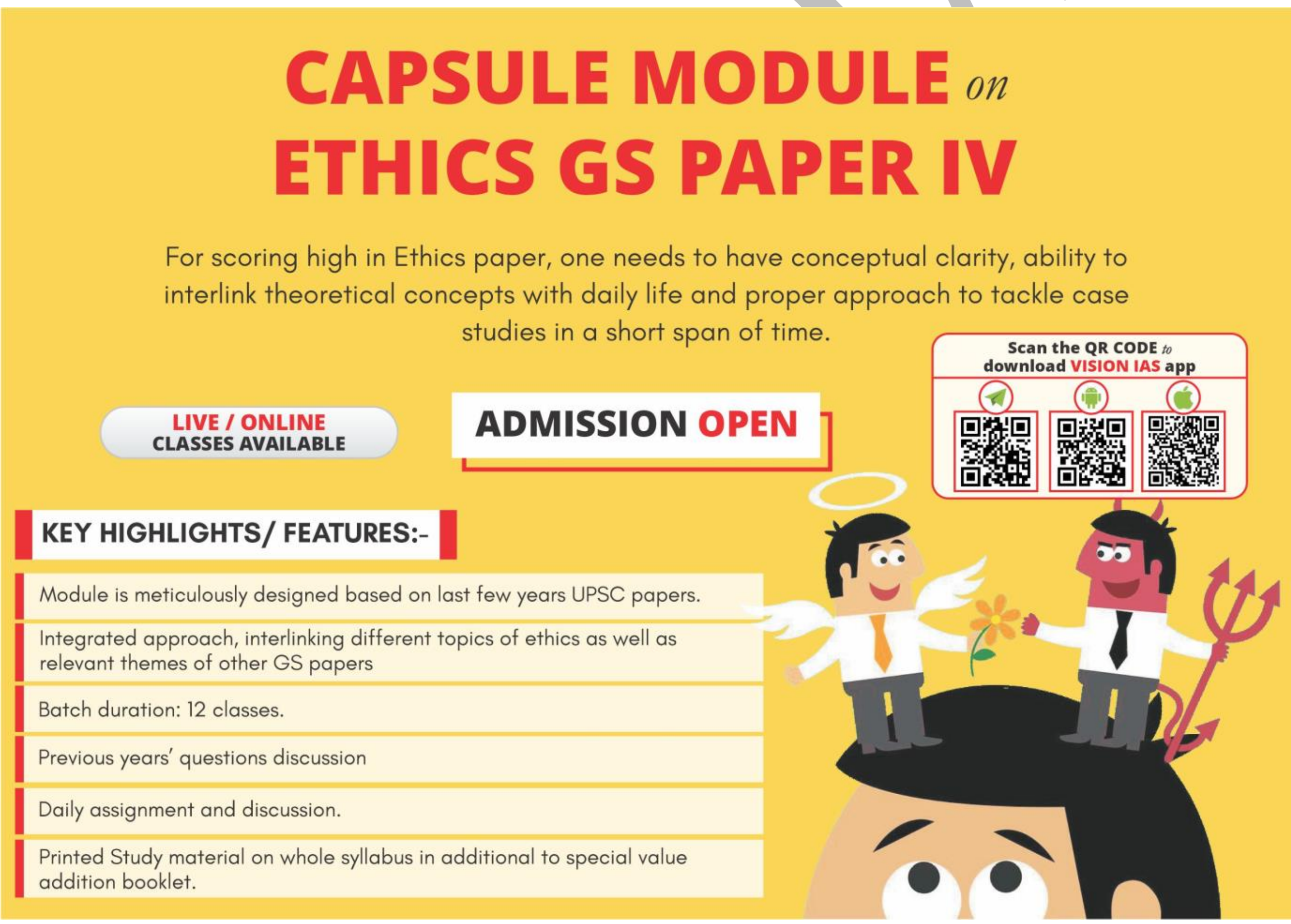

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS